खण्ड-142, अंक-3
बुधवार, 7 आश्विन, शक संवत् 1876
(29 सितम्बर, 1954 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 142 में 4 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५४

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे।

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये।

विषय	पृष्ठ-संख्या
इलाहाबाद युनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५४, (प्रस्ताव पर कि प्रवर समिति द्वारा संशोधित विधेयक पर विचार किया जाय तथा संशोधन पर कि विधेयक विचारार्थ पुनः प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय, विवाद जारी) ..	१७४–१८३
इलाहाबाद युनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५४ पर सामान्य विवाद के समय भाषणों के लिए समय निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	१८३–१८८
इलाहाबाद युनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५४ (प्रस्ताव कि प्रवर समिति द्वारा संशोधित विधेयक पर विचार किया जाय तथा संशोधन पर कि विधेयक विचारार्थ प्रवर समिति को पुनः निर्दिष्ट किया जाय-विवाद जारी)	१८८–२१८
कार्य-क्रम परामर्शदात्री समिति का नाम निर्देशन ..	२१८
नारंगीवाह घाट (जिला आगरा) पर घटित नाव दुर्घटना से सम्बद्ध १ सितम्बर, १९५४ के तारांकित प्रश्न १ के विषय पर विवाद ..	२१८–२२४
नत्थियां	२२५–२२८

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, २९ सितम्बर, १९५४

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३५५)

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेश प्रताप सिंह, श्री
अशरफ अली खां, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इसराउल हक़, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उल्फतसिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालिका सिंह, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पाण्डेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पांडेय, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलजार, श्री

गेंदासिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्यामदास, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरञ्जन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपालसिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवदत्त मिश्र,श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पांडेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
पद्मनाथसिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरीदयाल, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुट्टनराम, श्री
पुलिनबिहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपालसिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
फजलुल हक, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्तसिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री

बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मोतल, श्री
बिशम्बरसिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथप्रसाद सिंह, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपालसिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मक़सूद आलम ख़ां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनगोपाल उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखानसिंह, श्री
महमूद अली ख़ां, श्री (रामपुर)
महमूद अली ख़ां, श्री (सहारनपुर)
महाराजसिंह, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद, श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताकअली ख़ां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद तक़ी हादी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
महम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुराजसिंह, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रणञ्जय सिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रताप सिंह, राजा
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवधसिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलामसिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री

रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफत हुसैन, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह कश्यप, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लेखराजसिंह, श्री
बंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्राम राय, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
शंकरलाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजनराय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगलसिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवस्वरूपसिंह, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्रीनिवास पंडित, श्री
संग्रामसिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायणदत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सफ़िया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सहदेवसिंह, श्री
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरदास, श्री दीवान

सुन्दरलाल, श्री
सुरजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हनुमानप्रसाद मिश्र, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरखपाल सिंह, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्दसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुमसिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगणा, श्री
होतीलालदास, श्री

प्रश्नोत्तर

अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न

कानपुर में धारा १४४ का लागू रहना

*१—**श्री रामनारायण त्रिपाठी** (जिला फैजाबाद) (अनुपस्थित)—क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर शहर में पिछले दो वर्षों से लगातार क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा १४४ लागू है?

गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—जी नहीं।

स्टेट हैल्थ इन्श्योरेंस स्कीम के अधीन अस्पताल तथा उन पर व्यय

*२—**श्री भगवान सहाय** (जिला शाहजहांपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि (State Health Insurance Scheme) के अधीन इस समय कितने अस्पताल हैं और वे कहां-कहां स्थित हैं?

अन्न मंत्री के सभा सचिव (श्री बलदेवसिंह आर्य)—इम्प्लायज स्टेट इन्श्योरेंस के अधीन कुल १३ डिस्पेन्सरीज हैं और वे सब कानपुर में स्थित हैं। इसके अतिरिक्त वहां दो चलते-फिरते अस्पताल भी काम कर रहे हैं।

*३—**श्री भगवान सहाय**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस स्कीम पर इस समय कितना खर्च हो रहा है?

श्री बलदेवसिंह आर्य—इस समय इस योजना पर वार्षिक व्यय लगभग ५,७०,८०० रुपया है।

श्री भगवान सहाय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि स्टेट हेल्थ इन्श्योरेंस स्कीम के मातहत केन्द्रीय सरकार कितना रुपया देती है?

श्री बलदेवसिंह आर्य—इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)—क्या मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि इन अस्पतालों में कितने मरीज प्रतिवर्ष इलाज के लिये लिये जाते हैं या कितनों का लाज किया जाता है?

श्री बलदेवसिंह आर्य---यह अस्पताल आमतौर से उन क्षेत्रों में है जहां मजदूर रहते हैं और कितनों का इलाज होता है उसके आंकड़े इस समय हासिल नहीं हैं ।

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा (जिला झांसी)---इस योजना के तहत में किस आधार पर सरकार जिलों में अस्पताल खोलने का निश्चय करती है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---इस योजना के अनुसार किसी दूसरे जिले में अस्पताल खोलने की कोई योजना सरकार के सामने नहीं है।

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा---मेरा प्रश्न यह था कि सरकार किस आधार पर यह निश्चय करती है कि इस योजना के तहत में यह अस्पताल खोले जायं, वह सिद्धान्त क्या होते हैं ?

श्री अध्यक्ष---आपने जिलों के बारे में पूछा था उसका जवाब हो चुका।

श्री भगवान सहाय---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह १३ डिस्पेंसरीज़ पी० एम० एस० १ के चार्ज में हैं या पी० एम० एस० २ के चार्ज में हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---जी हां, पी० एम० एस० १ के चार्ज में हैं ।

श्री राधाकृष्ण अग्रवाल (जिला हरदोई)---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि इस स्कीम को और जिलों में भी लागू करने का विचार है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--- अभी किसी जिले से ऐसी मांग नहीं की गई है।

श्री राधाकृष्ण अग्रवाल---अगर किसी जिले से मांग आयेगी तो क्या सरकार उस पर विचार करेगी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---जो भी मांग सरकार के सामने आती है उस पर सरकार विचार करती है।

श्री भगवान सहाय---क्या यह बात सही है कि यह ५ लाख ७० हजार का जो खर्च होता है वह सेंट्रल गवर्नमेंट की सबसिडी है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---मैंने पहले ही बताया कि मेरे पास सूचना नहीं है और हो सकता है कि माननीय सदस्य की सूचना सही हो।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि यह अस्पताल स्टेट इन्श्योरेन्स ऐक्ट के अधीन खोले गये ह या जिन क्षेत्रों में वह ऐक्ट लागू होता है केवल वहीं खोले गये हैं ?

श्री बलदेवसिंह आय---मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूं कि जिन क्षेत्रों में मजदूरों की घनी आबादी है वहीं पर उनकी स्थापना की गई है।

श्री भगवान सहाय---क्या यह सही है कि उनमें कुछ कंट्रेक्ट मिल मालिकों का भी है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---वहां जो स्टेट हेल्थ इन्श्योरेंस कारपोरेशन है, वह कुछ परसेंट इसमें सहायता करता है।

श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी (जिला कानपुर)---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इसके फंड में मजदूरों का भी कुछ भाग लिया जाता है या उसको कुछ भाग दिया जाता है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--इसकी मुझे सूचना नहीं है।

श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह स्कीम कानपुर में कितने दिनों से लागू है?

श्री बलदेव सिंह आर्य -- यह तो कई वर्षों से लागू है।

शाहाबाद टाउन एरिया कमेटी द्वारा सड़क निर्माणार्थ सरकार से अनुदान एवं ऋण की मांग

*४--श्री कृष्णशरण आर्य (जिला रामपुर)---क्या स्वशासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रामपुर जिले के शाहाबाद टाउन एरिया को सड़क निर्माण तथा (drainage) निमित्त इस वर्ष सरकार की ओर से कितना-कितना धन अनुदान अथवा ऋण के रूप में दिया जाना निश्चित किया गया है?

स्वशासन मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)--टाउन एरिया कमेटी शाहाबाद ने सीमेंट कन्करीट की सड़कें बनाने के लिये ५,००० रुपये का अनुदान और इतने ही रुपये का ऋण सरकार से मांगा है। नालियां बनाने के लिये आर्थिक सहायता की कोई मांग नहीं आई। कमेटी की दोनों प्रार्थनायें सरकार के विचाराधीन हैं।

श्री कृष्णशरण आर्य--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि रामपुर जिले में एक ही टाउन एरिया ने आर्थिक सहायता इस वर्ष मांगी है?

श्री मोहनलाल गौतम--इसके लिये तो सूचना चाहिये कि किन-किन टाउन एरियाज़ में मांगी है या नहीं। लेकिन जिसने मांगी है उसे मैं बता सकता हूं।

श्री कृष्णशरण आर्य--सरकार इसका निर्णय कब तक कर सकेगी?

श्री मोहनलाल गौतम-- इसका निर्णय अभी हो रहा है।

बाढ़ से मनुष्यों तथा पशुओं की मृत्यु

*५--श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार को बाढ़ सम्बन्धी सूचना देने में पुरुष, स्त्री तथा पशुओं की मृत्यु संख्या का उल्लेख किया है? यदि हां, तो वह मृत्यु संख्या क्या थी?

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य)--केन्द्रीय सरकार को भेजी गई बाढ़ सम्बन्धी सूचना में बाढ़ के कारण मृत मनुष्यों तथा बाढ़ में बह जाने वाले पशुओं की संख्या का उल्लेख किया है, जो इस प्रकार है :--

मनुष्य--२४ बाढ़ से तथा १४ पहाड़ों में ज़मीन कटने के कारण।
पशु--२,०००।

श्री गेंदासिंह--क्या माननीय माल मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह सूचना केन्द्रीय सरकार को किस तारीख को भेजी गई और किस पत्रसंख्या के द्वारा?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--यह ३ सितम्बर, १९५४ का पत्र है। संख्या ४९८८। आई० एस०--१४०-५४।

श्री गेंदासिंह--क्या माननीय राजस्व मंत्री जी कृपा करके बतालायेंगे कि जो उत्तर उन्होंने बाढ़ के सम्बन्ध में २१ सितम्बर, १९५४ को इस सदन में दिया था, उसमें मृत्यु संख्या का जिक्र क्यों नहीं किया गया?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---माननीय सदस्य ने जो सप्लीमेंटरी पूछा था उसमें दिया गया था, यद्यपि संक्षेप में जवाब दिया गया था। पूरा पत्र नहीं रखा गया था। मृत्यु संख्या के सम्बन्ध में उनके सवाल में कोई बात नहीं थी, इसलिये जवाब में मृत्यु संख्या का कोई जिक्र नहीं किया गया, लेकिन केन्द्रीय सरकार को जो सूचना भेजी गई है उसमें यह चीज है।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह २४ मनुष्य जो मरे हैं वे किन-किन जिलों के हैं?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---गोरखपुर के २, खेरी के १४, झांसी के ३, गोंडा के २, बाराबंकी के ३ यह छपा हुआ विवरण भी निकल चुका है।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---क्या माननीय मंत्री जी के पास श्री शिव्रन लाल सक्सेना और माननीय गेंदासिंह ने भी कई बार मरे हुये लोगों की सूची भेजी है?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---जी नहीं, मुझे इसकी सूचना नहीं है।

श्री केशव पांडेय (जिला गोरखपुर)---क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि जो लिस्ट मृतकों की बतलाई गई है उसमें दो व्यक्ति गोरखपुर के हैं, वह कहाँ के हैं और कौन-कौन हैं?

श्री द्वारिकाप्रसाद मौर्य---अध्यक्ष महोदय, यह जो पत्र भेजा गया है केन्द्रीय सरकार को, उस पत्र से ही सवाल संबंधित था। यह ब्यौरा मेरे पास नहीं है और न इस सूचना की आवश्यकता है।

श्री गेंदासिंह---क्या माननीय राजस्व मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि २१ सितम्बर को जो उन्होंने उत्तर दिया था, मेरे सम्बन्ध में वह कह रहे हैं कि मैंने सप्लीमेंटरी पूछा था, मैंने सप्लीमेंटरी में संख्या पूछी थी और उस समय भी उन्होंने संख्या नहीं बतलायी थी?

श्री अध्यक्ष---यह तो आप विवाद शुरू कर रहे हैं। उन्होंने कह तो दिया कि नहीं दी थी।

तारांकित प्रश्न

लेप्रासी कंट्रोल स्कीम के अन्तर्गत कोढ़ियों व कुष्ट केन्द्रों को सरकारी सहायता

*१---श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में कोढ़ियों के केंद्र खोलने के लिये उसे केंद्रीय सरकार से इस वर्ष में कितना रुपया मिला है या मिलने वाला है?

श्री बलदेव सिंह आर्य---भारत सरकार की लेप्रासी कंट्रोल स्कीम (Leprosy control Scheme) के अनुसार देहरादून में एक ट्रीटमेंट तथा स्टडी सेन्टर (Treatment and Study Centre) पहली अक्तूबर, १९५४ से स्थापित करने के लिये संचालक, चिकित्सा व स्वास्थ्य सेवाएं, उत्तरप्रदेश, को आदेश भेजे जा चुके हैं। इस केन्द्र के निमित्त इस वर्ष में भारत सरकार से लगभग ८५,००० रु० का अनुदान मिलने की आशा है। इसके अतिरिक्त ट्रान्सपोर्ट के लिये मोटर तथा आवश्यक लेबोरेटरी (Laboratory) सामान का खर्च भी भारत सरकार देगी।

*२---श्री लक्ष्मणराव कदम---क्या सरकार झांसी में कोढ़ियों की संख्या को देखते हुये वहां कोई केन्द्र खोलने का विचार करेगी?

श्री बलदेवसिंह आर्य--झांसी में कोढ़ियों की चिकित्सा के हेतु केन्द्र खोलने के लिये सरकार के पास कोई प्रस्ताव अभी तक नहीं आया है । यदि कोई प्रस्ताव आयेगा तो सरकार उस पर विचार करेगी।

श्री लक्ष्मणराव कदम--क्या माननीय मंत्री जी इस सम्बन्ध में मेरा प्रस्ताव मानते हैं और उस पर विचार करने की कृपा करेंगे ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--जी हां, यदि आप नियमानुसार किसी प्रस्ताव को सरकार के पास भेजेंगे तो उस पर सरकार विचार कर सकती है ।

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा--क्या सरकार इस प्रदेश में जितने कोढ़ी हैं उनकी संख्या बतलाने की कोशिश करेगी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--क्या सरकार को मालूम है कि तीर्थ स्थानों पर, जो इस प्रदेश में हैं, विशेष कर कोढ़ियों की संख्या सब से ज्यादा है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--हां, यह माननीय सदस्य का कहना ठीक है कि तीर्थ स्थानों में कोढ़ियों की संख्या ज्यादा है किन्तु उसके आंकड़े इस वक्त मेरे पास उपलब्ध नहीं हैं।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--तो क्या सरकार इलाहाबाद, बनारस जैसे तीर्थ स्थानों में इन कोढ़ियों के लिये कम से कम सिगरेगेशन कैम्प खोलने के विषय पर विचार करेगी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--अभी तक ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के सामने नहीं है ।

श्री राधाकृष्ण अग्रवाल--क्या सरकार को ज्ञात है कि प्राय: हर छोटे-बड़े शहर में सैकड़ों की संख्या में कोढ़ी सड़कों पर बैठे रहते हैं और बीमारी फैलाते हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--जी हां, यह तो ठीक है।

श्री राधाकृष्ण अग्रवाल--तो क्या सरकार का कोई विचार इन कोढ़ियों को केन्द्रों में रखने का है और उनकी चिकित्सा के लिये केंद्र खोलने का है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं कि अभी तक कोई प्रस्ताव सरकार के सामने नहीं है । इन कामों को गैर सरकारी संस्थायें भी करती हैं और माननीय सदस्य अपने-अपने जिलों में ऐसा कोई संगठन स्थापित करें जिसके द्वारा इन कोढ़ियों का इलाज हो सके और उनके रहने की व्यवस्था की जा सके तो सरकार भी यथा-शक्ति सहायता देने के प्रश्न पर विचार कर सकती है।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--क्या सरकार कोढ़ियों के सम्बन्ध में और उनको अलग रखने की व्यवस्था वगैरह के सम्बन्ध में किसी कमेटी के बनाने का विचार करेगी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--अभी तक कोई विचार नहीं है।

श्रीमती अब्दुल वाजिद (जिला बरेली)--क्या सरकार का इरादा म्युनिसिपिल बोर्ड्स की और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स वगैरह से कोई मदद लेने का है ?

श्री मोहनलाल गौतम--मैं माननीय उन सदस्यों की सहायता चाहूंगा जो कि चेयरमैनों के बहुत नजदीक हैं। वह चेयरमैनों को इसके लिये प्रेरित करें।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)--क्या सरकार बाबाराघव दास की जो स्कीम पूर्वी जिलों में चल रही है, जो कोढ़ियों का अस्पताल उन्होंने खोला है, उसमें सहायता करने का विचार रखती है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---जी हां, यदि बाबाराघव दास कोई प्रार्थना-पत्र सरकार के पास भेजेंगे तो उस पर बिचार किया जा सकता है।

खाद्य व रसद विभाग के छटनी में आये हुये कर्मचारी

*३---श्री गजेन्द्रसिंह (जिला इटावा)---क्या अन्न मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि सिविल सप्लाई व खाद्य विभाग के कितने नान-गजटेड कर्मचारियों की अभी तक छटनी की गई ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---८,११४ ।

*४---श्री गजेन्द्रसिंह---छटनी किये गये कितने व्यक्तियों को सरकार के विभिन्न विभागों में जगह दी गई ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---६१७।

श्री गजेन्द्रसिंह---क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जो लोग सर्विसेज से निकाले गये हैं वह कितने दिनों से सर्विस में थे ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---इनमें से अधिकांश तो जब से कंट्रोल शुरू हुआ था तब से सर्विसेज में थे और कुछ बीच में रखे गये और उसी हिसाब से उनका उनका रिट्रेंचमेंट किया गया है।

श्री गजेन्द्रसिंह---क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इनको जो नौकरियां दी गई हैं, किन-किन विभागों में दी गई हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---इसकी तो सूचना नहीं है कि किन किन विभागों में दी गई हैं। सिर्फ मेरे पास तो वे आंकड़े हैं जो मैंने आप के सामने पढ़ दिये।

श्री गेंदासिंह---क्या मंत्री जी को इनकी जानकारी है कि रेलवे में जिस समय इस विभाग के लोग जाते है तो उनकी नौकरी की यह अवधि जो उन्होंने राशनिंग में काम किया है, उसको नहीं जोड़ा जाता ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---जी हां, रेलवे का विभाग केन्द्रीय सरकार का विभाग है, और हमारी सरकार ने जो आदेश ऐसे छटनी के कर्मचारियों का फिर से दूसरे विभागों में नियुक्त करने के लिये जारी किये हैं, वह तो प्रदेशीय सरकार के विभागों ही तक लागू होते हैं।

श्री गेंदासिंह---क्या यह सरकार केन्द्रीय सरकार से इस बात के लिये प्रार्थना करेगी कि वह उस अवधि को भी उनकी नौकरी में जोड़ लें ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---जी हां, यदि सरकार आवश्यक समझेगी तो इसके लिये केंद्रीय सरकार को लिखेगी।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि सिविल सप्लाइज विभाग के रिट्रेंच्ड इम्प्लायीज खासकर जो क्लर्की का काम करते थे, उन लोगों को जब कभी प्रदेश के दूसरे विभागों में काम करने के लिये जाना पड़ता है तो उनको भी इम्तहान देना पड़ता है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---जी हां, उन विभागों में जो साधारण नियम भर्ती के होंगे उनके मुताबिक उनकी भी परीक्षा होती होगी।

श्री गंगाप्रसादसिंह (जिला बलिया)---क्या यह सही है कि ये छंटे हुये जो राशनिंग के कर्मचारी हैं इनमें ए और बी की कैटेगरी बनायी गयी है ? यदि हां, तो ए और बी में अलग-अलग कितनी संख्या है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---जी हां। छंटनी में आये हुये कर्मचारी ए, बी और सी तीन कैटेगरीज में विभाजित हैं। लेकिन यह कहना इस समय सम्भव नहीं है कि कौन कितनी तादाद में किस कैटेगरी में रखे गये थे ?

श्री मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री (जिला गोंडा)---क्या गवर्नमेंट मेहरबानी फर्मा कर बतायेगी कि ए, बी और सी को ख़त्म करके जितने प्रकार के मुलाजिमीन हैं उनको एक दर्जे में रखने के लिये विचार कर रही है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---कैटेगरी तो इसलिये बनायी गई है कि जैसा जिसका विभाग में कार्य रहा है, उसकी एफिसियेंसी, आनेस्टी और कितनी अच्छी तरह से वह काम करता रहा, इसके आधार पर कैटेगरी फिक्स की गयी है। इसलिये उनको एक कैटेगरी में रखने का कोई प्रश्न पैदा नहीं होता।

श्री मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री---क्या गवर्नमेंट सिविल सप्लाईज के निकले हुये मुलाजमीन को अगर वह दूसरे किसी विभाग में जायं तो इम्तहान से और इंटरव्यू से मुस्तस्ना करेगी?

श्री बलदेव सिंह आर्य---जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि इसके लिये विभागों के जैसे नियम हैं उन्हीं नियमों के मुताबिक वे इन रीट्रेंच्ड इम्प्लाईज को भी लेते ह। सरकार की ओर से हर विभाग के लिये आदेश है कि नौकरी देते समय इन लोगों को प्राथमिकता दी जाय।

श्री मिहीलाल (जिला मुरादाबाद)---क्या माननीय मंत्री महोदय, बताने की कृपा करेंगे कि जो लोग नौकरी से निकाल दिये गये हैं, वह बेरोजगार हैं, और भूखों से और मर रहे हैं, उनके लिये सरकार क्या सोच रही है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---जैसा कि मैंने माननीय सदस्यों को बता चुका हूं कि सरकार ने एक राजाज्ञा निकाल कर समस्त विभागों को आदेश दिया है कि जो छंटनी में सिविल सप्लाईज विभाग के कर्मचारी आ गये हैं उनको अपने विभागों में जब कभी कोई वैकेंसी हो तो प्राथमिकता उनको दी जाय और उनको वह अपने विभागों में लेने का प्रयत्न करें।

*५-६---**श्री बद्रीनारायण मिश्र** (जिला देवरिया)---[स्थगित किये गये।]

वनस्पति घी की खपत व उससे आय

*७-**श्री वीरेन्द्र वर्मा** (जिला मुजफ्फरनगर) (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में १९५३-५४ ई० में वनस्पति तेल (घी) के कितने-कितने और कहां-कहां कारख़ाने थे ?

अन्न मंत्री (श्री चन्द्र भानु गुप्त)---उत्तर प्रदेश में वनस्पति तेल (घी) के चार कारख़ाने हैं जिनमें दो गाजियाबाद में, एक मोदीनगर में तथा एक कानपुर में हैं।

*८-**श्री वीरेन्द्र वर्मा** (अनुपस्थित)---सरकार को प्रदेश के वनस्पति घी के कारख़ानों से प्रति वर्ष टैक्स द्वारा कितनी आय होती है और क्या सरकार किसी प्रकार की कोई सहायता (subsidy) इन कारख़ाने वालों को देती है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---इन कारख़ानों से केवल बिक्री-कर प्रान्तीय सरकार द्वारा वसूल किया जाता है। जिससे सरकार को प्रति वर्ष लगभग साढ़े दस लाख रु० की आय होती है। प्रान्तीय सरकार इन कारख़ाने वालों को कोई सहायता (subsidy) नहीं देती।

*९—श्री वीरेन्द्र वर्मा (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में उत्पन्न हुये क्या सभी वनस्पति घी की खपत प्रदेश में ही हो जाती है अथवा surplus दूसरे प्रदेशों को भी भेजा जाता है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इसका ठीक-ठीक विवरण तो ज्ञात नहीं है, क्योंकि थोड़ा भाग उत्तर प्रदेश में उत्पन्न हुये वनस्पति घी अन्य प्रान्तों को भेजा जाता है और अन्य प्रान्तों में स्थित कारखानों में उत्पन्न वनस्पति घी भी उत्तर प्रदेश में बिकता है ।

जौनपुर की गांव सभाओं तथा अदालती पंचायतों के प्रधानों की मुअत्तली

*१०—श्री बाबूनन्दन (जिला जौनपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला जौनपुर में सन् १९५४ ई० से अब तक कुल कितनी गांव सभा तथा अदालत पंचायत से सभापति तथा सरपंच किन-किन कारणों से मुअत्तल तथा बरखास्त किये गये हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम—जिला जौनपुर में सन् १९५४ में अब तक एक प्रधान तथा १० सरपंच मुअत्तल किये गये हैं जिनमें से एक सरपंच बहाल हो गये हैं । मुअत्तल सरपंचों और प्रधान में से—

४ सरपंच अवैधानिक कार्यवाही करने के कारण,

१ सरपंच कत्ल करने के अभियोग में फरार होने के कारण,

१ सरपंच घूसखोरी के अभियोग में,

१ सरपंच परगनाधीश की रिपोर्ट पर,

१ सरपंच गंभीर आरोपों के कारण,

१ सरपंच जांच तथा निरीक्षण के लिये निश्चित स्थान पर न आने के कारण, तथा

प्रधान भारतीय दंड विधान संग्रह की धारा १४७, ३२३, ३७९ और ३३२ के अधीन मुकदमा चलाये जाने के कारण, मुअत्तल है ।

कोई सरपंच या प्रधान अब तक बरखास्त नहीं हुआ है ।

*११—श्री बाबूनन्दन—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कितने नये चुनाव उपर्युक्त सभापति तथा सरपंचों के हुये ?

श्री मोहनलाल गौतम—चूंकि कोई सरपच या प्रधान बरखास्त नहीं हुआ है अतः यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री बाबूनन्दन—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि मुअत्तली का कोई सीमित समय भी है जिसके अन्दर जांच-पड़ताल करके उचित कार्यवाही की जा सकती है ?

श्री मोहनलाल गौतम—आदेश यही है कि जल्द से जल्द कार्यवाही की जाय और मुअत्तली को या तो खत्म कर दिया जाय या उस पर सजा दे दी जाय ।

श्री बाबूनन्दन—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो सरपंच मुअत्तल किये गये हैं उनके स्थान पर कार्य करने के लिये कोई व्यवस्था की गई है ?

श्री मोहनलाल गौतम—जी हां, व्यवस्था है ।

श्री बाबूनन्दन—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह मुअत्तलियां कब से की गयीं हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम—११ आदमी हैं और सब की अलग-अलग तारीखें हैं ।

श्री गेंदासिंह---जो सरपंच मुकदमें के सिलसिले में मुअत्तल किये गये हैं वे मुक़दमा फैसला होने के पहले मुअत्तल किये गये या बाद में ?

श्री मोहनलाल गौतम---वे दौरान मुकदमा मुअत्तल हुये हैं । एक साहब फ़रार हैं वह भी मुअत्तल हैं।

श्री गेंदासिंह---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो सरपंच साहब मुअत्तल हैं उनके ऊपर चार्जशीट लग चुकी है या नहीं ?

श्री मोहनलाल गौतम---मेरी सूचना यह है कि न्यायालय में यह विचाराधीन है । अब किस स्टेज पर है इसके लिये मैं सूचना चाहता हूं।

नेमडाड़, जिला आजमगढ़ में अदालती सरपंचों के चुनाव

*१२---श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या स्वशासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला पंचायत अधिकारी आजमगढ़ के पास अदालत पंचायत नेमडाड़ के सरपंच के चुनाव के विरुद्ध कोई शिकायत आई है ?

श्री मोहनलाल गौतम---जी हां।

*१३---श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या स्वशासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा नेमडाड़ के दो अदालती पंचों का चुनाव अब तक नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री मोहनलाल गौतम---केवल एक अदालती पंच का चुनाव अभी तक नहीं हो पाया है कारण कि उप-चुनाव की निश्चित तिथि १९-५-५४ को कोई उम्मीदवार इस पद के लिये खड़ा नहीं हुआ।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अदालती पंच नेमडाड़ के खिलाफ किन लोगों की दरख्वास्तें थीं और क्या शिकायतें थीं ?

श्री मोहनलाल गौतम---यह जो खाली जगह हुई है इसमें सिर्फ अब्दुल्ला अन्सारी साहब, गांव सभा नेमडाड़ की थी और किसी की शिकायत हमारे पास नहीं आयी है ।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय---क्या यह सही है कि वहां के सभापति ने यह शिकायत की है कि बिना इत्तला दिये अदालती पंच का चुनाव कराया गया ?

श्री मोहनलाल गौतम---इसकी सूचना चाहिये ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या यह सही है कि जिस अबदालती पंच का चुनाव कराया गया उसके पहले कोई अदालती पंच और मर चुका था, उसका चुनाव न करा कर दूसरे का चुनाव कराया गया ?

श्री मोहनलाल गौतम---वहां के असगर अली नजर की मृत्यु २३-२-५३ को हुई थी और कन्हैया लाल मिश्र की मृत्यु ११-३-५३ को हुई थी और इन्हीं तारीखों में ये पद रिक्त हुये । चूंकि मिश्र सरपंच थे इस लिये उनकी सूचना पहले मिल गयी और सरपंच का चुनाव हो गया और पंच के लिये कोई नामिनेशन पेपर नहीं आया इस लिये उसका चुनाव भी नहीं हो पाया।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या यह सही है कि जो पंच फरवरी में मरे उनकी जगह का चुनाव करा लिया गया और जो जनवरी में मरे उनकी जगह का चुनाव नहीं कराया गया ?

श्री अध्यक्ष---इसका जवाब दिया जा चुका है।

जिला जौनपुर की शाहगंज तहसील में पंचायत भवनों तथा गांधी चबूतरों का निर्माण

*१४--श्री बाबूनन्दन--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि शाहगंज तहसील जिला जौनपुर में कितने नये पंचायत भवन तथा गांधी चबूतरे जनता के हितार्थ निर्माण किये गये हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम--१८ पंचायत भवन तथा २३७ गांधी चबूतरे निर्मित किये गये हैं।

श्री बाबूनन्दन--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वहां के निर्माण कार्य का पता सरकार को रहा और सरकार की तरफ से किस हद तक सहायता दी गई ?

श्री मोहनलाल गौतम--यह इतने डिटेल्स का सवाल है कि २३७ गांधी चबूतरे और १८ पंचायतघरों के बारे में है। ये आंकड़े इस समय मेरे पास नहीं हैं।

श्री शिवनारायण--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गांधी चबूतरा बनवाने के लिये प्लानिंग विभाग से भी सहायता दी जाती है ?

श्री मोहनलाल गौतम--बहुत कम। कोई विशेष परिस्थिति हो तो शायद। नहीं तो नहीं।

सिकन्दराराऊ, जिला अलीगढ़ के पंचायत इन्स्पैक्टर द्वारा जन्म-मृत्यु रजिस्टर न भरने की शिकायत

*१५--श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--क्या यह सही है कि सिकन्दराराऊ अलीगढ़ के पंचायत इंस्पेक्टर के हल्के में जन्म-मृत्यु रजिस्टर पिछले १४ महीनों में कतई नहीं भरे गये हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम--जी नहीं।

हमीरपुर जिले में ग्राम पंचायत बुधवारा के प्रधान की नियुक्ति

*१६--श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)--दिनांक १०-३-५४ के प्रश्न संख्या २९ के उत्तर के सम्बन्ध में क्या स्वशासन मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि वह प्रधान का स्थान कब से रिक्त है ? क्या उसकी पूर्ति किसी चुनाव द्वारा हो गई है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं , तो कब तक हो जायेगी ?

श्री मोहनलाल गौतम--अक्तूबर, १९५३ से रिक्त था परन्तु अब रिक्त नहीं है। जी हां।

रिक्त पद की पूर्ति उप-चुनाव द्वारा दिनांक २९ अप्रैल, १९५४ को हो गई है।

श्रीनगर, जिला हमीरपुर में सरकारी ऐलोपैथिक अस्पताल

*१७--श्री जोरावर वर्मा--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि श्रीनगर, जिला हमीरपुर में सरकारी ऐलोपैथिक औषधालय कब तक खुल जायेगा ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--जब अस्पताल की पूरी इमारत बन जायगी।

*१८--श्री जोरावर वर्मा-- क्या सरकार को मालूम है कि इस औषधालय के लिये श्रीनगर की ग्रामसभा ने एक विस्तृत और पक्की बिल्डिंग बनवा ली है जिसमें डाक्टर और कम्पाउन्डर के रहने के स्थान भी हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--इमारत अभी बन रही है। स्टाफ के क्वार्टर अभी अधूरे हैं।

श्री जोरावर वर्मा--क्या सरकार बतायेगी कि बिल्डिंग के बनाने में अभी तक कितना रुपया खर्च हुआ और आगे कितना रुपया खर्च होगा ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--यह अस्पताल भवन स्थानीय श्रीनगर ग्राम सभा की ओर से बन रहा है। इसलिये यह नहीं कहा जा सकता कि इस पर कुल कितना रुपया खर्च हुआ ?

श्री जोरावर वर्मा--क्या सरकार ग्राम सभा को प्रोत्साहित करने के लिये कुछ मदद करने की कृपा करेंगी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--अगर ग्राम सभा सरकार के पास कोई ऐसा प्रस्ताव भेजेगी तो उस पर सरकार विचार करेगी।

श्री जोरावर वर्मा--क्या सरकार को मालूम है कि श्रीनगर के लगभग दस मील के सर्किल में कोई सरकारी अस्पताल नहीं है ?

श्री अध्यक्ष--यह तो आप उल्टा चल रहे हैं। वहां अस्पताल बनने की तैयारी हो रही है और आप आवश्यकता का प्रश्न पूछ रहे हैं।

श्री जोरावर वर्मा--क्या सरकार वहां के अस्पतालों की आवश्यकता को समझते हुये उसको अपने अधिकार में लेने की कृपा करेगी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--जब ये इमारतें बन जायेंगी तब सरकार इस प्रश्न पर विचार करेगी।

झांसी जिले में सीमेंट का वितरण

*१६--श्री रामसहाय शर्मा (जिला झांसी) (अनुपस्थित)--क्या सरकार को पता है कि जिला झांसी में सीमेंट कई माह से जनता को नहीं दिया गया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--यह सही नहीं है। जनवरी, १६५४ से अगस्त, १६५४ तक प्रतिमास जितने सीमेंट का वितरण हुआ उसका विवरण इस प्रकार है :--

	बोरे
जनवरी, १६५४	७३६०
फरवरी, ,, ...	८२०
मार्च, ,, ...	५७२०
अप्रैल, ,, ...	२७२०
मई, ,, ...	१३००
जून, ,, ...	११२०
जुलाई, ,, ...	२२२०
अगस्त, ,, ...	५६००

*२०--श्री रामसहाय शर्मा (अनुपस्थित)--क्या सरकार को मालूम है कि सीमेंट न मिलने के कारण यहां के विकास योजना के कार्यों का काम बन्द पड़ा है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--यह सही नहीं है।

*२१--श्री रामसहाय शर्मा (अनुपस्थित)--क्या सरकार विकास योजना के क्षेत्र को सीमेंट देने का प्रबन्ध शीघ्र करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--प्रश्न नहीं उठता।

जिला आगरा की पिनाहट-पापरीनगर सड़क

*२२--श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी (जिला आगरा)--क्या सरकार पिनाहट-पापरी नगर रोड जिला आगरा को शीघ्र पक्का करने का विचार रखती है ?

श्री मोहनलाल गौतम--ऐसा कोई प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

*२३--श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी--क्या सरकार को विदित है कि वह सड़क व्यापारिक और सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और राजस्थान सरकार ने अपनी हद में इसको पक्का कर लिया है ?

श्री मोहनलाल गौतम--जी हां।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी--क्या सरकार को विदित है कि इस सड़क के पक्का करने की सिफारिश प्लानिंग कमेटी और डेवलपमेंट कानफ्रेंस दोनों ने की है ?

श्री मोहनलाल गौतम--इस समय स्थिति यह है कि यह सड़क पहले गवर्नमेंट ने अपने प्लान में ली थी लेकिन कुछ सड़कें जब वापस की गयीं तो उसमें से एक सड़क यह भी है, जो जिला बोर्ड को वापस की गयी। जिला बोर्ड ने अभी वापस नहीं ली है। इसलिये यह सड़क एक तरह से किसी के चार्ज में नहीं है। इसलिये विचार हो रहा है, जब यह फैसला हो जाय तो प्रश्न उठेगा कि कौन इसको ठीक करवाये।

गोरखपुर की बिल्डिंग मेटीरियल डिस्ट्रीब्यूशन ऐडवाइजरी कमेटी

*२४--श्री इस्तफा हुसैन (जिला गोरखपुर)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि उसने प्रत्येक जिला में Building Material Distribution Advisory Committee बनाई है ? यदि हां, तो गोरखपुर कमेटी के कौन-कौन सदस्य हैं ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--जी हां। सदस्यों की सूची सदस्य के मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २२५ पर।)

*२५--श्री इस्तफा हुसैन--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर कमेटी की कितनी बैठक अब तक हुई ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--जिले की समिति २७ जुलाई, १६५४ की पुर्नानिमित हुई। इसकी पहली बैठक अक्तूबर के प्रथम सप्ताह को रक्खी गयी है।

श्री इस्तफा हुसैन--क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि जिले में हाउसिंग कमेटी है तो उस कमेटी और बिल्डिंग मेटीरियल डिस्ट्रिब्यूशन एडवायजरी कमेटी में क्या सम्बन्ध है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--जिस कमेटी के बारे में आपको उत्तर दिया उसी कमेटी के बारे में बतला सकता हूं। हाउसिंग कमेटी के क्या फंक्शंस हैं उसके बारे में सवाल पूछा नहीं गया है। इसलिये मेरे पास कोई मेटिरियल उसके बारे में नहीं है।

श्री अध्यक्ष--अगर कोई नई चीज आ जाय तो आप सूचना मांग सकते हैं।

श्री इस्तफा हुसैन---क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि इस कमेटी ने अब तक कोई अपनी मीटिंग क्यों नहीं की ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---जैसा कि मैंने बतलाया इसकी पहली मीटिंग अक्तूबर के प्रथम सप्ताह में होने वाली है, उसके पहले क्यों न हुई यह तो वहां के जिलाधीश ने स्थिति को जैसा देख कर मुनासिब समझा होगा वैसा किया।

मऊ म्युनिसिपल बोर्ड, जिला आजमगढ़ के चैयरमैन श्री आबदी की मअत्तली

*२६---श्री व्रजविहारी मिश्र (जिला प्रतापगढ़) (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मऊ म्युनिसिपल बोर्ड जिला आजमगढ़ के चेयरमैन श्री आब्दी जब कि उनके विरुद्ध एलेक्शन पिटीशन चल रहा है क्यों मुअत्तल किये गये ?

श्री मोहनलाल गौतम---उनके विरुद्ध प्रत्यक्षतः ऐसे गम्भीर आरोप थे जिनके कारण उनके पृथक कर दिये जाने की सम्भावना थी। अतएव जब तक उन आरोपों की जांच पूरी न हो जाय, उन्हें मुअत्तल करना आवश्यक समझा गया।

*२७---श्री व्रजविहारी मिश्र (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उनके विरुद्ध कौन-कौन से चार्ज रहे और उनमें कुछ साबित हुआ ? यदि हां, तो कौन-कौन से ?

श्री मोहनलाल गौतम---आरोपों की सूची सदस्य महोदय की मेज पर रक्खी है। जाँच के फलस्वरूप तथ्य शासन को विदित हुये हैं, उनसे ऐसा प्रतीत होता है कि इन आरोपों में से अधिकांश सिद्ध पाये जाते, किन्तु इसी बीच में आब्दी का चुनाव एलेक्शन ट्रिब्यूनल द्वारा रद्द कर दिये जाने के कारण इन आरोपों पर अन्तिम निर्णय नहीं लिया है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ २२६-२२७ पर।)

*२८---श्री व्रजबिहारी मिश्र (अनुपस्थित)---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि सरकार ने उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का निश्चय किया है ?

श्री मोहनलाल गौतम---यह प्रश्न अभी विचाराधीन है।

आजमगढ़ जिले में सरकारी एवं सहायता-प्राप्त चिकित्सालय

*२९---श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार बतायेगी कि आजमगढ़ जिले में सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त चिकित्सालय कितने और कहां कहां हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---आजमगढ़ जिले के चिकित्सालयों की संख्या तथा उनके स्थान निम्न प्रकार हैं :--

एलोपैथिक (सरकारी)

(१) खरेवां, (२) अतरौलिया, (३) प्रसरामपुर, (४) फूलपुर, (५) रसूलपुर, (६) खनरोरा, (७) आजमगढ़।

आयुर्वेदिक (सरकारी)

(१) कमल सागर, (२) ठेंकमा, (३) करमी, (४) गोकुलपुरा, (५) महराजगंज, (६) सिधाह, (७) दीदारगंज, (८) रौनापर, (९) बांसगांव, (१०) कोपागंज, (११) देवगांव,

यूनानी (सरकारी)

(१) अंजान शहीद, (२) मोहम्मदपुर, (३) कोयलसा, (४) मेहनगर,

एलोपैथिक (सहायता प्राप्त)

(१) घोसी, (२) खाजा, (३) मुबारकपुर, (४) मेहनाजपुर ।

आयुर्वेदिक एवं यूनानी (सहायता प्राप्त)

(१) अम्बारी--श्री रामचन्द्र सुमेर यादव, श्री कृष्ण औषधालय,
(२) कैप्टनगंज--श्री विष्णुदत्त मिश्र द्वारा परिचालित ।
(३) विद्वाल--श्री मुस्तफा अहमद द्वारा परिचालित,
(४) मुस्तफाबाद--श्री एजाज अहमद द्वारा परिचालित ।
(५) कैप्टनगंज--श्री मुत्तसिन बिल्लाह द्वारा परिचालित ।
(६) बाजार गुसाई--श्री मंजूर अहमद द्वारा परिचालित ।
(७) लाटघाट--आयुर्वेदिक
(८) जहांगीरपुर--यूनानी ।

इसके अतिरिक्त जिला बोर्ड आजमगढ़ के भी ४ औषधालय हैं जो निम्न प्रकार हैं:-

(१) अहरोला, (२) लालगंज, (३) महमदाबाद, (४) मऊनाथ भंजन ।

*३०--श्री झारखंडेराय--क्या चालू अथवा आगामी पंचवर्षीय योजना में नये अस्पताल आजमगढ़ में खोलने का सरकार का विचार है ? अगर हां, तो किन किन जगहों पर ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--चालू पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत एक सरकारी आयुर्वेदिक अस्पताल आजमगढ़ जिले के देवगांव नामक स्थान पेखोला गया है । एक एलोपैथिक अस्पताल मधुबन क्षेत्र में रोमा स्थान पर खोलने का निर्णय हो चुका है । आगामी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत किन जगहों पर अस्पताल खुलेंगे । यह अभी निश्चय नहीं किया है ।

श्री झारखंडेराय--क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि जो सरकारी सहायता दी जाती है उसका सदुपयोग हो रहा है इसकी जांच पड़ताल के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--सरकार को तो कोई ऐसी सूचना है नहीं कि दुरुपयोग हो रहा है । वहां पर जिले में डी० एम० ओ०एच० और सिविल सर्जन हैं जो बराबर देखरेख करते हैं, इसलिये यह सवाल पैदा नहीं होता कि जो सहायता दी जाती है उसका दुरुपयोग हो रहा है ।

श्री झारखंडेराय--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन दो स्थानों पर फाइव ईयर प्लान में अस्पताल खोलने का विचार है? उनके अतिरिक्त और जगहों से भी अस्पताल खोले जाने के बारे में दरख्वास्तें आयी थीं? यदि हां, तो उन पर क्या विचार किया गया ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी ।

फैजाबाद जिला बोर्ड के अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव

*९३--श्री अवधेशप्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)--क्या यह सच है कि अध्यक्ष, जिला बोर्ड, फैजाबाद के प्रति अविश्वास का प्रस्ताव पास हुए ५ महीने से अधिक हो गये हैं ? यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या किया है ?

श्री मोहनलाल गौतम--जिला बोर्ड, फैजाबाद के अध्यक्ष के प्रति अविश्वास का प्रस्ताव २१ मार्च, १९५४ को पारित हुआ था । २६ मार्च को अध्यक्ष ने सरकार से निवेदन किया कि प्रस्ताव अवैधानिक था और यह कि बोर्ड विघटित कर दिया जाय । सरकार इस पर विचार कर रही थी कि इसी बीच श्री गुलाम नबी ने सिविल जज, फैजाबाद के न्यायालय में मुकदमा चला दिया जिसमें उक्त प्रस्ताव को अवैधानिक घोषित करने के लिये निवेदन किया गया है ।

न्यायालय ने यह आज्ञा दी है कि मुकद्दमा फैसला होने तक बोर्ड के वर्तमान संघटन में कोई परिवर्तन न किया जाय । इस कारण अभी सरकार उस प्रस्ताव पर कोई भी कार्यवाही नहीं कर सकती है ।

श्री अवधेशप्रताप सिंह---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सिविल जज महोदय ने किस तारीख को विशेष आज्ञा जारी की थी और किस तारीख को तामील हुयी ?

श्री मोहनलाल गौतम---यह ६ अगस्त, १९५४ को आज्ञा दी गयी थी ।

श्री गेंदासिंह---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मार्च के बाद चेयरमैन महोदय को क्यों नहीं हटाया गया ?

श्री मोहनलाल गौतम---इसलिये कि उसमें कुछ कानूनी प्रश्न पैदा हो गया और चेयरमैन साहब ने यह कहा कि क्योंकि विश्वास का प्रस्ताव आ चुका है इसलिये ६ महीने के भीतर दूसरा कोई प्रस्ताव उसको रद्द करने के लिये नहीं आ सकता है और अविश्वास का प्रस्ताव विश्वास के प्रस्ताव को रद्द करता है या नहीं, इस पर कानूनी राय ली गयी । चेयरमैन को यह अधिकार है कि अगर अविश्वास का प्रस्ताव हो तो सरकार से प्रार्थना करें कि बोर्ड को भंग कर दिया जाय । लेकिन बोर्ड के भंग करने से पहले सारी चीज पर विचार करना जरूरी है । इसलिये यह कानूनी मसला पेश हुआ और हमें अपने यहां की हाईऐस्ट लीगल अथारिटी की राय लेने में कुछ वक्त लग ही जाता है ।

श्री अवधेशप्रताप सिंह---क्या सरकार इस टेम्पोरेरी इंजक्शन के विरुद्ध अपील करने का विचार कर रही है ?

श्री मोहनलाल गौतम---यह तो बोर्ड और प्रेसीडेंट के बीच का सवाल है और जिलाधीश को हिदायत दी गयी है कि उसमें पैरवी करें ।

कपड़े के व्यापार के लिये लाइसेंस फीस

*३२---श्री विश्राम राय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कपड़ा बेचने के लिये कितनी लाइसेंस फीस हर व्यापारी को देनी पड़ती है ? क्या सरकार आज की कपड़े की उत्पादन की स्थिति में मौजूदा लाइसेंस फीस को तोड़ने की व्यवस्था करने जा रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---

इम्पोर्टर	२०० रु०
सेलिंग एजेन्ट	२०० रु०
कमीशन एजेन्ट	२०० रु०
होलसेलर	१०० रु०
रिटेलर	५० रु०
हाकर	१० रु०

जी नहीं ।

*३३-३४---श्री शिवनारायण---[स्थगित किये गये ।]

पहाड़ पानी, जिला नैनीताल स्थान में एलोपैथिक अस्पताल की मांग

*३५---श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---क्या सरकार के पास पट्टी चौमंसी, जिला नैनीताल के लोगों की मांग आयी है कि इलाके के केन्द्र स्थान पहाड़ पानी में कोई एलोपैथिक अस्पताल खोला जाय ? अगर हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--जी हां, किन्तु वहां पर आवश्यकतानुसार भवन की व्यवस्था न होने के कारण यह प्रश्न अभी स्थगित कर दिया गया है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इस प्रश्न पर विचार जो स्थगित किया गया है वह कब तक समाप्त हो जायगा और कब तक यह अस्पताल खुल जायगा ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--जब तक वहां पर भवन नहीं मिलेगा वह नहीं खुल सकता है। इस बात की कोशिश की गयी कि वहां पर कोई मकान किराये पर मिल जाय किन्तु किराये पर कोई मकान नहीं मिला और न पब्लिक ने कोई भवन निर्माण कराया। इसलिये जब तक भवन की सुविधा नहीं होगी अस्पताल का खुलना कठिन है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या वहाँ पर भवन किराये पर मिलने पर अस्पताल खोल दिया जायगा ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--जी हां, इसके लिये प्रस्ताव जिला एडवाइजरी कमेटी की तरफ से आयेगा तो उस पर विचार किया जायगा ?

पी० एम० एस० प्रथम श्रेणी के अस्पतालों को द्वितीय श्रेणी में रखना

*३६--श्री भगवान सहाय--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस समय राज्य में कितने P. M. S. प्रथम श्रेणी के अस्पताल हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--१०९।

*३७--श्री भगवान सहाय--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वह कौन से अस्पताल हैं जो इस साल Economy measure में P. M. S. प्रथम से P. M. S. द्वितीय कर दिये गये हैं, ये अस्पताल कहां कहां स्थित हैं ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--ऐसे अस्पताल निम्नलिखित हैं :--

१--भिंगा, जिला बहराइच।
२--पयागपुर, जिला बहराइच।
३--कोंच, जिला जालौन।
४--मऊ रानीपुर, जिला झांसी।
५--आंवला, जिला बरेली।
६--कर्वी, जिला बांदा।

श्री भगवान सहाय--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जिन अस्पतालों को पी०एम० एस० प्रथम से द्वितीय किया गया है वह किस आधार पर किया गया है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--यह तो साफ है कि इकोनामिक मेजर पर इन अस्पतालों को पी० एम० एस० प्रथम से द्वितीय किया गया है।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुना--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इन अस्पतालों का इक्विपमेंट और देखभाल उसी तरह की रखी गयी है जैसी पहले थी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--जी हां, उसी प्रकार का स्टाफ और प्रबन्ध सब उसीतरह से है।

*३८-३९--श्री नारायणदत्त तिवारी--[स्थगित किये गये।

*४०--श्री वासुदेवप्रसाद मिश्र (जिला कानपुर)--[स्थगित किया गया।]

गांव तथा न्याय पंचायतों के चुनाव

*४१--श्री बलभद्रप्रसाद शुक्ल (जिला गोंडा)--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि गांव सभाओं और न्याय पंचायतों का चुनाव वह कब कराने जा रही है ?

श्री मोहनलाल गौतम--गांव सभाओं का तो चुनाव नहीं होता, हां, गांव पंचायतों तथा न्याय पंचायतों का चुनाव पंचायतराज (संशोधन) विधेयक, १९५४ पास होने पर तथा तदंतर्गत नियमों के बनने पर यथाशीघ्र कराया जायगा ।

*४२--श्री बलभद्रप्रसाद शुक्ल--क्या स्वशासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि गांव पंचायतों में मतदाताओं की सूची पुनः संशोधित होकर कब तक गांव सभाओं को दे दी जायगी ?

श्री मोहनलाल गौतम--गांव सभाओं में मतदाताओं की सूची भी पंचायत राज संशोधन विधेयक, १९५४ लागू होने पर तथा तदंतर्गत नियम बनने पर ही संशोधन करके उनको दी जा सकेगी ।

श्री बलभद्रप्रसाद शुक्ल--क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि मतदाताओं की सूची गांवों में किसके द्वारा बनवायी जायगी ?

श्री मोहनलाल गौतम--अब तो इरादा यह है कि जो वोटर की लिस्ट असेम्बली की है उसी को गांवों के लिये बना दिया जाय और कोशिश यह की जाय कि किसी वोटर लिस्ट को गांव पंचायतों के लिये, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्युनिसिपल बोर्ड, असेम्बली और पार्लियामेंट के चुनावों के लिये मान लिया जाय । इस बात का प्रयत्न किया जा रहा है ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--ग्राम पंचायतों के चुनाव के सम्बन्ध में जो यह माननीय मंत्री जी ने तमाम कार्यवाही बतलायी क्या वह बतला सकेंगे कि अधिक से अधिक किस समय तक यह सब कार्यवाही पूरी हो जायगी ?

श्री मोहनलाल गौतम--उसमें जो संशोधन अपर हाउस में हुआ है वह इस सदन के सामने आयेगा और यह सदन उसको पास करेगा और उसके लिये नियम बनाये जायेंगे और तब कार्यवाही होगी । कोशिश यह की जा रही है कि जो २५० आदमी से कम आबादी वाले पास के गांव से मिला दिये जायं । उसमें कुछ समय लगेगा । उसके होने पर जल्द से जल्द कार्यवाही की जायेगी ।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यदि किन्हीं मतदाताओं के नाम असेम्बली और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की सूची में न दिये हुये हों या छूट गये हों तो उनको भी उस सूची के सम्बन्ध में आब्जेक्शन देने का टाइम मिलेगा ?

श्री मोहनलाल गौतम--जी हां, जो कमी बेशी नजर आयेगी वह ठीक कर दी जायगी ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या गांव पंचायतों के चुनाव भी इसी के साथ होंगे ?

श्री मोहनलाल गौतम--इसका उत्तर ४१ में दिया जा चुका है ।

श्री गेंदासिंह--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गांव पंचायतों का चुनाव अगले जाड़े में हो जायगा ?

श्री अध्यक्ष--जो जवाब दिया जा चुका है उससे आप को अन्दाजा हो जायगा ।

श्री कृष्णशरण आर्य--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ये चुनाव डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के आगामी चुनावों से पहले होंगे या बाद को ?

श्री मोहनलाल गौतम--उससे पहले ही होंगे ।

श्री बसंतलाल शर्मा (जिला बहराइच)---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह मतदाता सूची किसके द्वारा बनायी जायगी ?

श्री मोहनलाल गौतम---ये सूचियां पंचायतें और पंचायत राज डिपार्टमेंट के थ्रू बनवायी जायंगी।

श्री बलभद्रप्रसाद शुक्ल---क्या माननीय मन्त्री जी को पता है कि असेम्बली की मतदाता सूची बहुत पुरानी हो चुकी है और इन ३-४ सालों के बीच में बहुत से नाबालिग बालिग हो गये होंगे क्या उनको भी इस सूची में शामिल किया जायगा ?

श्री अध्यक्ष---इसका जवाब दिया जा चुका है।

श्री शिवनारायण---क्या सरकार कृपा कर यह बतलायेगी कि सूची में जिनका नाम दर्ज नहीं है क्या उनके बिना दरख्वास्त दिये ही उनका नाम उसमें लिखा जायगा ?

श्री अध्यक्ष---इसका भी जवाब दिया जा चुका है।

*४३-४५---श्री सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी (जिला देवरिया)---[स्थगित किये गये।]

हाथरस नगरपालिका द्वारा विद्युत शक्ति को बढ़ाने की प्रार्थना

*४६---श्री हरदयालसिंह पिपल (जिला अलीगढ़)---क्या सरकार के पास नगरपालिका, हाथरस की ओर से कोई प्रार्थना-पत्र विद्युत-शक्ति (electricity voltage) के बढ़ा देने के सम्बन्ध में आया था जिससे नगरपालिका के बाहरी (देहाती) भाग में रोशनी का प्रबन्ध किया जा सके ?

श्री मोहनलाल गौतम---जी हां।

*४७-श्री हरदयालसिंह पिपल---यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या विचार किया ?

श्री मोहनलाल गौतम---इस सम्बन्ध में सरकार ने चीफ इंजीनियर, विद्युत विभाग से पत्र-व्यवहार करने का आदेश दिया, और बोर्ड उनके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा है।

श्री हरदयालसिंह पिपल---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका, हाथरस ने प्रार्थना-पत्र कब दिया था ?

श्री मोहनलाल गौतम---६-७ महीने हुए।

श्री हरदयालसिंह पिपल---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि चीफ इंजीनियर विद्युत विभाग ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

श्री मोहनलाल गौतम---जहां तक मुझे मालूम है नगरपालिका के पास अभी तक कोई उत्तर नहीं पहुंचा है।

मिर्जापुर जिले मे चिकित्सालय की मांग

*४८---श्री व्रजभूषण मिश्र---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मिर्जापुर जिले में कोरावल से दक्षिण कोरट सिल्पी गांव से लेकर सिमरौली परगने तक अर्थात् जिले की दक्षिणी सीमा तक लगभग ८० मील लम्बे क्षेत्र में जनता की चिकित्सा का कोई प्रबन्ध है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इस क्षेत्र में उचित स्थानों पर औषधालय तथा अंग्रेजी अस्पताल खोलने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--अंग्रेजी चिकित्सालय कोई नहीं है, दो आयुर्वेदिक चिकित्सालय सिन्दूर और घरबार गांव में हैं। एक अंग्रेजी अस्पताल इस वर्ष चोपान के लिये स्वीकृत हुआ है और नवम्बर के अन्त तक खुल जायगा।

श्री व्रजभूषण मिश्र--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि चोपान स्थान से वह क्षेत्र ३०, ४० मील दूर पड़ता है और वहां की समस्या इस अस्पताल से पूरी नहीं हो सकती है ?

श्री अध्यक्ष--यह तो आप विवाद कर रहे हैं। प्रश्न को जरा स्पष्ट करें।

श्री व्रजभूषण मिश्र--उत्तर में जो चोपान में अस्पताल खोलने की बात कही गयी है तो क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि उस स्थान से वह क्षेत्र ३०,४० मील दूर पड़ता है और उसकी समस्या हल नहीं होती है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री व्रजभूषण मिश्र--क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि जिला हेल्थ एडवाइजरी कमेटी ने अभी हाल ही में इस क्षेत्र में अस्पताल खोलने के लिये अपनी सिफारिश सरकार के पास भेजी है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--जी हां, सुमेरतर में ऐलोपैथिक डिस्पेंसरी खोलने के लिये जिला एडवाइज़री कमेटी ने एक प्रस्ताव भेजा है।

श्री व्रजभूषण मिश्र--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिस क्षेत्र का मैंने प्रश्न पूछा है उस क्षेत्र में अस्पताल खोलने के लिये वहां की कमेटी ने सिफारिश भेजी है, ऐसी सूचना आपके पास है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--जी नहीं, ऐसी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री गेंदासिंह--क्या माननीय मंत्री जी को जिस क्षेत्र के लिये माननीय व्रजभूषण मिश्र अस्पताल खोलने का विचार कर रहे हैं वहां की बीमारी की कुछ सूचना मिली है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--कोई खास बीमारी तो नहीं है, वह तो आम लोगों को जो तकलीफ हो जाया करती है उन तकलीफों के इलाज के लिये ही अस्पताल खुल रहे हैं।

राज्य में कंट्रोल की वस्तुयें

*४९--श्री मिहरबानसिंह (जिला इटावा)--क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य में किन-किन वस्तुओं पर अभी तक कंट्रोल लागू है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--राज्य में इस समय अभी तक जिन वस्तुओं पर प्रान्तीय अथवा केन्द्रीय नियंत्रण लागू हैं उसकी सूची नत्थी में है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ २२८ पर)

*५०--श्री मिहरबानसिंह--क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन वस्तुओं से कब तक कंट्रोल हटने की आशा है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--इसके विषय में अभी निश्चित रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता।

श्री मिहरबानसिंह--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि ईंट पकाने वाले भट्ठों के लिये डस्ट कोल पर जो कंट्रोल है वह कोयले की कमी की वजह से है या डब्बों की कमी की वजह से ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--जी हां, यह तो कमी की वजह से नियंत्रण है। जेनरली हर चीज पर तभी नियंत्रण रहता है जब किसी चीज की कमी होती है।

बनारस में 'राक्सी' सिनेमा के मालिकों को अस्थायी टूरिंग सिनेमा का लाइसेंस

*५१--श्री बेचनराम गुप्त (जिला बनारस)--क्या यह सच है कि बनारस के जिलाधीश ने भदोही नगरपालिका के भीतर 'राक्सी' सिनेमा के मालिकों को सिनेमा शो दिखलाने की आज्ञा प्रदान कर दी है और क्या नगरपालिका भदोही ने इमारत बनाने की आज्ञा अभी तक प्रदान नहीं की है ?

श्री मोहनलाल गौतम--जिलाधीश ने 'राक्सी' सिनेमा के मालिकों को अस्थायी टूरिंग सिनेमा का लाइसेंस दिया है। उन्होंने पहले बिना नगरपालिका की स्वीकृति के लिये सिनेमा का हाल बनवा लिया था। इस पर नगरपालिका ने उन पर नोटिस जारी की और अन्त में उनसे हरजाना लेकर अस्थायी इमारत के नक्शे की स्वीकृति दे दी।

पंचायत इन्स्पैक्टरों का स्थायीकरण

*५२-श्री लक्ष्मणराव कदम--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन् ५२, ५३ व ५४ में कितने पंचायत इन्स्पेक्टरों को मुस्तकिल करने का आदेश दिया गया था और उनमें से कितने मुस्तकिल किये जा चुके हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम--सन् १९५२ तथा ५४ में ११० तथा ७० पंचायत इस्पेक्टरों के पदों को क्रमशः स्थायी किया गया और १९५३ में कोई पद स्थायी नहीं किया गया। पंचायत इन्स्पेक्टरों को स्थायी करने का प्रश्न विचाराधीन है। इस विषय में शीघ्र ही आदेश प्रसारित होंगे।

अतारांकित प्रश्न

गाजीपुर जिले में पुलों की दुर्दशा

१--श्री कमलासिंह--क्या सरकार को मालूम है कि गाजीपुर जिले की सैदपुर तहसील में मोमापार, कइला, भवानीपुर दुबै का पुल तथा अन्य पुलियां अत्यन्त जीर्ण दशा में हैं ? क्या सरकार उनकी मरम्मत कराने का विचार कर रही है ?

श्री मोहनलाल गौतम--यह सत्य है कि प्रश्न में उल्लिखित पुलियां जीर्ण दशा में हैं। यह सब जिला बोर्ड, गाजीपुर की सड़कों पर स्थित हैं। बोर्ड ने चालू वित्तीय वर्ष के आय-व्ययक में अपनी कच्ची सड़कों तथा उनकी पुलियों की मरम्मत के लिये ७,००० रुपये का प्राविधान किया है और इस रकम से यथासाध्य इन पुलियों की मरम्मत कराने का उसका विचार है।

मैनपुरी सरकारी अस्पताल में ऐसिस्टैंट सर्जन का रिक्त स्थान

२--श्री वीरेंद्रपति यादव (जिला मैनपुरी)--क्या यह सत्य है कि मैनपुरी जिला सरकारी अस्पताल में गत ढाई मास से Assistant Surgeon (P.M.S.) का पद रिक्त है ? यदि ऐसा है तो क्यों ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--मेडिकल अफसर इन्चार्ज की नियुक्ति अब कर दी गई है।

बस्ती सदर तथा महिला अस्पताल में बिजली

३--श्री राजाराम शर्मा (जिला बस्ती)--क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती सदर तथा बस्ती महिला अस्पताल में बिजली कब तक लग जायेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--कार्य शीघ्र ही आरम्भ होने वाला है। आशा की जाती है कि दोनों अस्पतालों में बिजली मार्च, १९५५ के अन्त तक लग जायगी।

गोहत्या निरोध समिति के आन्दोलन के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--मेरे पास दो काम रोको प्रस्ताव आये हैं। एक तो श्री उम्मेद सिंह का है जो कि गोहत्या निरोध समिति और श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी के द्वारा जो आन्दोलन चला है उसके सम्बन्ध में है। उन्होंने जिन शब्दों में यह प्रस्ताव रखा है उससे कोई यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि वह किस विषय पर यहां सदन में विचार करना चाहते हैं? क्या वह गो-हत्या बन्द करने के सबन्ध में विचार करना चाहते या सत्याग्रह के सम्बन्ध में विचार करना चाहते हैं, यह इसमें स्पष्ट नहीं है। इसलिये गोल होने की वजह से मैं इसको अनिश्चित करार देता हूं और इसीलिये यह अवैध है।

इलाहाबाद के एक गांव में पुलिस अत्याचार के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--दूसरा काम रोको प्रस्ताव श्री मलखान सिंह जी का है जिस में उन्होंने इलाहाबाद के किसी गांव में पुलिस का अत्याचार हो रहा है उसके सम्बन्ध में जिक्र किया है और उसके सम्बन्ध में उन्होंने कुछ सूचना भी दी है जो कि मुझे अभी यहां आते-आते मिली, उसे मैं पढ़ नहीं सका हूं। इसलिये इस विषय पर मैं बगैर पढ़े हुये फैसला देना उचित नहीं समझता क्योंकि इसके सम्बन्ध में बहुत से कागजात हैं इसलिये इस पर मैं कल फैसला दूंगा।

गोहत्या निरोध समिति द्वारा विधान भवन के फाटकों पर प्रदर्शन के कारण सदस्यों को असुविधा

श्री राजनारायण (जिला बनारस)--मुझे एक निवेदन करना है, श्रीमन्, कि आज भी हम लोग जब यहां आने लगे तो आज भी बाहर गेट पर कुछ लोग लेटे हुये हैं। हमको करीब दस बजे यह खबर मिल गयी थी कि सरकार को यह मालूम है कि आज भी लोग पिकेटिंग करेंगे और आज लोग ४-५ नम्बर के दरवाजे से अन्दर जायं और उसके बाद मैंने आप से भी निवेदन किया था। जब हम यहां आने लगे तो मेरे साथ यहां के सदस्य श्री बसन्तलाल शर्मा जो बहराइच के सदस्य हैं, भी थे और ८-१० आदमी और भी थे। तो जो पिकेटिंग करने वाले थे उन्होंने भी हमें यह बतलाया कि आप को चढ़ कर जाना हो तो सामने से जाइये और यों जाना हो तो ४-५ नम्बर के दरवाजों से जाइये। मैं तो इस परेशानी में हूं कि गवर्नमेंट को भी मालूम है कि ४-५ नम्बर के गेट से जा सकते हैं और पिकेटिंग करने वालों को भी मालूम है कि ४-५ नम्बर के दरवाजे खुले हैं क्योंकि वह खुद सजेस्ट करते हैं कि अन्दर जाना हो तो उधर से जाइये। अगर उनका कोई मकसद है...

श्री अध्यक्ष--मेरी समझ में नहीं आया कि आप यह सवाल क्यों उठा रहे हैं? आप का प्रश्न क्या है?

श्री राजनारायण---श्रीमन्, मेरा प्रश्न यह है कि हम लोग परेशान हो रहे हैं और कल अखबारों में भी निकल गया और जहां तक मुझे मालूम है नेशनल हेराल्ड ने तो निकाल दिया कि राजनारायण बैंक डोर से गये....

श्री अध्यक्ष---आप कृपा कर के बैठें। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं कोई डाक्टर नहीं हूं कि आपकी परेशानी दूर करूं, परेशानी कोई अगर है तो उसके लिये यहां के नियम बने हुये हैं उनके अनुसार आप प्रश्न उठा सकते हैं। अगर आप विशेषाधिकार का प्रश्न उठा सकते हैं तो उसके अनुसार आप अपनी परेशानी बयान करें तो मैं उसको देखूं, लेकिन वैसे आपकी अगर कोई आम परेशानी हो तो उसको मैं दूर नहीं कर सकता।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, मैं विशेषाधिकार का ही प्रश्न उठाना चाहता था। मैं समझता हूं कि सरकार की ओर से इस सम्बन्ध में हमें कोई समुचित उत्तर मिल जाय।

श्री अध्यक्ष--तो क्या आप चाहते हैं कि इस विषय पर सरकार कुछ प्रकाश डाले।

गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---अध्यक्ष महोदय, उनका कोई सवाल मालूम हो कि वह किस आधार पर क्या चाहते हैं, उसका पता चले तो मैं प्रकाश डालने की कोशिश करूं।

श्री अध्यक्ष---सदन के सदस्यों को जो कष्ट हो रहा है वह उनको भी हुआ। किस परिस्थिति में इस तरह की चीजें हो रही हैं उस पर आपको प्रकाश डालना है कि आज क्या हुआ और क्या नहीं हुआ या सरकार ने क्या कार्यवाही इस सम्बन्ध में की है।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---अध्यक्ष महोदय, मैंने कल यह निवेदन किया था कि हम इस बात का प्रबन्ध करेंगे कि यहां माननीय सदस्यों को आने जाने में कोई दिक्कत न हो और मैं समझता हूं कि इस बात का प्रबन्ध है भी। यह तो मैंने नहीं कहा कि हम फलां फाटक खोल रखेंगे और फलां फाटक बन्द रखेंगे, लेकिन जितने फाटक हैं उनमें से हर फाटक पर जो लोग सत्याग्रह के नाम से खड़े हुये हैं और रास्ता रोक रहे हैं उनसे झगड़ा मोल लेने के बजाय हमने कुछ रास्ते साफ करवा दिये हैं जिनसे आप सब आ सकते हैं। दारुलशफा में इसकी सूचना और काफी पहले हो गई और यदि किसी को सूचना न मिल गई होगी तो यहां आते-आते सूचना जरूर मिल गई होगी। बहरहाल, जिन फाटकों को खोल रखा गया है उन तक दस पांच कदम जरूर ज्यादा चलना पड़ा। यह तो जरूर तकलीफ हुई लेकिन इसके सिवा कोई और तकलीफ तो नहीं हुई। कोई भी प्रश्न इस सम्बन्ध में नहीं लाया जा सकता कि फलां फाटक खुला रहेगा या फलां फाटक बन्द रहेगा।

श्री अध्यक्ष---मैं एक सूचना दे देना चाहता हूं कि श्री राजनारायण जी ने मुझे फोन किया था। जहां तक उनका सम्बन्ध है उनको तो मैंने बता दिया था कि इस बात का प्रयत्न हो रहा है कि पांच नम्बर का गेट और जो कौंसिल के पास पीछे का गेट है वह साफ कर दिया जाय जिससे वहां पर कोई दिक्कत न हो। मेरा यह कर्तव्य था कि मुझे जहां तक सदन के सदस्यों का सम्बन्ध है यदि कोई मालूमात हो जाय तो वह उन्हें दे दूं जिससे उन्हें आने में दिक्कत न हो। तो वह तो मैंने उनको सूचना दे दी थी। इसलिये चाहे और लोगों को दिक्कत हो सकती थी, लेकिन उनको मालूम था कि वह रास्ता साफ था। अगर कोई कठिनाई पीछे भी पड़ी हो तब तो कोई प्रश्न उठ सकता है नहीं तो उठने का सवाल नहीं है।

श्री राजनारायण ---मैं एक ही प्वाइंट उठाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष––अच्छा, बताइये कि आप का वह प्वाइंट क्या है ?

श्री राजनारायण––मेरा निवेदन, श्रीमन्, यह था कि चार और पांच नम्बर गेट खुलने की सूचना तो आपने दे दी थी और जैसा माननीय मंत्री जो ने कहा कि दारुल-शफा में उनके द्वारा शायद इनडाइरेक्टली कोई सूचना पहुंची थी लेकिन हमको सीधे नहीं मिली थी। मैं तो यह जानना चाहता हूं कि क्या जनसंघ वालों को भी कोई सूचना दी गई थी क्योंकि वे लोग जो पिकेटिंग कर रहे हैं उन्होंने बताया कि वह दरवाजा खुला हुआ है आप लोग वहां से चले जायं। यह सांठ गांठ मालूम हो रही है। इसलिये मैं निवेदन कर रहा हूं .....

श्री अध्यक्ष––मैं समझता हूं कि यह बात बहुत अनुचित सी है कि आप यह शंका करें। रास्ता तो साफ था जिन रास्तों के लिये आपको सूचना थी और लोग वहां से आ गये होंगे।

श्री राजनारायण––वे वहां नहीं गये होंगे।

श्री अध्यक्ष––आप को बहस नहीं करना चाहिये। आप मेरी बात सुन लीजिये तो आपको मालूम हो जायगा। जनसंघ वालों को कैसे मालूम हुआ कि एक रास्ता खुला हुआ है तो इसके बारे में तो यह बात हो सकती है कि रास्ता सरकार को साफ करना पड़ा होगा। और जो लोग पिकेटिंग कर रहे थे उनको सरकार ने घुसने नहीं दिया होगा उस रास्ते पर और जब जनसंघ वालों को नहीं घुसने दिया तो उन्हें मालूम हो हो गया कि सरकार इस बात में कामयाब हो गई कि जनसंघ वाले इस रास्ते से घुस नहीं पाये। वह उस रास्ते से नहीं घुस पाये इससे वह अन्दाजा लगा सकते थे कि सदस्य उस रास्ते से जा सकते हैं। मैं इस तरह के बेबुनियाद आक्षेपों को अनुचित समझता हूं।

श्री बसन्तलाल शर्मा (जिला बहराइच)––मान्यवर, नेता विरोधी दल ने मेरा भी इस सम्बन्ध में जिक्र किया है। मैं जरूर उनके साथ में था। जब मैं श्री कैलाशचन्द्र भटनागर, सचिव, विधान सभा के बंगले के सामने था वह उस समय फोन पर बातचीत कर रहे थे, शायद आप से कर रहे होंगे। मैं उस समय वहां खड़ा हुआ था। तो मैंने उनसे कहा था कि पीछे का डोर खुला हुआ है। इसकी सूचना दारुलशफा के अन्दर मिली है। श्री गजेन्द्र सिंह जी भी वहां खड़े हुये थे। उन्होंने भी कहा कि हां, हमें भी यह मालूम है यह सूचना पहुंच चुकी है। तो माननीय नेता विरोधी दल जो यह कहते हैं कि साठ-गांठ है इससे हृदय को बड़ा दुःख होता है। इसके बाद वे चल पड़े और मैं उनके साथ हो लिया। हर एक गेट सामने से रुका हुआ था। एक गेट पर जब हम पहुंचे तो वहां उन लोगों ने कहा कि आप इधर से नहीं जा सकते। अगर जाना चाहते हैं तो हमारे ऊपर से जाइये। लेकिन आप लोगों के लिये पीछे का गेट खुला हुआ है। आप लोग खामखां हम लोगों को नांघ कर जाते हैं। उस समय बड़ी आसानी के साथ पुलिस के लोगों ने .....

श्री अध्यक्ष––इसके ऊपर मैं बहस की इजाजत नहीं देता। आपको अपनी बात कहनी थी वह आप ने कह दी। इस पर अब बहस करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)––मैं इस सम्बन्ध में एक सूचना चाहता हूं। हम विधान सभा के सदस्यों को यह अधिकार है कि बिना किसी रुकावट के इस चेम्बर में आयें। फाटकों के बाहर सत्याग्रह हो रहा है लेकिन मैंने देखा कि फाटकों में से कई पर भीतर से ताला बन्द है। तो ताला बन्द होना अलग बात है और सत्याग्रह होना अलग। मैं इस बात की सूचना चाहता हूं कि फाटकों में जो ताला बन्द है वह सरकार ने अपनी तरफ से बन्द कर रखा है अथवा आप की आज्ञा से ऐसा किया गया है ?

श्री अध्यक्ष---उस हद तक कोई मेरा कोई अधिकार नहीं है। मेरा तो अधिकार सदन के कुछ हिस्से पर है, उसके वह भाग बाहर पड़ता है। शांति की व्यवस्था कायम रखने की जिम्मेदारी सरकार की है और उस सम्बन्ध में मैं उनसे कोई पूछताछ भी नहीं कर सकता हूं, बाहर के सम्बन्ध में।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)---अध्यक्ष महोदय, जैसा कि राजनारायण जी ने कहा उस सम्बन्ध में मैं एक सफाई देना चाहता हूं .....

श्री अध्यक्ष---आपके ऊपर कोई आक्षेप नहीं है। आपको सफ़ाई देने की आवश्यकता नहीं है।

श्री राजनारायण की गिरफ्तारी तथा जमानत पर मुक्ति के संबंध में विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)---मैं एक विशेषाधिकार का प्रश्न आप के सामने उपस्थित करना चाहता हूं वह यह है कि अप्रैल माह में २५ तारीख को जब यह सदन चल रहा था तो विरोधी दल के नेता माननीय राजनारायण जब कानपुर में गिरफ्तार हुये थे उसके बाद उनको २९ तारीख को जमानत पर छोड़ देने की.....

श्री अध्यक्ष---आपने इसका कोई नोटिस विधान सभा के सचिव को दिया है?

श्री मदनमोहन उपाध्याय---यह अपारचुनिटी मैं इस लिये लेना चाहता हूं कि आज मुझे इसकी खबर मिली है और इसलिये मैं इसको आप के नोटिस में लाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---इसके लिये आप सेक्रेटरी के पास नोटिस भेजिये।

श्री नारायणदत्त तिवारी से सम्बद्ध विशेषाधिकार समिति का द्वितीय प्रतिवेदन

श्री उपाध्यक्ष (श्री हरगोविन्द पन्त)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से श्री नारायण दत्त तिवारी से सम्बद्ध प्रश्न पर उत्तर प्रदेश विधान सभा की विशेषाधिकार समिति का द्वितीय प्रतिवेदन उपस्थित करना चाहता हूं।

(कार्यवाही में छापी नहीं गयी।)

*इलाहाबाद यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५४ (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष---शिक्षा मंत्री के प्रस्ताव पर कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५४ पर, जैसा कि वह प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ है, विचार किया जाय तथा श्री तेजप्रताप सिंह के संशोधन पर कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५४, जैसा कि वह प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ है, पुनः एक प्रवर समिति के विचारार्थ भेजा जाय, विवाद जारी रहेगा।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)---श्रीमान्, मेरा एक प्रस्ताव है आपके सामने.....

---

*प्रवर समिति द्वारा संशोधित विधेयक २३ अगस्त, १९५४ की कार्यवाही में छपा है।

श्री अध्यक्ष---जब तक वह (श्री नारायणदत्त तिवारी) भाषण दे रहे हैं, उसके बीच में अन्य प्रस्ताव नहीं आयेगा ।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---श्रीमान, मैं कल यह निवेदन कर रहा था कि सरकार ने इस विधेयक में अपने हाथ में शक्ति ली है कि वह पहले स्टेट्यूट्स को जो कि यूनिवर्सिटी के द्वारा अपने कानून बनाये जाते हैं उन फर्स्ट स्टेट्यूट्स को सरकार स्वयं बनायेगी । श्रीमान, यह आप देखेंगे कि इन स्टेट्यूट्स द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार सरकार ने लिये हैं । इसके जरिये एकेडेमिक कौंसिल की मेम्बरशिप, कोर्ट का कांस्टीट्यूशन एसोशियेटेड कालेजेज कौन-कौन होंगे, उनकी व्यवस्था फैकेल्टीज की व्यवस्था, आदि तमाम बातें फर्स्ट स्टेट्यूट्स में ही आने वाली है और श्रीमन्, आप जानते हैं कि प्रथम इन्क्वायरी कमेटी रिपोर्ट में और राधाकृष्णन कमीशन रिपोर्ट में इन्हीं सब के सम्बन्ध में फैकेल्टीज के सम्बन्ध में, ऐकेडेमिक कौंसिल के सम्बन्ध में बहुत सी सिफारिशें दी हुयी हैं । अगर इन स्टेट्यूट्स को बनाने के पहले सरकार उनके सम्बन्ध में इस सदन से कोई राय नहीं लेती, जिस प्रकार कि सन् १९२१ में इस सदन में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२१ को प्रस्तुत करते हुए फर्स्ट स्टेट्यट्स इसी सदन के सामने रखे गये थे अगर उसी प्रकार यह सरकार इस विधेयक के अनुसार बनने वाले फर्स्ट स्टेट्यूट्स को भी सदन के सामने उसकी राय के लिये प्रस्तुत नहीं करती तो मैं समझता हूं कि यह हमारे अधिकारों पर कुठाराघात है और मैं यह भी आवश्यक समझता हूं कि इन फर्स्ट स्टेट्यूट्स के बनने के पहले क्योंकि इन्हीं के द्वारा काफी रिफार्म होने वाला है, बहुत सा सुधार होने का कार्य इन स्टेट्यूट्स के जरिये होने वाला है, तो इसलिये यूनिवर्सिटी से भी इस सम्बन्ध में सिफारिश आना चाहिये और उसकी भी राय लेनी चाहिये कि आखिर वह किस तरह से उन एकेडेमिक प्रश्नों पर विचार रखती है जो स्टेट्यूट्स बनाने में उठेंगे ।

श्रीमन्, फर्स्ट स्टेट्यूट्स के सम्बन्ध में मैं एक बात और भी निवेदन कर देना चाहता हूं कि अगर सरकार इनको सदन के सामने नहीं रखती जिस प्रकार वह नियमावली को भी रखती है, अगर किसी प्रकार इन फर्स्ट स्टेट्यूट्स को नहीं रखना चाहती तो मैं यह समझूंगा कि वह विधेयक के उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जिनको स्टेट्यूट्स में डाल दिया गया है, उन पर विचार करने से सदन को वंचित करना चाहती है । तो मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इस प्रश्न पर पुनः विचार करें । श्रीमन्, स्टेट्यूट्स का ख्याल मुझे इसलिये विशेषतः आया क्योंकि एकेडेमिक काउन्सिल का संगठन स्टेट्यूट्स के द्वारा ही होने है । इस विधेयक में केवल इतना ही निश्चित किया गया कि ऐकेडेमिक काउन्सिल में ५० सदस्य होंगे और उसकी एक स्टैंडिंग कमेटी की व्यवस्था की जायगी । आप जानते हैं कि शिक्षा के प्रश्नों पर ऐकेडेमिक काउन्सिल सबसे महत्वपूर्ण संस्था मानी जाती है और बिना उसकी राय के ऐक्जीक्यूटिव काउन्सिल कोई कार्य नहीं कर सकती है । तो हमें यह जानने का अधिकार है कि आखिर इस ऐकेडेमिक काउन्सिल में टीचर्स का प्रतिनिधित्व किस प्रकार होगा, सारे अध्यापकों का जो प्रतिनिधित्व होगा वह किस अनुपात से होगा । ऐकेडेमिक काउन्सिल में श्रीमन्, आप जानते हैं कि पहले ८८ सदस्य थे, उसे घटा कर ५० कर दिया गया है । मुझे भय है कि अगर ५० की संख्या रखी गयी तो इससे उन दो सौ के लगभग लेक्चरर्स व रीडर्स को समुचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल पायेगा जितना कि यूनिवर्सिटी के ऐकेडेमिक प्रश्नों पर विचार करने के लिये लेक्चरर्स का प्रतिनिधित्व होना आवश्यक है । इसलिये श्रीमन्, मेरा अनुरोध है कि ऐकेडेमिक काउन्सिल की सदस्यता को बढ़ा कर कम से कम ६०यकर दिया जाय । राधाकृष्णन ने इस सम्बन्ध में सुझाव दिया था, उन्होंने इस बात को निश्चय किया था कि 'रोटेशन' के जरिये इसमें हेड आफ डिपार्टमेंट और डीन आयें । लेकिन चूंकि यह आवश्यक माना गया है कि ऐकेडेमिक काउन्सिल में प्रत्येक डीन भी रहे, हेड आफ दि डिपार्टमेंट भी रहे, इसलिये अगर रोटेशन को भी न माना जाय तब भी यह बहुत आवश्यक है कि लेक्चरर्स के समुचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था ऐकेडेमिक काउन्सिल में होनी चाहिये और अब तो श्रीमन्,

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

जब ऐकेडेमिक काउन्सिल की स्टेन्डिंग कमेटी बन गयी तो मुझे ऐसा कोई कारण नहीं दिखलाई देता जिसके कारण हम ऐकेडेमिक काउन्सिल की सदस्यता की कोई बहुत छोटी सीमा रखें।

इसके बाद मैं आपकी आज्ञा से थोड़ा कंसल्टेटिव कमेटी के निर्माण की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। श्रीमन्, कहा यह जाता है कि कन्सल्टेटिव कमेटी का जो २९ (बी) क्लाज था वह हटा दिया गया है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि जहां पर वाइस-चांसलर की ताकतों का निर्देश है वहां पर इस कन्सल्टेटिव कमेटी को दूसरे प्रकार से निर्दिष्ट कर दिया गया है। उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि अगर वाइस चांसलर रिमूवल के बारे में, डिस्मिसल के बारे में, तरक्की रोकने के सम्बन्ध में अगर कोई कदम उठाना चाहता है तो उसे हर हालत में एक कन्सल्टेटिव कमेटी का निर्माण करना होगा। श्रीमन्, इस कन्सल्टेटिव कमेटी के विरोध में जितना भी कहा जाय, उतना थोड़ा है। युनिवर्सिटी के प्रत्येक अध्यापक ने, एक्जीक्यूटिव काउन्सिल में, कोर्ट ने केवल इलाहाबाद ही के नहीं बल्कि लखनऊ के और प्रत्येक विश्वविद्यालय ने एक स्वर से, १०० फीसदी हर प्रकार से इस कन्सल-टेटिव कमेटी का चाहे इस नाम से हो या न हों विरोध किया है। मैं एक बात जानना चाहता हूं मंत्री जी से और सरकार से कि इतना प्रबल विरोध होते हुए भी क्या आवश्यकता पड़ी कि वाइस चांसलर को इतने व्यापक अधिकार देने के बाद भी वह यह समझे कि उसे अपनी एक ऐडवाइजरी कमेटी नामजद करने का अधिकार है, और जो अगर सिफारिश है तो उसे एक्जीक्यूटिव काउन्सिल के मुकाबले में एक संस्था मान कर अनुशासन की कार्यवाही के सम्बन्ध में व्यापक अधिकार दे दिया जाय। तो क्या श्रीमन्, मैं आपके द्वारा निवेदन करूं कि माननीय मंत्री जी इस पर पुनर्विचार करेंगे और शिक्षात्मक संस्था की आस्था को देखते हुए, एक भावना से इस सम्बन्ध में उनके विरोध को देखते हुए इस कमेटी को जहां पर वाइस चांसलर को सलाह देने का निर्देश किया गया है वहीं से भी इसको हटाने का कष्ट करेंगे।

श्रीमन्, आपकी आज्ञा से केवल एक दो मोटी सी बातें उन प्रश्नों के ऊपर कहना चाहता हूं जो परीक्षा से सम्बन्ध रखती हैं, यह एक शिक्षा का प्रश्न है और शिक्षा के प्रश्न में युनिवर्सिटी एथारिटीज पूर्ण स्वतंत्र हैं कि वह जिस प्रकार का निर्देश चाहें करें। लेकिन आज की परीक्षा व्यवस्था जैसी है श्रीमन्, उसको देखते हुए मैं आपके द्वारा इस सदन के माननीय सदस्यों से और युनिवर्सिटी के विद्यापकों से भी एक प्रार्थना करना चाहूंगा कि वह अपनी सारी शक्ति इस परीक्षा प्रणाली को बदलने में लगायें। श्रीमन् मुझे इसी सदन में डा० जियाउद्दीन अहमद जैसे शिक्षावेत्ता के कहे हुए शब्द याद हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली वर्तमान परीक्षा प्रणाली, एग्जामिनेसन सिस्टम केवल एक ही प्रकार का टेस्ट विद्यार्थी का रखता है। वह टेस्ट क्या है कि जो फेलियर हैं जो पास होने वाले विद्यार्थी हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड डिवीजजन में, बस यही उनके पास फेल या पास विद्यार्थी की योग्यता का प्रमाण रहता है एक कापियों के जांचने का और जो परीक्षा पत्रों का ही मापदंड रखा गया है, अब स्वतंत्र भारतवर्ष में उसके बदले जाने की आवश्यकता है और इसीलिये श्रीमन्, मैं जोरदार शब्दों में प्रार्थना करूंगा कि युनिवर्सिटी की एथारिटीज इस सम्बन्ध में पूर्ण प्रयत्न करें कि इस परीक्षा प्रणाली को विद्यार्थियों के हित में और देश के हित में बदल डालें। श्रीमन् केवल दो उदाहरण मैं इस सम्बन्ध में देना चाहता हूं। जब चांसलर्स इंटर युनिवर्सिटी कैम्प में विद्यार्थियों से पूछा गया कि उनका शिक्षा व्यवस्था के बारे में क्या ख्याल है तो उनमें से एक विद्यार्थी ने जवाब दिया कि मेरे विचार से तो बहुसंख्यक विद्यार्थी आज की जो शिक्षा प्रणाली और परीक्षा प्रणाली है, इसको देखते हुए समझता है कि हम शिक्षा को खरीदने जाते हैं और दूसरे विद्यार्थी ने यह बताया कि हम आज की शिक्षा प्रणाली को जिस प्रकार का क्रम है इसको एक बोझा समझते हैं। और हमेशा यह सोचते हैं कि किस प्रकार हम इस चक्कर से बचें। तो जब विद्यार्थी की ऐसी भावनायें हैं तो हम सबको यह सोचना है चाहे हम शिक्षात्मक जगत में विद्वान्

हों या न हों, हम सबको यह सोचना है कि अगर हमारा विद्यार्थी समाज आज के युनिवर्सिटी विधान के अनुसार या शिक्षात्मक विधान के अनुसार परीक्षा प्रणाली को उचित नहीं समझता है तो इस सम्बन्ध में भी हमें विचार करना चाहिये और मैं समझता हूं कि इलाहाबाद युनिवर्सिटी विधेयक पर विचार करते समय हमें इस मूल सिद्धांत पर भी थोड़ा दृष्टिपात करना ही होगा श्रीमन् इस विधेयक में एक प्रस्तावना की गयी है कि कोई भी ऐसा विद्यार्थी जिसका काय सन्तोषजनक नहीं होगा हूज वर्क इज नाट सेटिस्फैक्ट्री ही शैल बी रिमूव्ड उसको निकाला जा सकता है। श्रीमन्, मैं नहीं समझता कि इसमें क्या आवश्यकता थी क्योंकि हूज वर्क इज अनसेटिस्फैक्ट्री यह एक बड़ी आम बात है। अगर उसमें यह लिखते हैं कि इस वर्क का अर्थ उसके युनिवर्सिटी के वर्क से है, उसके ऐकेडेमिक वर्क से है, उसकी किताबी दुनियां से सीमित है तो कुछ समझने की बात थी। इस सम्बन्ध में पहले से ही श्रीमन् युनिवर्सिटी में आर्डिनेंसेज और रेगुलेशंस बने हुए हैं और विद्यार्थियों को इस मामले में कि कितने उसको क्लास अटेंड करने चाहिये, कितनी उपस्थिति अटेंडेंस होनी चाहिये, किस प्रकार उसका जीवन व्यतीत होना चाहिये, उसके लिये प्रोक्टर का सिस्टम भी है और एग्जीक्यूटिव कौंसिल और वाइस चांसलर को पूरा अधिकार है कि वह किसी विद्यार्थी के ऊपर कोई भी कदम उठा सकते हैं। तो इस प्रकार की एक नयी बात लाना, मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं है। इसके साथ ही साथ श्रीमन्, एक बात इसमें और कही गयी है कि स्टेच्यूट्स में, आर्डिनेंसेज में, और रेगुलेशंस में अगर कहीं पर कोई मतभेद की बात आये या इस बात का डर उठे कि कोई कार्य या निश्चय स्टेच्यूट्स के अनुसार आर्डिनेंसेज के अनुसार या ऐक्ट के अनुसार हुआ है या नहीं हुआ है तो इसको तय करेंगे चांसलर महोदय, मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में इस प्रकार के कोई प्राविजन्स के रखने की आवश्यकता नहीं है। अगर इस प्रकार का कोई विवाद प्रस्तुत हुआ तो एक्जीक्यूटिव कौंसिल एक जुडीशियल कमेटी बना सकती है। श्रीमन्, मैं समय बचाने के लिये उन उद्धरणों को प्रस्तुत नहीं करना चाहता हूं जो इस सम्बन्ध में दिये गये हैं। लेकिन संक्षेप में मैं यह कहना चाहता हूं कि इसमें यूनीवर्सिटीज के बड़े बड़े अध्यापकों की और प्रोफेसरों की तथा विद्वानों की यह राय रही है कि चांसलर महोदय को इस बात का अधिकार नहीं होना चाहिये कि वह रेग्यूलेशन्स स्टेच्यूट्स तथा आर्डिनेंसेज को इन्टरप्रीट करे बल्कि यह अधिकार तो एक्जीक्यूटिव कौंसिल को दिया जाय कि वह उसके लिये एक जुडिशियल कमेटी बना सकती है। मैं समझता हूं कि चांसलर महोदय, के ऊपर यह बोझ बढ़ाना उचित नहीं होगा और अच्छा हो अगर मंत्री जी इस सम्बन्ध में पुनः विचार करेंगे और जुडीशियल कमेटी की स्थापना का प्रयत्न करेंगे।

अब मैं आपका ध्यान इस विधेयक के अंतिम परिच्छेद की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें सरकार ने ट्रांजीशनल पीरियड का जिक्र किया है और एक साल के लिये सरकार ने अपने हाथ में असीमित ताकत ली कि जिस तरह से चाहे वह विधेयक की किसी भी धारा को बदल सकती है ससपेंड कर सकती है मोडीफाई कर सकती है और ओमिट कर सकती है इतनी बड़ी ताकत युनिवर्सिटी ऐक्ट के बारे में लेना मैं समझता हूं कि सर्वथा अनुचित है कि इस प्रकार के डेलीगेटेड अनब्रिडिल्ड लेजिस्लेशन की ताकत लेना जिसमें बेलगम ताकत हो मैं समझता हूं कि यह विधान के प्रतिकूल है।

आप देखेंगे कि सन् १९२१ ई० में युनिवर्सिटी ऐक्ट रिकांस्टीट्यूट हुआ मेरे पास पुराना ऐक्ट मौजूद है। और मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी के पास भी वह ऐक्ट मौजूद होगा। वह देखेंगे क उस समय ब्रिटिश हुकूमत ने इतनी ट्रांजीशनल पावर्स नहीं ली। केवल इतना कहा कि जब तक नये स्टेच्यूट्स नहीं बन जायेंगे तब तक पुरानी संस्थायें ही काम करती रहेंगी उन्होंने उस समय असीमित शक्ति लेना उचित नहीं समझा। लेकिन इस समय इतनी शक्ति लेने पर भी सरकार को डर है और उसने कह दिया है कि इस सम्बन्ध में किसी कोर्ट आफ ला में मुकद्दमा पेश नहीं हो सकता है। इतना प्रावीजन तक सरकार ने किया है। लेकिन मैं समझता हूं कि ऐसी बात कि आवश्यकता नहीं थी और न इसकी जरूरत थी कि इतनी बड़ी शक्ति सरकार अपने हाथ में ले ले।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

अंत में मैं अब केवल कुछ ही मिनट और लूंगा। तीन मुख्य बातों की ओर मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा। पहली बात तो यह है कि सरकार आज युनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी को जितना महत्व देती है वह बहुत ही कम है। सरकार को यह चाहिये कि इलाहाबाद युनिवर्सिटी या किसी भी युनिवर्सिटी के सम्बन्ध में युनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी की सिफारिश के आधार पर ही आर्थिक और प्रशासकीय दृष्टि से काम करें। मैं केवल एक मिसाल देना चाहता हूं कि युनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी जिसमें इतने बड़े-बड़े विद्वान् मौजूद थे और माननीय सदन के सदस्य भी रहे हैं और आज भी हैं, जिसके चेयरमैन हृदयनाथ कुंजरू जैसे विद्वान् हैं, डायरेक्टर आफ एजूकेशन रहते हैं और आचार्य नरेन्द्र देव जैसे विद्वान होते हैं और आज भी बड़े-बड़े विद्वान् उसके सदस्य हैं उसकी केवल एक सिफारिश का उदाहरण देता हूं वह मैं आदरणीय सदन के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। २३ जुलाई, १९५० को एक छोटा सा प्रस्ताव पास हुआ। वह पहले भी पास हो चुका था। वह दुबारा दोहराया गया था। वह इस प्रकार है कि:---

"Resolved that in the Committee's opinion Colleges situated within the present territorial Jurisdictions of the Allahabad and Lucknow Universities desiring to teach for University degrees should seek affiliation to Agra University or another affiliating University. A new University should be established at Kanpur with a view to improving supervision of the University over Colleges."

प्रस्ताव पर बहुत बहस होने के बाद एक मत से प्रस्ताव पास हुआ कि कमेटी के सदस्यों की राय हैकि इलाहाबाद और लखनऊ युनिवर्सिटी की सीमा के अन्दर स्थापित कालेजेज जो युनिवर्सिटी डिग्री पढ़ाना चाहते हैं उनको आगरा यूनिवर्सिटी तथा अन्य यूनिवर्सिटीज से एफीलियेट करना चाहिये और कानपुर में एक नयी युनिवर्सिटी की व्यवस्था होनी चाहिये जो कि कालेजों और युनिवर्सिटी के बीच में सुपरवीजन अच्छा होने के लिये कार्य कर सके। यह युनिवर्सिटी ग्रांट्स कमेटी, १९४९ की सिफारिस है और मेरे पास कम से कम ३०--४० प्रोसीडिंग्स इसमें रखी हुयी हैं जिनसे यह साबित होता है कि अधिकांश मामलों में युनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमेटी की रिपोर्ट को ठुकराया जाता है उसकी सिफारिशों को नामंजूर किया जाता है। मैं जानना चाहता हूं इस हुकूमत से कि क्या राधाकृष्णन कमीशन की यह मंशा नहीं थी, क्या सेंट्रल ऐडवाइजरी बोर्ड की यह मंशा नहीं थी,क्या सम्पूर्णानन्द कमेटी की यह मंशा नहीं थी कि युनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमेटी को पूर्ण महत्व दिया जाय। श्रीमन् जब सारी युनिवर्सिटीज की छठी कांफ्रेंस हुयी तो उसमें एक मत से यह प्रस्ताव पास किया गया कि युनिवर्सिटी ग्रांट्स कमेटी को ही माध्यम माना जाना चाहिये सरकार और विश्वविद्यालयों के बीच में काम करने का।

इसके बाद जो मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं वह है इलाहाबाद विश्वविद्यालय को पांच खतरों से सरकार मुक्त करे और ये पांच खतरे इलाहाबाद विश्वविद्यालय की ही नहीं बल्कि प्रत्येक विश्वविद्यालय की सुधार की योजनाओं की रुकावट बने हुए हैं। पहला खतरा कम तनख्वाहों का है। श्रीमन् मैं माननीय राधाकृष्ण जी अग्रवाल के उस वक्तव्य से पूर्णतः सहमत हूं जिसमें उन्होंने कहा कि टीचर्स के केवल दो ग्रेड होने चाहिये। अगर आप देखें तो इस समय इलाहाबाद युनिवर्सिटी में १७ प्रोफेसर, ३३ रीडर, ८ रीडर्स बाई प्रोमोशन और १५५ लेक्चरार्स हैं। ये १५५ लेक्चरार्स तभी रीडर हो सकते हैं जबकि कोई रीडर की जगह खाली हो। तो आप श्रीमन् सब सच मानें कि १५--१५ और २०--२० साल के लगभग ऐसे कई लेक्चरार्स को हो गये जो कि लगातार युनिवर्सिटी की सेवा कर रहे हैं लेकिन अभी तक लेक्चरार्स के ग्रेड में ही हैं, न जाने कितनी रिसर्च कर डाली, कितनी थीसिस लिख डालीं, डाक्टोरेट की डिग्री मिल चुकी है लेकिन अभी तक लेक्चरार बने हुए हैं। तो किस प्रकार से उनको प्रोत्साहन मिल सकता है कि वे शिक्षा के प्रति अपनी रुचि को उस प्रकार जागरूक रख सकें जिस प्रकार उनको रखना चाहिये। यह हो सकता है कि हम एफिशेंसी बार को सामने रख दें कि जब तक कोई लेक्चरार उसको पार न कर ले तब तक वह रीडर नहीं हो सकता। लेकिन जहां

तक ग्रेड का प्रश्न है उस सम्बन्ध में मेरा निश्चित मत है कि दो ग्रेड रहने चाहिये और मूथम कमेटी की सिफारिश जो इस सम्बन्ध एवं कार्य में है उसको स्वीकार करना चाहिये।

दूसरा खतरा नये विषय शुरू कर सकने हेतु धन की कमी है। आज के युग में नये विषयों में उच्च शिक्षा दिये बिना उन्नति नहीं हो सकती। इस हेतु अनिवार्य कदम उठाये जाने की आवश्यकता है।

तीसरा खतरा अध्यापकों की कम संख्या का है। इस समय भी ग्रांट्स कमेटी के अनुसार इलाहाबाद युनिवर्सिटी में कुल ३५९ अध्यापकों की आवश्यकता है। मैं इस सम्बन्ध में ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि कल इस ओर प्रकाश डाला जा चुका है। चौथा खतरा जो इलाहाबाद युनिवर्सिटी को है वह है वहां की वर्तमान लेबोरेटरी, लायब्रेरी और म्यूजियम की व्यवस्था और आवश्यक अनुपात की लेबोरेटरी तथा लाइब्रेरी की कमियों को पूरा करने की ओर अत्यन्त ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि विद्यार्थी और अध्यापक रिचर्स कर सकें, क्योंकि रिसर्च का कार्य शिक्षा का सब से प्रधान कार्य है। रिसर्च के बिना कोई भी युनिवर्सिटी अपना उद्देश्य पूरा नहीं कर सकती।

पांचवां खतरा निर्धन विद्यार्थियों को स्कालरशिप देने के सम्बन्ध में है। राधाकृष्णन कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार इस प्रदेश में और देश में केवल १ फीसदी बजट का हिस्सा स्कालरशिप दिये जाने में खर्च किया जाता है। माननीय राधाकृष्ण अग्रवाल जी ने इस सम्बन्ध में कुछ आंकड़े दिये थे। मैं उनको दोहराना नहीं चाहता। मैं इतना ही कह सकता हूं कि अगर हम उच्च शिक्षा को सस्ती और सुलभ नहीं बनायेंगे, अगर हम गरीब विद्यार्थियों को इतना मौका नहीं देंगे कि वे आगे पढ़ सकें तो फिर यह रिचमेंस यूनिवर्सिटी हो जायगी। केवल वही विद्यार्थी पढ़ सकेंगे जो कि पैसा दे सकते हैं। इन खतरों के साथ-साथ मैं अन्त में टीचर्स एक्जिविटीज के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। माननीय राधाकृष्ण अग्रवाल ने इस सम्बन्ध में कल मुझे संबोधित किया था और नोट आफ डिसेंट का हवाला भी दिया था। श्रीमन्, आप देखेंगे कि इस विधेयक में पृष्ठ २४ पर एक आर्डिनेंस बनाने की बात कही गयी है। जिसमें लिखा है:—

"the number, qualifications, emoluments, and the other conditions of service of teachers and salaried officers of the University; and the preparation and maintenance of record of their service and activities."

इसमें टीचर्स के रेकार्ड की बात कही गयी है। एक सर्विस का रेकार्ड रहेगा और एक ऐक्टिविटीज का रेकार्ड रहेगा। माननीय अग्रवाल जी ने कल कहा कि नोट आफ डिसेंट में हमने यह लिखा है कि सेलेक्शन कमेटी के पास से इफीशेंसी बार के सम्बन्ध में भी निर्देश जाना चाहिये, बिना सेलेक्शन कमेटी की राय के किसी भी लेक्चरार को कंफर्म नहीं किया जाना चाहिये। मैं इस बात को मानता हूं। मूथम कमेटी ने भी इसको कहा है कि 'कंफर्मेशन एज ए मैटर आफ फैक्ट' नहीं होना चाहिये। उनका काम देखा जाना चाहिये, उनके गवेष्णात्मक कार्य देखे जाने चाहिये। तब उनको कंफर्म करना चाहिये। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है जो मतलब माननीय अग्रवाल जी लगाना चाहते हैं। अगर इसमें यह होता कि अध्यापकों के सामान्य शैक्षिक कार्यों का रेकार्ड रखा जायगा तो मैं उनसे सहमत हो सकता। अगर केवल उनकी अकैडिमिक सर्विसेज का रेकार्ड रखने की बात होती तो मैं मान लेता। लेकिन श्रीमन्, आप ऐक्टिविटीज का अर्थ क्या लगाते हैं। कार्य इस प्रकार के होते हैं। मेरे व्यक्तिगत कार्य भी होते हैं मेरे राजनैतिक कार्य भी होते हैं, मेरे सामाजिक कार्य भी हो सकते हैं, अनेकानेक कार्य हो सकते हैं। उनमें एक शिक्षात्मक कार्य भी गिनाया जा सकता है। तो इस प्रकार की व्यवस्था करने पर जिसमें यूनिवर्सिटी टीचर्स की ऐक्टिविटीज का रेकार्ड रखा जाय, तो क्या परिणाम होगा? स्वयं मंत्री जी कहते हैं कि यूनिवर्सिटियों में दलबंदियां हैं। तो क्या होगा? एक दल के कुछ व्यक्ति जिनका अगर ऐसा कुछ उद्देश्य हो, यद्यपि मैं नहीं मानता कि अध्यापकों का कोई ऐसा उद्देश्य हो सकता है, लेकिन अगर हो तो वे क्या करेंगे कि

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

एक दल के लोग दूसरे दल के लोगों का रेकार्ड खराब करवाने की कोशिश करेंगे। जो कि किसी प्रकार भी यूनिवर्सिटी के अकेडेमिक ऐटमासिफियर के लिये उचित नहीं है। पता नहीं कि यूनिवर्सिटी के विधान से माननीय मंत्री जी ने प्रेरणा लेकर इस विधेयक में इसको स्थान दिया है। मूथम इनक्वायरी कमेटी में भी कहीं ऐसा नहीं है। राधाकृष्णन् कमीशन ने कभी इसका जिक्र नहीं किया। किसी कमेटी ने जिक्र नहीं किया। श्रीमन्, मुझे बड़ा दुख है कि परसों जबकि माननीय मंत्री जी ने टीचर पालिटीशियन के नाम पर एक कोर्ट की मीटिंग का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मैं वहां पर गया और जो मैं वहां पर देखा उसके बाद मैं इसको लाने के लिये.....

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)--पृष्ठ ५३, मूथम कमेटी रिपोर्ट को पढ़ लीजिये।

श्री नारायणदत्त तिवारी--माननीय मंत्री जी की शंका चूंकि बहुत ऊंची शंका है इसलिये इसका समाधान करना भी आवश्यक है। मूथम कमेटी की रिपोर्ट पृष्ठ ५३ पर यह कहती है:--

"We do not view a university as an institution divided a hierarchy of governing authority, teachers and the taught, but as a society of persons of all ages engaged in the pursuit of knowledge."

हम यूनिवर्सिटी को ऐसी संस्था नहीं समझते जो कि एक शोषक, शोषित, पठित विद्यार्थी या अध्यापकों की एक हायरार्की हो, बल्कि उसको एक ऐसा समाज समझते हैं जो कि प्रत्येक विशेषता के व्यक्तियों का जो कि शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से इकट्ठा हों, उनका संगठन समझते हैं। माननीय मंत्री जी अब आगे पढ़ें "We are therefore, unable to view with favour the imposition of restriction on the conduct of teachers by the executive authority."

इसलिये हम इस राय के नहीं हैं कि अध्यापकों का जो चरित्र है या कंडेक्ट है या कार्यकलाप है उन पर किसी प्रकार की एक्जीक्यूटिव अथारिटी के जरिये रुकावट डाली जाय। "For inevitably we think the content of such restrictions and their interpretation will subconsciously be coloured by the desire to subordinate difficulties arising out of differences of opinion to the practical advantages of the smooth running of the administrative machinery."

क्योंकि इस प्रकार का अगर कोई नियंत्रण किया जायगा तो उसका इस प्रकार से अर्थ लिया जा सकता है जो कि दूसरी कठिनाइयां हों या दूसरे आपस में मतभेद हों उनका बुरा इस्तेमाल प्रशासकीय संगठन व आधार पर किया जा सकता है।

श्रीमन्, आगे आप देखेंगे कि उसी पृष्ठ में ऐकेडेमिक कौंसिल की एक सम्मानित कमेटी का जिक्र है। अगर टीचर्स पर कोई रेस्ट्रिक्शन लगाना हो तो एक्जिक्यूटिव कमेटी न लगाये, बल्कि टीचर्स की अपनी ही एकेडेमिक कौंसिल की कमेटी लगाये। यह तो आप इक्जीक्यूटिव आर्डिनेंस लगा रहे हैं। स्टेट्यूट के अन्दर खुद टीचर्स अपनी एकेडेमिक कौंसिल की कमेटी के जरिये रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। मैं नहीं समझता कि इस प्रकार आर्डिनेंस की व्यवस्था हमको ऐक्ट के अन्दर करनी चाहिये। अगर टीचर्स जरूरी समझेंगे तो ऐकेडेमिक कौंसिल की कमेटी के जरिये खुद अपने ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं।

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी शायद यह समझते हैं कि जो कुछ वे कहते हैं मैं उनके विचारों को समझ नहीं पाया हूं। मैं वास्तव में असमर्थता प्रकट करता हूं कि जो कुछ वह कहते हैं मैं उसको सही समझ पाता हूं। सम्भवतः मैं इसलिये नहीं समझ पाता कि उनका सारा कहा हुआ बराबर शून्य के हो जाता है और ऐसे शून्य को समझने में मैं असमर्थ रहता हूं।

टीचर्स पोलिटिशियंस की बात माननीय मंत्री जी ने कही मैं क्या कहूं। मैं यह नहीं मानता कि किसी टीचर को पोलिटिशियन होने का अधिकार नहीं है। मैं यह भी नहीं मानता कि वह टीचर जो राजनैतिक शास्त्र और विज्ञान की महत्ता बतला सकता है, जो हमको मार्क्सवाद समाजवाद और गांधीवाद क्या है उसकी व्याख्या करना सिखाता है, उसको पोलिटीशियन होने का अधिकार नहीं है। क्या हम प्रोफेसर हेराल्ड लास्की को भूल सकते हैं, जिन्होंने इंगलैन्ड को नहीं बल्कि संसार को राजनैतिक साहित्य के दृष्टिकोण से, पोलिटिकल साइंस के दृष्टिकोण से मार्ग प्रदर्शन किया और वे लेबर पार्टी के भी चेयरमैन रहे। क्या हम डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद का नाम भूल सकते हैं जो एक अध्यापक थे और अब भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं। माननीय मंत्री जी हर एक टीचर को एक ही लाठी से हांकना चाहते हैं, यह नहीं हो सकता। कुछ लोगों के लिये तो कहा जा सकता था लेकिन जनरेलाइज कर देना, यह उचित नहीं है। यहां पर भी श्रीमन् इस सदन में ऐसे माननीय व्यक्ति मौजूद हैं जो भली भांति परिचित हैं कि डाक्टर गंगानाथ झा, डा० अमरनाथ झा, सर शफात अहमद, डाक्टर ताराचन्द, डाक्टर बेनी प्रसाद, डाक्टर ईश्वरी प्रसाद, डाक्टर कृष्नन, जैसे इन विद्वानों को भी यूनिवर्सिटी ने ही पैदा किया। लिहाजा यह कहना कि टीचर पोलिटिशियन नहीं हो सकता, मैं इससे सहमत नहीं हूं। अगर कुछ लोगों को माननीय मंत्री जी समझते हैं कि वे वोट लेने के तरीके में या इलेक्शन में गड़ बड़ करते हैं तो माननीय मंत्री जी इस बात की शिकायत कर सकते हैं, लेकिन उनकी विद्वता पर शंका नहीं की जा सकती और इस आधार पर वे यूनिवर्सिटी में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। यहां पर मैं केवल एक कोटेशन देना चाहता हूं। आक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में भी ऐसी स्थित पैदा हुयी थी। तो कुछ समय बाद जब रायल इन्क्वायरी कमीशन बैठा तो उसने अपनी रिपोर्ट में उस पिछले इतिहास का जिक्र करते हुये यह कहा कि---

"It would be unfair to Oxford and Cambridge to condemn them for their lethorgy, corruption and sinecurism in the mid of 18th century without comparing them with the House of Commons, the Municipal Corporations the Public Services and the Public Officers and the Church of the same period (p. 16)."

कमीशन ने यह कहा कि आक्सफोर्ड और कैंब्रिज के लिये यह अन्याय करना होगा यदि अठारवीं शताब्दी के बीच में उनमें भ्रष्टाचार और सुस्ती की वजह से उनकी निन्दा करें, बिना इस बात को देखे कि उस समय हाउस आफ कामन्स की हालत, म्युनिसिपल कारपोरेशन की हालत और पब्लिक सर्विसेज की हालत क्या थी और उससे भी तुलना कर लें। हम जब तक समाज की हालत को न देखें, समाज के अन्दर अनाचार और भ्रष्टाचार, या सर्विसेज के अन्दर जो ऐसी खामियां हैं उससे ही हम समझ सकते हैं कि यूनिवर्सिटी के अन्दर इसी सामाजिक व्यवस्था का प्रभाव पड़ सकता है। इसलिये कि समाज का असर वहां यूनिवर्सिटी पर भी अवश्य पड़ेगा। इसलिये इस प्रकार की एकांगी आलोचना करना मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी को और सरकार को और मुझे किसी को भी शोभा नहीं देता है।

श्रीमन्, मैं आपके सामने क्या-क्या कहूं? डा० अमरनाथ झा ने हाल ही में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के सामने जब भाषण दिया तो उन्होंने अपने एक वाक्य में क्या कहा उसको मैं आपके सामने बतलाना चाहता हूं। वह मेरे हृदय में तीर की तरह से चुभ गया, उन्होंने शायद यह कहा कि:---

Uneducated and half educated men are interfering in the day to day work of the University and now it is up to you to defend its autonomy.

इस बात की अपील करते हुये उन्होंने कहा कि अशिक्षित और अर्धशिक्षित लोग आज हमारी शिक्षा संस्थाओं के कार्य में दखल दे रहे हैं। अब विद्यार्थियों यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम यूनिवर्सिटी की स्वतंत्रता की रक्षा करो। अगर श्रीमन्, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के सामने डा० अमर नाथ झा जो ९ साल तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय के

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

वायस चांसलर तथा चेयरमैन पब्लिक सर्विस कमीशन रह चुके हैं और बनारस यूनिवर्सिटी के भी वायस चांसलर रह चुके हैं वह इस प्रकार की बात कहते हैं तो आप खुद समझ सकते हैं कि आज हालत क्या हो गयी है और अध्यापक वर्ग कितना उद्विग्न हो उठा है। जब मैं किसी प्रकार से भी यूनिवर्सिटी, विद्यार्थियों तथा गुरुजनों के संबंधों के इस प्रश्न को सोचने लगता हूं तो परिमाणतः मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं और इस हेतु अपने गुरुजनों से भी यह प्रार्थना करूंगा और अपने उन यूनिवर्सिटी के सभी अध्यापकों से भी प्रार्थना करूंगा कि जिनकी विद्वता की मैं और यह सदन इज्जत करते हैं कि वह कृपया पारस्परिक संबंधों के लिये गुरु दुर्वासा न बनो। वे अपने आपस के संबंधों में एक दूसरे को शाप न दें, बल्कि वह गुरु सान्दीपन और गुरु याज्ञवल्क बने और वे अपने देश को ऐसा शैक्षिक नेतृत्व प्रदान करें, जिससे यह देश आगे बढ़े। अगर किसी प्रकार से उनके आचरण से इस सरकार को और आगे आनेवाली किसी भी सरकार को इस बात का मौका मिले कि उनकी १ या २ गलतियों या लैप्सेज को देख कर जनता के सामने उनको साबित करने व हस्तक्षेप करने का अवसर मिले तो मैं समझता हूं कि वह देश के लिये दुर्भाग्यपूर्ण विनाश की ओर जाने की सूचना होगी। इसलिये मेरी उनसे प्रार्थना है और साथ ही जो वहां रजिस्टर्ड ग्रैजुएट हैं, या हम लोग जो पूर्व छात्र कहे जाते हैं जो बाहर देश में या यहां पर भी उनमें से बहुत मित्र बैठे हुये हैं, क्योंकि वह किसी न किसी विश्वविद्यालय या विद्यालय के छात्र रह चुके हैं तो उन सबसे मेरा निवेदन है कि यह हमारा पुनीत कर्त्तव्य है कि हम अपने विश्वविद्यालयों की रक्षा के लिये उठें। जहां वह एक ओर अधिक धन दिये जाने हेतु विवाद करते हैं वहां हम यह भी देखें कि सरकार की ही जिम्मेदारी फाइनेंस करने की नहीं है, बल्कि हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम अपनी यूनिवर्सिटीज की सहायता करें। आज अमेरिका की यूनिवर्सिटीज की अगर ख्याति है और उनको आज आर्थिक माने में यदि स्वतंत्रता है तो उसका भार उनके पूर्व विद्यार्थियों के ऊपर भी रहा है।

श्रीमन्, मुझे आप क्षमा प्रदान करेंगे और यह हाउस भी क्षमा प्रदान करेगा कि मैंने आवश्यकता से अधिक कुछ समय लिया, लेकिन मैं क्या करता मैं मजबूर था एक समय था जब कि भारत में विश्वविद्यालयों की रक्षा के लिये आश्रमों की रक्षा के लिये, अपने गुरुओं की महत्ता और गरिमा की रक्षा के लिये एकलब्य ने अपने शरीर के अंग और श्रीकृष्ण ने अपने जीवन को दान कर दिया। इसके अतिरिक्त और न जाने क्या क्या गुरुओं को दीक्षा के प्रतिदान में देने के लिये किया गया। यद्यपि आज हमारे देश के विद्यार्थियों के लिये ऐसा संभव न हो, वैसा चाहे वे न कर पायें परन्तु अपनी भावनाओं को शब्द हार में पिरोकर आपके व देश के सामने प्रस्तुत तो कर ही सकते हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एक मोटो है, एक मूल मंत्र है, उसका एक चिह्न है Quot Rami Tot Arbores" जितनी शाखायें उतने पेड़। यहां पर मैं समझता हूं इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बहुत सी शाखायें हैं और उन शाखाओं में से मैं भी हूं, इसके अतिरिक्त और न जाने कितनी शाखायें इधर उधर संसार भर में फैली हुई हैं इतने उच्च आदर्श और मंतव्य की व्यवस्था को देखते हुये जब हम इस विधेयक को कसौटी पर रखते हैं तो हम उसको संतुलित नहीं कर पाते। हम माननीय मंत्री जी की जो आलोचना करते हैं वे केवल आलोचना करने के लिये नहीं करते, बल्कि इस दृष्टि से करते हैं कि हमारे विश्वविद्यालयों की दशा में सुधार हो। लेकिन हम जो सुधार चाहते हैं वह ऐसा चाहते हैं जो वास्तविक व सर्वग्राही सुधार हो। वह सुधार ऐसा न हो कि नाम को तो वह सुधार हो लेकिन उसके मार्ग में रुकावट बन कर खड़ा हो जाय। हमारे स्वप्न का विधेयक तो वह होगा जो विश्वविद्यालयों को शिक्षा के अनुष्ठानहेतु पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करायेगा तथा हमारी भारतीय संस्कृति का प्रतीक होगा, जो पुराने गुरु तथा शिष्य और जनता तथा राज्य के बीच वह संतुलन कायम कर सकेगा हो जो भारत की पुरानी संस्कृति की देन रहा है। सरकारें व राज्य आते रहेंगे, जाते रहेंगे, बनते रहेंगे बिगड़ते रहेंगे। विधेयक भी पेश होंगे, पास होंगे, पास न भी हों और उनमें संशोधन भी होते रहेंगे लेकिन विश्वविद्यालयों की आत्मा सुरक्षित रहेगी शिक्षा का मौलिक आकार प्रकार अपनी जगह में स्थानांतरित नहीं हो सकेगा। इसीलिये लार्ड हालडेन के शब्दों में जनता और राज्य की आत्मा विश्वविद्यालयों की प्रगति

का एक अंग विशेष होकर प्रतिविम्बित होती रहेगी। हमारी भारतीय संस्कृति के भी अमर शब्दों में इसी प्रकार है।

तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतंगमय।

अर्थात् अंधेरे से प्रकाश की ओर, असत्य से सत्य की ओर, मानव के जीवन मरण के संबंध में से अमरत्व की ओर ले जाने वाली शिक्षा का निर्माण जारी रहेगा। ऐसे ही हमारे प्रयत्नों का अंतिम लक्ष्य स्वरूप यह विधेयक भी परिवर्तित किया जाना आवश्यक है।

इलाहाबाद युनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५४ पर सामान्य विवाद के समय भाषणों के लिये समय-निर्धारण का प्रस्ताव

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—अध्यक्ष महोदय, चूंकि इस संशोधन विधेयक पर बहुत से सदस्य, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र रह चुके हैं, बोलना चाहते हैं, इसके अतिरिक्त कुछ और लोग भी बोलना चाहते हैं लेकिन अभी तक इस पर केवल ३-४ भाषण ही हुये हैं। इसलिये मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रत्येक वक्ता के लिये १५ मिनट का समय निर्धारित कर दिया जाय।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—श्रीमन्, ऐसे इम्पारटेंट विधेयक पर बहुत से सदस्य बोलना चाहते हैं। अभी राम नरेश जी ने हमसे कहा था कि इस पर आप भी बोलिये, आप अपनी ओपीनियन दीजिये, तो एक तरफ तो आप हमसे यह कहते हैं लेकिन दूसरी तरफ आप हमारे भावों को भी नहीं सुनना चाहते हैं और हमारे ऊपर प्रतिबन्ध लगाना चाहते हैं कि हम ऐसे अहम और महत्वपूर्ण विधेयक पर न बोलें। इसके लिये हम रात को भी बैठ सकते हैं। या दो तीन घंटे और ज्यादा बैठ सकते हैं मगर, श्रीमन् मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कोई समय निर्धारित न किया जाय।

श्री महावीर प्रसाद शुक्ल (जिला इलाहाबाद)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर विवाद का समय निर्धारित करना अनुचित होगा और जहां तक हो सके यदि आप निर्धारित भी करें तो इतना समय दें कि पर्याप्त विवाद हो सके। कोई जल्दी नहीं है, न बहुत जरूरी है कि जल्दी विचार हो। यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विधेयक है इसके लिये समय निर्धारित करना पार्टी के साथ अन्याय होगा।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)—श्रीमन्, मैं भी यह चाहता हूं कि विरोधी दल के नेता साहब को कुछ और अधिक समय दिया जाय लेकिन समय तो जरूर निर्धारित करना होगा क्योंकि ज्यादा लोग बोलना चाहते हैं।

श्री हरगोविन्द सिंह—मैं इस संबंध में केवल यह कहना चाहता हूं कि आज यह तीसरा दिन है जब कि यह सामान्य विवाद चल रहा है और जिस तरीके से जिस रफ्तार से यह चल रहा है इससे तो ऐसा प्रतीत होता है कि यदि इस प्रकार से विवाद चलता रहा तो शायद महीनों में भी इसका सामान्य विवाद न खतम हो। रह गया यह कि सामान्य विवाद के बाद तो इसके हर अंश पर, हर धारा पर संशोधन होगा, उसमें फिर यह विवाद दोहराया जा सकता है तो इस करण से यह आवश्यक मालूम होता है कि इस समय विवाद का समय जरूर निर्धारित कर दिया जाय।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—अध्यक्ष महोदय इस सदन के सामने लखनऊ युनिवर्सटी विधेयक उपस्थित हो चुका है, जो सिद्धांत इलाहाबाद युनिवर्सिटी विधेयक का है वही करीब-करीब लखनऊ युनिवर्सिटी विधेयक का भी है। तो उस समय जब कि लखनऊ युनिवर्सिटी विधेयक पर विचार होगा तो माननीय मंत्री जी कह सकते हैं कि उस समय तो इस पर बहस हो चुकी है। मैं समझता हूं कि जब इस पर बहस ज्यादा हो जायगी तो लखनऊ युनिवर्सटी विधेयक के ऊपर कम बहस होगी। तो मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करता

[श्री मदनमोहन उपाध्याय]

हूं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी विधेयक पर तो अच्छी तरह से बहस कर लें, फिर जब लखनऊ यूनिवर्सिटी विधेयक आयेगा तो चूंकि उसमें भी वही सिद्धांत होंगे तो उसमें कम समय लगेगा। मैं समझता हूं कि बात वही होगी इसलिये माननीय मंत्री जी को कोई विरोध नहीं हो सकता।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह (जिला टेहरी-गढ़वाल)—माननीय मंत्री जी को दुख है उसके लिये उनके साथ सहानुभूति प्रकट करते हुये मैं आपसे और उनसे प्रार्थना करता हूं कि इस शिक्षा के विधेयक के संबंध में समय नियत न किया जाय। जो मुख्य-मुख्य वक्ता थे उन्होंने तो भाषण दे ही दिया है बाकी मैं समझता हूं कि आधा घंटा या ३५ मिनट तक समय लेंगे। तो मैं समझता हूं कि इसमें माननीय मंत्री जी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती। शिक्षा के संबंध में खास कर क्वांनटिटी का उतना महत्व नहीं होता है इसलिये इसके लिए सबको भाषण के लिये समय प्रदान करना आवश्यक है ताकि वे अपना विचार प्रकट कर सकें।

श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद)—अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करता हूं कि कम से कम आज समय का प्रतिबन्ध न लगाया जाय, बल्कि एक आध घंटा समय बढ़ा दिया जाय और फिर भी यदि आवश्यक हो तो कल कुछ बन्धन लग सकता है।

श्री अध्यक्ष—क्या आप उम्मीद करते हैं कि आज आपको भाषण का मौका मिल जायगा?

(हंसी)

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि यह हमारे प्रदेश की उच्चतर शिक्षा का बिल है। तीन दिन क्या सदियों के बाद हम लोग कुछ सोच-विचार करके आज की शिक्षा प्रणाली के ऊपर कुछ खास निर्णय कर पाये हैं। राधाकृष्णन और श्री अमरनाथ झा ने जैसा कहा है कि हम लोग जो यहां बैठे हुए हैं उनमें भी बहुत से अर्द्धशिक्षित और अशिक्षित हैं तो ऐसी हालत में यदि १० दिन भी इसके ऊपर सामान्य विवाद हो तो उनको मंजूर करना चाहिए, इससे सरकार की प्रशंसा ही होगी और सब लोगों की भी प्रशंसा होगी।

श्री शिवनारायण—अध्यक्ष महोदय, मैंने यह प्रस्ताव रखा था कि २० मिनट का समय निश्चित कर दिया जाय। अगर आपकी इजाजत हो तो उसे पेश कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—१५ मिनट और २० मिनट का सवाल नहीं है। पहला प्रश्न तो यह है कि समय निश्चित करना है कि नहीं। इसके ऊपर मैं मामूली तौर पर राय जान लेना चाहता हूं इसलिये मैं पूछ रहा हूं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—श्रीमन्, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न आपके सामने रखता हूं। मैं आपका ध्यान नियम ७६ की तरफ दिलाना चाहता हूं, जो इस प्रकार है:—

"७६—सरकार द्वारा संकल्प की सूचना—यदि सरकार कोई संकल्प उपस्थित करना चाहे तो वह सात दिन की सूचना देगी और सूचना के साथ संकल्प की एक प्रति सचिव को भेजेगी जो उसकी प्राप्ति के अड़तालीस घंटों के भीतर उसकी प्रतिलिपियां सदस्यों को भेजवायेगा।"

अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि यह प्रस्ताव सरकार की ओर से कांग्रेस पार्टी के व्हिप ने पेश किया है और माननीय मंत्री जी ने उसका समर्थन किया है। नियमावली के अनुसार इसके लिये ७ दिन का नोटिस होना चाहिये और वह इस तरह से एक दो मिनट

के नोटिस पर नहीं आना चाहिये। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अभी समय नहीं आया है कि आप समय निर्धारण करने के प्रस्ताव की अनुमति दें। इसलिए अभी इस तरह का प्रश्न ही नहीं उठता कि आप इस प्रकार की अनुमति दें। इस वैधानिक प्रश्न को मद्देनजर रखते हुए मैं प्रार्थना करूंगा कि समय निर्धारित न किया जाय।

श्री अध्यक्ष—इस सम्बन्ध में कि सदन में किस प्रकार से कार्यक्रम चले, समय-समय पर तत्काल प्रस्ताव उपस्थित होते रहे हैं और उसके लिये यह नियम ७३ लागू नहीं होता है क्योंकि यह कोई वैसे नियमों में निर्देशित संकल्प नहीं है बल्कि सदन की कार्यवाही के संचालन में व्यवस्था उत्पन्न करने के बारे में एक सुझाव सा है और सदन को यह पूर्ण अधिकार है कि सर्वसम्मति से या करीब-करीब सर्वसम्मति से ऐसे सुझाव को स्वीकार कर ले। उसी तरह की शक्ल का यह सुझाव है। क्योंकि बहुत से लोगों को बोलना है और बहुत से लोगों की इच्छा बोलने की है अगर दो-दो या चार-चार घंटे सब बोलना शुरू कर दें तो यह आशंका हो सकती है कि कुछ लोगों को, जो बोलना चाहते हों, बोलने का समय न मिले। इसलिए यह प्रश्न सामने सुझाव के रूप में आया। मैं सीधे तौर से यह समझता हूं कि लोग १५ मिनट का समय कम समझते हैं। शिवनारायण जी ने २० मिनट कहा, लेकिन इस प्रकार के बिल पर बोलने में १५ और २० मिनट में कोई अन्तर नहीं होता। दूसरी ओर भी जो बोलना चाहते हैं मैं समझता हूं कि वह भी कुछ न कुछ नियंत्रण अवश्य चाहते हैं, क्योंकि यह विषय सबकी भावनाओं में एक विशेष स्थान रखता है और यह किसी के लिये मुश्किल बात नहीं है कि वह इस विषय पर दो तीन घंटे बोलता चला जाय। दोनों तरफ से लोग तैयारी किये हैं और अधिक समय ले सकते हैं। हर एक चाहता है कि जो प्रश्न उठाये गये हैं उनका जबाव मैं दे दूं। उसमें भी समय लग सकता है। २ घंटे के वादविवाद का जबाव भी २ घंटे में हो सकता है। इसलिये मैं समझता हूं कि सदन कुछ न कुछ नियंत्रण भाषण के समय के सम्बन्ध में अवश्य कर ले और वह कैसे कर ले उसका सुझाव मैं सदन के सामने रखे देता हूं। वह यह है कि साधारणतया आधा घंटे से अधिक कोई नहीं बोले, उससे कम ही बोले और अपने ऊपर स्वयं ही नियंत्रण कर ले, तो आधा घंटे से अधिक समय कोई न ले, पर विशेष परिस्थिति में मैं यह कर सकता हूं कि एक तो कांग्रेस दल की ओर से जो तैयारी करके आये हों वह दो एक नाम बता दें और दो एक नाम श्री राजनारायण जी बता दें, क्योंकि ऐसा तरीका यहां का रहा है, तो मैं ऐसे कुछ लोगों को ४५ मिनट तक भाषण के लिए दूंगा और यदि उचित समझूंगा तो मैं उनको यह मौका दूंगा। राजनारायण जी ने भी ऐसी इच्छा प्रगट की थी। तो यदि सदन मुझे अधिकार दे दे तो मैं उन लोगों को थोड़ा सा समय और दे दूं और उससे यह न समझा जाय कि मैंने उनके साथ कोई विशेष मेहरबानी कर दी। समय के नियंत्रण में यह देखना पड़ता है कि अगर किसी विषय को कोई सदस्य पेश कर रहे है और उनका तर्क महत्वपूर्ण है, जिसके लिये उन्हें कुछ समय अधिक चाहिये, तो मैं उनको कुछ अधिक समय देने का प्रयत्न करूंगा, लेकिन अगर कोई बातों को दोहराता हो तो नहीं दूंगा। इसलिये १५ मिनट तो सबको मिलेगें ही, लेकिन यह स्पष्ट हो गया कि आधा घंटे तक अगर जरूरत हो तो भाषण हो सकते हैं और उससे अधिक समय देने के बारे में दो तीन नाम इधर से और दो तीन उधर से जो आवेंगे इनको ४५ मिनट तक दे दिये जायेंगे। इसलिये मैं सदन से कहूंगा कि अगर पसन्द हो तो मै यह तरीका अख्तियार कर लूं।

श्री राजनारायण—मैं एक निवेदन, श्रीमन्, यह कर रहा था कि अगर माननीय मन्त्री जी चाहें तो हम अपने लिये आपको बता देते हैं कि हम एक भी मिनट नहीं लेंगे और केवल हम वाक्य ही कह कर बैठ जायेंगे क्योंकि यह विधेयक मामूली आघात पहुंचाने वाला नहीं है। हम इस समय केलव बहस के लिये बहस नहीं करेंगे लेकिन मैं यह जरूर चाहूंगा कि सामान्य विवाद में इतनी बातें आ जायं कि माननीय मन्त्री यदि प्रभावित हों तो हों, क्योंकि मैं समझता हूं कि

[श्री राजनारायण]

माननीय राजस्व मन्त्री ने पूरे सेलेक्ट क मेटी से आये हुये विधेयक को ही अभी कुछ दिन हुये बदल दिया था तो सम्भवतः सरकार की तरफ से इस समय भी कोई कानून आये जो यूनिवर्सिटी के हित में हो और हम लोगों की भावना का भी द्योतक हो और यदि वह इसके बाद भी माननीय मन्त्री जी ऐसा चाहेंगे तो हम इस बात को समझ लेने में विवश होंगे कि इस सदन में हमारा काम नहीं है जो हो सकता है बाहर ही होगा और वह देखा जायगा ।

श्री हरगोविन्द सिंह---मैं आपकी आज्ञा से एक सुझाव पेश करना चाहता हूं । पांच बजे तक कल यह सामान्य विवाद खत्म हो जाना चाहिये उसमें जितना समय हमको देना चाहें हमें दे दें, उत्तर के लिये और यदि उससे अधिक समय की आवश्यकता है तो आज हम पांच बजे के बाद एक घंटे , दो घंटे और तीन घंटे जितना भी माननीय सदस्य चाहें बैठ जायं ।

कुछ सदस्य---कल पांच बजे के बाद बैठिये ।

श्री हरगोविन्द सिंह---कल पांच बजे के बाद नहीं, इसलिये कि कल एक और महत्वपूर्ण बिल कैबिनेट के सामने है, इसलिये कल कैबिनेट की मीटिंग होगी इसलिए मैं उसके पश्चात् उपस्थित नहीं हो सकता ।

श्री अध्यक्ष---आज आप अधिक बैठने के लिये तैयार हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह---आज जितनी देर तक बैठना चाहें बैठ सकते हैं ।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह---अध्यक्ष महोदय, मैं जानकारी के लिये यह जानना चाहता हूं कि राजस्व मन्त्री जी जो पिछले बिल को इतनी जल्दी पास कराना चाहते थे उस सम्बन्ध में एक विशेष कारण था जिससे उन्होंने कहा था कि वह बिल जल्दी कराया जाता है । मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या कोई विशेष कारण है जिससे उसको रश किया जा रहा है या कि मंत्रिमंडल का यह स्वभाव हो गया है कि हर एक बिल को जल्दी के साथ पास कराया जाय ।

श्री अध्यक्ष---किसी विशेष कारण का तो पता नहीं है । और कोई वैधानिक आपत्ति भी नहीं की है उन्होंने . . . . ।

श्री हरगोविन्द सिंह---श्रीमन्, अगर वैधानिक आपत्ति मुझे करनी होती तो धारा १०६ है जो बड़ी स्पष्ट है इस सम्बन्ध में कि जब प्रवर समिति की रिपोर्ट भवन के सामने प्रस्तुत हो तो उस पर बहस नहीं हो सकती जैसी कि हो रही है ।

श्री अध्यक्ष---कोई वैधानिक आपत्ति वह नहीं थी । आप कृपा करके बैठ जावे तो मैं बताऊं कि जिस वक्त विधेयक सदन के सामने विचारार्थ आया था उस वक्त यह तय किया गया था कि उसी समय सामान्य विवाद न किया जाय, बल्कि विधेयक सामान्य विवाद न होकर ही सीधे प्रवर समिति के सामने चला जाय । यह इच्छा स्वयं सरकार की तरफ से प्रकट की गई थी तो इसलिये वह बात हुई थी । दूसरे यह कि सदन को पूर्ण अधिकार है कि वह किसी नियम को चाहे तो ढीला कर दे तो उसने खुद उसे ढीला कर लिया यह निश्चय करके कि इस पर सामान्य विवाद उस समय न होकर प्रवर समिति के प्रतिवेदन आने पर ही हो । तो इस बिल के सम्बन्धय में यह आक्षेप नहीं उठाया जा सकता । मेरे खुद समझ में पहले यह बात नहीं आई थी कि इस विधेयक पर इस तरह से लंबी बहस प्रवर समिति के प्रतिवेदन के पश्चात नहीं होनी चाहिये पर मुझे यह स्मरण सचिव ने दिलाया कि यह बात पहले तय हो चुकी थी और इस कारण पहले इस पर सामान्य विवाद नहीं हुआ और यह भी तय हुआ था कि उसके सिद्धान्तों पर भी विवाद प्रवर समिति के प्रतिवेदन के बाद ही हो सकेगा ।

श्री हरगोविंद सिंह--मैं एक दूसरी बात कहना चाहता हूं। यह बात मैंने अपने प्रारम्भिक भाषण में कही थी। मैंने इसका आश्रय नहीं लिया था, मैंने तो केवल यह कहा था कि सामान्य विवाद के लिये पर्याप्त समय मिलना चाहिये। जो अभी बालेन्दुशाह जी ने कहा कि रश करने की कोशिश की जा रही है तो चार रोज सामान्य विवाद के लिये शायद ही कोई दूसरा विधेयक ऐसा सदन में आया हो जिस पर चार रोज से अधिक सामान्य विवाद के लिये लगा हो। तो यह रश करने की बात नहीं है और यह तो मैं सामान्य विवाद के लिये कह रहा हूं। फिर जब अधिवेशन दूसरी बार होगा तब यह आवेगा। इसके अतिरिक्त दो बिल हैं अगर इस तरह से चलने लगेगा तो महीनों यों ही लग जावेगा।

श्री अध्यक्ष--मैं बतला दूं कि मैं क्या समझा। माननीय शिक्षा मंत्री जी का सिर्फ सुझाव है कि कल तक उस पर विचार जारी रहे। अब इस सुझाव पर इस समय ज्यादा विचार की जरूरत भी नहीं है क्योंकि मैं आज ही बिजनेस कमेटी का एलान करने वाला हूं। यह प्रश्न किस वक्त यह विधेयक खत्म होना चाहिये बिजनेस कमेटी तय कर लेगी। अभी जो कुछ करना है वह समय के नियंत्रण के बारे में है। इस सम्बन्ध में जैसा मैंने बताया कि मुझे यह अधिकार रहेगा सदस्यों को विशेष सहूलियत देने की, इस अधिकार के होते हुए भी मैं मामूली तौर से समय का नियंत्रण सदन की इच्छानुसार करने की कोशिश करूंगा और माननीय सदस्यों की सहूलियत के लिये ही मैं यह करूंगा कि वह यह न समझें कि अगर किसी के भाषण को १५-२० मिनट में खत्म कर दिया और किसी अन्य सदस्य को आध घंटा बोलने का मौका दिया गया तो मैंने किसी के साथ विशेष मेहरबानी की है। अगर विश्वास की भावना बनी रही तो नियंत्रण इस प्रकार करना एक अच्छा तरीका होगा।

दूसरे यह भी सदन चाहता है कि आज अधिक समय बैठे, तो इसके लिये कोई संकल्प ५ बजे के पहले आ जाय कि किस समय तक वह बैठे, तो थोड़ा सा और समय सदन को मिल जायगा और इस तरह से और लोग भी बोल सकेंगे। इस विधेयक के समाप्ति के समय के बारे में अभी कोई निश्चय नहीं करना चाहिये बल्कि, मैं समझता हूं कि बिजनेस कमेटी के सामने इसके विषय में वाद विवाद हो और चर्चा हो तो अच्छा होगा और वही इसको तय करके सदन के सामने इस सम्बन्ध में सुझाव भेजे।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--भाषणों के लिये समय निर्धारण का मैं घोर विरोध करता हूं और जो सुझाव आपने दिया उसका प्रश्न उसी समय उठता है कि जब सदन यह निश्चय कर ले कि भाषणों की एक सीमा समय की बांधी जाय। दूसरे, अध्यक्ष महोदय, सदन के अधिक समय तक बैठने का भी घोर विरोध करता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि इस सदन की यह परम्परा नहीं होनी चाहिये। इस सिलसिले में मैं कौंसिल का जिक्र कर दूं कि शायद ही वहां कोई ऐसा अवसर होता हो जब वहां के चेयरमैन किसी विधेयक पर ५ बजे के बाद बैठक के प्रस्ताव की अनुमति देते हों। एक आध दिन तो उन्होंने किसी विधेयक पर अधिक समय दिया है लेकिन यहां, इस सदन में, तो यह परम्परा चल गई है कि ५ बजे के बाद हम बैठा करते हैं। कोई विशेष परिस्थिति हो तब तो हम तैयार हैं। लेकिन इस विधेयक में ऐसी कोई विशेष परिस्थिति नहीं है और न मैं इसको आवश्यक समझता हूं।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि अधिक बैठने का सुझाव तो आप के नेता का था।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--नेता और उपनेता में हमारे यहां कोई फर्क नहीं है मैं उनकी राय से ही यह कह रहा हूं कि हम निश्चित समय के बाद बैठने का विरोध करना चाहते हैं। अगर कोई प्रस्ताव सरकार की तरफ से आता है तो आप वोट ले लीजिये और उसके अन्दर आप क्या अधिकार रखना चाहते हैं अपने लिये, वह तो अक्षुण है।

श्री अध्यक्ष--तो मैं इस पर सदन की राय ले लेता हूं।

प्रश्न यह है कि इस विधेयक पर सामान्य विवाद के लिये भाषण के समय का कुछ नियंत्रण होना चाहिये। जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हों वह कृपा करके "हां" कहें, जो विपक्ष में हों, वह कृपा करके "नहीं" कहें।

"नहीं" की संख्या अधिक है इसलिये यह प्रश्न गिर गया।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--मैं विभाजन चाहता हूं।

(विभाजन की मांग होने पर घंटी बजाई गई।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि इस विधेयक पर सामान्य विवाद के लिये भाषण के समय का कुछ नियंत्रण होना चाहिये। जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हों कि नियंत्रण होना चाहिये वह कृपा करके "हां" कहें, जो विपक्ष में हों वह कृपा करके "नहीं" कहें।

अब "हां" की संख्या अधिक है इसलिये यह प्रश्न स्वीकृत हुआ।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी (जिला गोंडा)--मैं विभाजन चाहता हूं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्न-लिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ--

पक्ष में १०३

विपक्ष में २५।)

श्री अध्यक्ष--इसलिये अब मैं समझता हूं कि जो मैंने तरीका नियंत्रण का कहा है उसके बारे में तो कोई झगड़ा नहीं है और वही तरीका रहेगा।

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)--अध्यक्ष महोदय, मुझे एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना है। हमारे माननीय रामनारायण त्रिपाठी जी ने कहा है कि हमारे यहां नेता और उपनेता कोई नहीं है। तो यह प्रश्न उठता है कि जब कोई नेता और उपनेता ही नहीं है तो क्यों सुविधा दी जाय.....

श्री अध्यक्ष--उनके यहां दोनों को करीब करीब एक से ही अधिकार हैं।

(इस समय १ बजकर १८ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर २२ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

इलाहाबाद यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५४ (क्रमागत)

श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद)---श्री मान् उपाध्यक्ष महोदय, मैं, जो संशोधन इस सदन के सम्मुख उपस्थित हुआ है, उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। संशोधन हमारे सामने यह है कि पुन इस बिल को प्रवर समिति के सामने भेजा जाय। श्रीमन्, मैं निवेदन करूंगा कि इस विषय पर प्रवर समिति ने काफी विचार किया और प्रवर समिति ऐसी बनी थी जैसी मेरे विचार में पिछले दो वर्षों में इतनी मजबूत प्रवर समिति और कोई नहीं बनी। हमारे एक मित्र ने अभी इसी सदन के सामने डा० अमरनाथ झा के भाषण की चर्चा की जिसमें उन्होंने यह कहा था कि यूनिवर्सिटी कुछ अधपढ़े लिखे और कच्चे पढ़े लिखे लोगों के आघात से पीड़ित हो रही है। श्रीमन्, मैं निवेदन करूंगा कि हमारी प्रवर समिति के प्रधान, हमारे मुख्य मंत्री स्वयं थे, प्रवर समिति में दो मंत्री थे, एक उप मंत्री थे और प्रवर समिति में काफी ऐसे लोग थे जो कि हमारे सदन के उन लोगों में से है जिनके बारे में यह कहा जा सकता है कि उनका विश्व-

विद्यालय से संबंध है और उस प्रवर समिति में माननीय नारायण दत्त जी भी थे। तो मैं यह निवेदन करूंगा कि प्रवर समिति ने काफी सोचविचार कर इस बिल में संशोधन किया है और जो कुछ हमारे सदन के सामने है उसके संबंध में यह नहीं कहा जा सकता कि इसमें किसी प्रकार की जल्दी की गई या गौर नहीं किया गया। इसके साथ ही साथ श्रीमन्, मैं यह निवेदन करूंगा कि यह समझना कि यह सदन या यह सरकार यह चाहती है कि विश्वविद्यालय की एटानामी पर किसी तरह का आघात हो, या विश्वविद्यालय के महत्व में कमी हो, या विश्वविद्यालय को सरकारी महकमे के रूप में बदला जाय तो न तो हमारी इस सरकार का ऐसा विचार है और न ऐसा विचार प्रवर समिति का ही कभी था और कभी अगर इस प्रकार का विचार हो तो कम से कम मैं उसका विरोध अवश्य करूंगा क्योंकि हम में से यह कोई नहीं चाहता कि हमारे विश्वविद्यालय सरकारी महकमे बन जायं या हमारे विश्वविद्यालयों के कामों में और जो कुछ उनका कार्य क्षेत्र है उसमें अनुचित हस्तक्षेप हो। लेकिन श्रीमन्, परिस्थिति ऐसी उत्पन्न हो गई जिसने सरकार को एक प्रकार से मजबूर कर दिया कि वह यूनिवर्सिटी ऐक्ट में संशोधन करें और इसकी मांग केवल सरकार की तरफ से ही नहीं हुई थी बल्कि विश्वविद्यालय के क्षेत्रों से भी मांग हुई थी कि वहां की परिस्थिति काफी दयनीय हो चुकी है और सरकार का ध्यान दिलाया गया था तो अब सरकार का कर्त्तव्य हो जाता है कि वह उन कल-पुरजों को जो ढीले हो गये थे ऐसी मजबूती पैदा कर दें जिससे विश्व विद्यालय अच्छी तरह से चल सकें।

श्रीमन्, मैं निवेदन करूंगा कि अगर यूनिवर्सिटीज के काम करने के ढांचे को देखा जाय तो कम से कम मेरे विचार में जैसा कि पहले ऐक्ट में था कि अगर अच्छी तरह से उसके अन्दर काम किया जाता तो सम्भव है कि आज इस सदन को या सरकार को कुछ तब्दीली करने की जरूरत न पड़ती। यूनीवर्सिटीज की कार्यवाही कोर्ट द्वारा होती है, एकैडेमिक कौंसिल द्वारा होती है, ऐक्जीक्यूटिव कौंसिल द्वारा होती है और उसके उच्च पदाधिकारी जैसे चांसलर, वायस चांसलर और रजिस्ट्रार द्वारा होती है। जहां तक १९२१ के ऐक्ट का संबंध है अगर उसके अन्दर जिस प्रकार से प्रणाली थी काम अच्छी तरह से होता तो कोई वजह नहीं थी कि जो खराबी उत्पन्न हुई है वह होती। लेकिन खराबी की जड़ इस ऐक्ट के अन्दर नहीं थी बल्कि जिस तरह से वह ऐक्ट चलाया जाने लगा था और जिस प्रकार से दलबन्दी यूनीवर्सिटीज में बन गई थी और जिस प्रकार से बाज-बाज नियमों का उल्लंघन किया जा रहा था और उसका असर यूनिवर्सिटी की शिक्षा पर पड़ रहा था, अध्यापकों पर पड़ रहा था उस स्थिति से मजबूर होकर इस संशोधन का कार्य सरकार को अपने हाथ में लेना पड़ा।

श्रीमन्, अब मैं कुछ मुख्य बातों के ऊपर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा जहां तक यूनीवर्सिटीज की औटोनोमी का संबंध है और जिस प्रकार से संशोधित बिल रखा गया है मेरे ख्याल में बहुत सी बातें ऐसी हैं जो मूथम कमेटी के सुझाव के अनुकूल हैं और बहुत थोड़ी जगह परिवर्तन किया गया है। मैं निवेदन करूंगा कि जहां तक यूनीवर्सिटीज के औटोनोमी का संबंध है, उसके ऊपर कोई विशेष रूप से आघात नहीं हुआ है। यूनिवर्सिटीज का कार्य-संचालन यूनिवर्सिटीज के ही कर्मचारियों द्वारा या जितनी उसकी संस्थायें हैं उनके ही द्वारा होगा केवल विशेष परिस्थितियों में चांसलर को कुछ अधिकार दिया गया है और सरकार को भी कुछ अधिकार दिये गये हैं लेकिन वह अधिकार विशेष परिस्थितियों में ही प्रयोग किये जा सकते हैं और आम तौर से कोई वजह नहीं है कि उनका प्रयोग हो।

श्रीमन्, अब मैं एक एक करके मुख्य बातों की तरफ आता हूं। चांसलर का जहां तक संबंध है उसके बारे में यह कहा गया है कि चांसलर के स्थान पर गवर्नर को न रखा गया होता तो मुनासिब होता। हमारी यूनिवर्सिटी के कोर्ट में भी यह प्रश्न आया और मैं भी इस विचार का था कि कम से कम यह एक प्रकार का बंधन नहीं होना चाहिये। हमारे प्रांतों में आज काफी संख्या में यूनिवर्सिटीज हैं और उनकी संख्या के बढ़ने की बहुत जल्दी संभावना भी है और चांसलर का काम काफी जिम्मेदारी का है। बहुत मुमकिन है कि एक स्थिति ऐसी आ जाय कि

[श्री शिवनाथ काटजू]

गवर्नर के लिये इतनी यूनिवर्सिटीज के चांसलरशिप का काम करना कठिन हो जाय। मैं तो चाहता था कि कम से कम ऐक्ट में ऐसा बंधन न रहे लेकिन मूथम कमेटी ने इस बात पर प्रकाश डाला है। मूथम कमेटी ने खुद कहा है कि अगर कोई दूसरा रास्ता होता तो वह स्वयं यह कहती कि गवर्नर महोदय चांसलर न रहें। लेकिन उन्होंने कहा कि परिस्थिति को देखते हुये इस वक्त मुनासिब यही होगा कि इस परिपाटी को अभी रखा जाय और न बदला जाय। मेरे माननीय मित्र श्री नारायण दत्त तिवारी जी ने अपने डिसेंटिंग नोट में आन्ध्र यूनिवर्सिटी का उदाहरण दिया है। आन्ध्र यूनिवर्सिटी ने चीफ जस्टिस को चांसलर माना है। मेरे ख्याल से चीफ जस्टिस को चांलसर बनाना नामुनासिब होगा और इसका उदाहरण अभी अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट में हमको मिला जब कि चांसलर महोदय के एक निर्णय के विरुद्ध रिट पेटीशन हाई कोर्ट में पेश हुआ। चांसलर महोदय ने एग्जीक्यूटिव कौंसिल के एक सदस्य के सम्बन्ध में अपना निर्णय दिया और उन माननीय सदस्य ने हाई कोर्ट में रिट पेश किया। यदि चीफ जस्टिस चांसलर हों तो बहुत सी ऐसी बातें आती हैं जिनके विरुद्ध अदालती कार्यवाहियाँ हो सकती है और ऐसी स्थिति में चीफ जस्टिस को इस चीज में डालना बहुत ही नामुनासिब होगा। इसलिये मेरे ख्याल में आन्ध्र यूनिवर्सिटी ने जो प्रणाली रखी है वह कोई ऐसी नहीं है कि हम भी उस पर चलें। श्रीमन्, मैं निवेदन करूंगा कि कम से कम मौजूदा हालत को देखते हुये चांसलर अगर गवर्नर ही रहते हैं तो जैसा कि मूथम कमेटी ने कहा है इसमें कोई बाधा की बात नहीं है।

दूसरी बात यह कही गयी कि यूनिवर्सिटी का यूनिटरी कैरेक्टर बदला जा रहा है। श्रीमन् जहां तक इस बिल के प्रीएम्बिल का संबंध है उसमें साफ तौर से कहा गया है कि लक्ष्य यही रहेगा कि यूनिवर्सिटी का यूनिटरी कैरेक्टर रहे। लेकिन मेरे माननीय मित्र श्री नारायणदत्त जी ने कहा कि प्रीएम्बिल में तो भले ही यह कहा गया हो लेकिन बिल के अन्दर जो बातें आयी हैं उनसे यह पता चलता है कि यूनिवर्सिटी के यूनिटरी कैरेक्टर को खत्म कर दिया गया है। इस संबंध में मैं निवेदन करूंगा कि जो बातें बिल में रखी गयी हैं वे विशेष परिस्थितियों को देखते हुये रखी गयी हैं। सन् १६४८ में यूनिवर्सिटी कोर्ट और एक्जीक्यूटिव कौंसिल के सामने यह प्रश्न आया था और पहला निर्णय एग्जीक्यूटिव कौंसिल का यही हुआ कि हम यूनिवरसिटी के यूनिटरी कैरेक्टर को बदलने के विरुद्ध हैं। लेकिन उसके थोड़े दिन बाद ही स्वयं एक्जीक्यूटिव कौंसिल और कोर्ट ने अपने फैसले को बदला। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि स्वयं कोर्ट में कई दफा इस पर बड़ी बहस हुई, यहां तक गरमा गरमी बहस हुई कि एक बहस में हमारे माननीय प्रोफेसर देव इतने जोश से बोले कि अपने भाषण के समाप्त करने के बाद वे बेहोश हो गये। इस समस्या पर काफी सैद्धांतिक मतभेद था। मैंने भी उस वक्त उसका विरोध किया था लेकिन परिस्थिति श्रीमन् ऐसी हो गयी जिसको हम भुला नहीं सकते। वह परिस्थिति ऐसी है कि जिस वक्त सन् १६२१ में यूनिवर्सिटी ऐक्ट बना और उसके बाद आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट बना तो हमारे यहां के दो कालेजेज ईविंग क्रिश्चियन कालेज और कायस्त पाठशाला जहां बी० ए० बी० एस० सी० और पोस्टग्रेजुएट के क्लालेज हुआ करते थे उनसे यह अधिकार ले लिया गया क्योंकि यूनिवरसिटी ऐक्ट के नियमानुसार १० मील के अन्दर कोई कालेज यूनिवर्सिटी के अतिरिक्त शिक्षा नहीं दे सकता था। अब हमारे यहां यह परिस्थिति आयी कि लड़कों की संख्या बढ़ गयी और विशेषकर साइंस क्लासेज में तो बहुत बढ़ गयी और स्थिति यह आयी कि या तो उनको यूनिवर्सिटी में खपाया जाय या तो जो दो कालेज इलाहाबाद में हैं उसमें उनको दाखिल होने की स्वीकृति दी जाय। इसमें भी मतभेद हुआ। मतभेद यह हुआ कि अगर उनको डिग्री क्लासेज खोलने की स्वीकृति दी जाती है तो उनको अधिकार दिया जाय और ऐक्ट में संशोधन कर दिया जाय जिससे वे आगरा यूनिवर्सिटी से अपने आप को एफिलियेट करा सकें। लेकिन इसको देखते हुये यह मुनासिब समझा गया कि एक ही शहर में जहां एक यूनिवर्सिटी पहले से है तो अगर उसी यूनिवर्सिटी की ऐसी सीमा रख दी जाय जिससे कि वे यूनिवर्सिटी के एक प्रकार से अंग भी बने रहें और अगर एक ऐसा

रास्ता निकल जाय जिससे कि यूनिवरसिटी के यूनिटरी कैरेक्टर पर भी आक्षेप न हो तो उसको स्वीकार कर लेना वास्तविक परिस्थिति को देखते हुये कुछ नामुनासिब नहीं होगा। यह इस संशोधन बिल के पहले से ही यह यूनिवरसिटी में हो गया था और कोर्ट ने इसको पास कर दिया था और चाहे गलत कहा जाये चाहे सही कहा जाये वह स्थिति आ गयी कि कायस्थ पाठशाला और ईविंग क्रिश्चियन कालेज और ऐग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट ये सब यूनिवर्सिटी के अन्तर्गत आ गये। मूथम कमेटी के सामने जब यह प्रश्न आया तो उसने भी इस पर विचार किया और स्वीकार किया कि यूनिवर्सिटी का ध्येय शुरू से आखिर तक यही है कि यूनिटरी कैरेक्टर को छेड़ा न जाय। लेकिन वास्तविक परिस्थिति से आंख भी बन्द नहीं की जा सकती और मूथम कमेटी ने खुद कहा कि जो परिस्थिति उत्पन्न हो गयी है उसमें अब यही मुनासिब होगा कि ये जो कालेजेज हैं उनको डिग्री क्लासेज खोलने की इजाजत दी जाय लेकिन एक प्रकार का एक्सटर्नल और इंटर्नल साइड का भेद रखा जाय। जो यूनिवर्सिटी में शिक्षा पा रहे हैं वे इंटर्नल साइड में समझे जायेंगे और जो इन कालेजेज में पढ़ रहे हैं उनको एक्सटर्नल साइड का स्वीकार किया जाय और यही श्रीमन्, जो वास्तविक स्थिति पहले से थी उस बात को इस विधेयक में स्वीकार किया गया है और अगर आप इस विधेयक को देखेंगे तो आप को यह प्रतीत होगा कि शुरू से आखिर तक इस बात पर ध्यान दिया जाय कि जहां तक यूनिवर्सिटी का यूनिटरी कैरेक्टर है उसमें किसी प्रकार की कमी न होने पाये, जहां तक यूनिसवर्सिटी के ऐडमिनिस्ट्रेशन का सवाल है उसका इंतजाम वही करेंगे, जिनका यूनिवर्सिटी से संबंध है और यह जो असोसिएटेड कालेजेज हैं इनका एक प्रकार से ऐसा बंधन रहेगा कि जिससे वह अपने यहां शिक्षा भी दे सकें और वहां के विद्यार्थी यूनिवर्सिटीज से डिग्री भी प्राप्त कर सकें, इसमें दो बातों का डर था एक तो डर यह था कि इस प्रकार से असोसियेटेड कालेजेज के आने से यूनिवर्सिटी का स्टैन्डर्ड कम हो जायगा। उसके विपरीत एक दूसरी भी बात थी कि अगर यूनिवर्सिटी से अगर उन डिग्री कालेजेज के विद्यार्थियों को अलग किया जायगा तो उनको संभवतः हानि होगी और अगर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो कि उन्हीं के शहर में है अगर उसका उनसे संबंध रखा जाय तो वह यूनिवर्सिटी के एक प्रकार से डाइरेक्ट अंग न होते हुये भी यूनिवर्सिटी के वातावरण से लाभ उठायेंगे और कम से कम उनका स्टैंडर्ड ऊंचा होगा। तो श्रीमन्, मैं यह निवेदन करूंगा कि विधेयक में जिस प्रकार से रूपरेखा रखी गयी है वह परिस्थिति को देखते हुये रखी गयी है। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है जो मूथम कमेटी की रिपोर्ट के खिलाफ हो या ऐसी कोई बात हो जिसको नयी कहा जाय, जैसा कि मैंने अभी निवेदन किया यह स्थिति पहले से उत्पन्न हो गयी थी। अगर विधेयक इसके विपरीत बात लिखता तो परिस्थिति के अनुकूल उसमें उलटफेर करने की नौबत आ जाती जिसको प्रवर समिति ने मुनासिब नहीं समझा और मूथम कमेटी की रिपोर्ट के अनुकूल ही किया।

वाइस चांसलर का जहां तक संबंध है मूथम कमेटी और राधाकृष्णन कमेटी ने यह स्वीकार किया है कि यूनिवर्सिटी का ऐडमिनिस्ट्रेशन वाइसचांसलर के पद के चारों तरफ नाचता है। जो कुछ दलबन्दी यूनिवर्सिटी के वातावरण में होती है उसका अंतिम लक्ष्य वाइस चांसलर के चुनाव तक ही जा कर पहुंचता है। जितने दल हैं वह यह चाहते हैं कि हमारे दल का कोई वाइस चांसलर हो जिससे उनको विशेष प्रकार का लाभ पहुंचे इसी के कारण इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी दलबन्दियां हुईं उनका नतीजा बुरा पहुंचा। राधाकृष्णन कमेटी ने इसको स्पष्ट शब्दों में कहा है कि वाइस-चांसलर का चुनाव नहीं होना चाहिये, उनके द्वारा चुना नहीं होना चाहिये जिनके ऊपर वाइस चांसलर को शासन करना पड़ेगा, वाइस चांसलर को उन लोगों के वोट पर निर्भर नहीं होना चाहिये जिनके कार्य को उसको संभालना है। यही मूथम कमेटी ने माना कि जिस प्रकार से अब तक वाइस-चांसलर चुने जा रहे हैं उस प्रकार से उसमें काफी बुराइयां आ गयी हैं उनको दूर करने के लिये कोई दूसरा रास्ता निकालना है; अब तक पद्धति यह थी कि एक्जिक्यूटिव कौंसिल तीन नाम कोर्ट के पास

[श्री शिवनाथ काटजू]

भेजती थी और कोर्ट उसमें से एक आदमी को चुन लेती थी और फिर वाइस-चांसलर के नाम भेज देती थी । वाइस चांसलर उसको स्वीकार कर लेता था । अगर एक्जिक्यूटिव कौंसिल जिम्मेदारी से तीन आदमियों के नाम चुनती और कोर्ट उन तीनों में से एक को चुन लेता और कोर्ट भी जिम्मेदारी से काम करता तब भी संभव है कि इस प्रणाली को बदलने की नौबत न आती लेकिन परिस्थिति कुछ बदल गयी और इस प्रणाली से लोगों ने दलबन्दियां कीं । एग्जिक्यूटिव कौंसिल से जो तीन नाम आते थे उनमें दो तो प्रायः डमी हुआ करते थे, एक नाम ऐसा होता था जिसको समझते थे कि वह नाम असली है । कोर्ट में उन्हीं का बहुमत होता था । और वही बहुमत से पास हो जाता था । मूथम कमेटी ने कई नकशे सामने रक्खे । एक सिद्धांत तो यह रक्खा कि चुनाव नहीं होना चाहिये । मैं सिर्फ एक के बारे में जिसे हमने इस विधेयक में रक्खा है जिक्र करूंगा, उसमें एक्जिक्यूटिव कौंसिल को अधिकार दिया है कि अगर मतभेद न हो तो वह खुद ही वाइस चांसलर चुन सकती है और चांसलर को उसमें हस्तक्षेप की गुंजाइश ही नहीं रहेगी । अगर एक्जिक्यूटिव कौंसिल एक मत हो कर एक ही नाम चांसलर के पास भेजती है तो उसमें चांसलर बाध्य हो जाता है कि वह उसी नाम को स्वीकार करे और अगर एक्जिक्यूटिव कौंसिल एक मत न हो और तीनों नाम उसके सामने हों तो तीनों नाम चांसलर के पास चले जायेंगे और चांसलर एक दफा और एक्जिक्यूटिव कौंसिल को मौका देगा कि अपने निर्णय पर वह पुनः विचार करे और अगर वह अपने पहले के विचार को बदलती है और एक नाम भेजती है तो वही नाम स्वीकार हो जायगा और वह वाइस-चांसलर नियुक्त हो जायगा लेकिन अगर एक्जिक्यूटिव कौंसिल एक मत न हो तो तीन नाम भेजे जो प्रयोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से वे नाम चुने जायेंगे, केवल यह नहीं कि बहुमत के तीन नाम ले लिये जायं और अल्पमत वालों के नाम रह जायें, इसलिये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से तीन नाम चांसलर के पास भेजे जायेंगे और उनमें से एक को चांसलर स्वीकार कर लेगा । मेरे माननीय मित्र ने मूथम कमेटी की दूसरी या तीसरी सिफारिश के संबंध में डिसेंटिंग नोट रक्खा है उनका कहना है कि यह पद्धति ठीक नहीं है । एक सिलेक्शन कमेटी बननी चाहिये जिसमें दो सदस्य एक्जिक्यूटिव कौंसिल से और एक सदस्य चांसलर का हो और इन तीन आदमियों की सिलेक्शन कमेटी बन जाय और वे वाइस चांसलर को चुने और फिर वह नाम बाद में चांसलर के पास जाय और चांसलर उसे स्वीकार करे । श्रीमन्, इसमें वही बात आ सकती है जिसका कि डर है और जिसकी हम रोकथाम करना चाहते हैं । अर्थात् एक्जिक्यूटिव कौंसिल ने दो नाम चुने तो वहां भी दलबन्दी को सामने रख कर वही नाम चुने जायंगे जिनको वे समझेंगे कि अगर ये आदमी सिलेक्ट कमेटी में चुन लिये गये तो अमुक आदमी को वोट देंगे और अमुक व्यक्ति को विरोध करेंगे, तो फिर वही बात पैदा हो जाती है यह जो आल्टरनेटिव हमारे सामने रक्खा गया है यह कोई सुन्दर नहीं है । यह उन खराबियों को दूर नहीं करता जो खराबियां अब तक थीं और जिनके कारण मूथम कमेटी और राधाकृष्णन कमेटी ने यह कहा कि चुनाव नहीं होना चाहिये । श्रीमन्, मैं निवेदन करूंगा कि हमारे सामने प्रवर समिति ने जो बात रक्खी है वह हालात को देखते हुये बहुत ही मुनासिब है और उसमें एक्जिक्यूटिव कौंसिल को अधिकार मिलता है कि अगर वह एकमत हो कर एक फैसला दे तो फिर चांसलर के पास नाम आने की नौबत ही नहीं आयेगी और अगर वह तीन नाम भेजती है तो दुबारा उसको मौका मिलता है कि वह उन नामों पर फिर गौर करे और अगर एक मत हो सके तो एक मत से वह नाम भेजे ।

श्रीमन्, जहां तक इस विधेयक में जो परिवर्तन किये गये हैं उनके संबंध में भी मैं दो तीन बातें कहूंगा कि इस विधेयक में कोर्ट के अधिकारों को घटाया गया है । अब तक प्रयाग विश्वविद्यालय में कोर्ट यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ी अधिकृत संस्था थी । और अन्तिम निर्णय सब बातों का कोर्ट के सामने आवे । यह चीज कागज पर थी लेकिन वास्तविक स्थिति यह थी कि साल में कन्वोकेशन के २ दिन पहले कोर्ट की मीटिंग होती थी । एक दिन ५ बजे से मीटिंग शुरू हुयी और ७, ८ बजे तक खाने का वक्त हो गया तो

लोग जाने लगे और फिर ८, ९ बजे तक जो आइटम एजेन्डे पर रखे हैं वह जल्दी से खत्म कर दिये गये और अगर कोई आइटम रह गया तो दूसरे दिन ९, १० बजे से शुरू करके १२ बजे तक उसको समाप्त कर दिया। तो कोर्ट कागज पर ही फाइनल बाडी थी लेकिन जिस तरह से पद्धति चल रही थी उसमें कोर्ट के सामने बातें बहुत कम आती थीं और जितना कोर्ट को कागज पर अधिकार था उसके निर्णय करने का उसको मौका नहीं मिलता था। इस विधेयक में कोर्ट के अधिकार को सीमित कर दिया गया है। इस विधेयक में यह है कि अगर कोर्ट किसी बात को पसन्द नहीं करे तो उसके विषय में प्रस्ताव पास कर सकती है और वह प्रस्ताव एक्जिक्यूटिव कौंसिल के पास जाय और एक्जिक्यूटिव कौंसिल अपना एक्सप्लेनेशन देगी। लेकिन कोर्ट एक प्रकार से फाइनल अथारिटी नहीं रही। कोर्ट, जब एक्जिक्यूटिव कौंसिल चुन लेगी तो अपने प्रतिनिधि एक्जिक्यूटिव कौंसिल के लिए भेज देगी। मूथम कमेटी की यह सिफारिश है कि बजट का जितना काम हो वह जिस प्रकार से हमारे सदन के सामने आता है वैसे ही बजट कोर्ट के सामने जाय और कोर्ट उसके ऊपर निर्णय करके साल भर का बजट बना दे लेकिन यह अधिकार अब कोर्ट को नहीं दिया गया है और न पहले इस तरह से था और न अब किया गया है।

अब जहां तक फाइनेंस का सवाल है उसके लिये कमेटी आफ रिफरेंस के अन्दर २ सरकारी पदाधिकारियों का स्थान रखा गया है, सरकारी प्रतिनिधि रखे गये हैं। श्रीमन्, मैं यह निवेदन करूंगा कि जहां तक कमेटी आफ रिफरेंस का ताल्लुक है उसके अन्दर सरकारी प्रतिनिधि को रखने का विषय गम्भीर हो जाता है। यूनिवर्सिटी बाडी के अन्दर सरकारी प्रतिनिधि एक प्रकार से बहां बैठे यह यूनिवर्सिटी के लिये कोई शोभा की बात नहीं है। सरकार का उस समय यह कर्तव्य हो जाता है कि सरकार देखे कि जितना रुपया सरकार दे रही है वह अच्छी तरह से खर्च किया जाय। जितना रुपया सरकार देती है यूनिवर्सिटी को वह ग्रान्ट कमेटी के द्वारा दिया जाता है तो यूनिवर्सिटी और सरकार के बीच ग्रान्ट कमेटी है। सरकार उस ग्रान्ट कमेटी के जरिये से मालूम कर सकती है और तब सरकार निर्णय कर सकती है कि किस तरह से खर्च हो रहा है। कमेटी आफ रिफरेंस जो यूनिवर्सिटी के अन्तर्गत है जिसके ६, ७ सदस्य होते हैं उसमें २, ३ सरकारी कर्मचारी हों यह कोई सुन्दर बात नहीं मालूम होती है। मैंने शुरू में कहा था कि सरकार और माननीय मंत्री जी यदि मुनासिब समझें तो इस पर अपना विचार करें।

जहां तक एक्जिक्यूटिव कौंसिल के अधिकारों का प्रश्न है एक्जिक्यूटिव कौंसिल को इस विधेयक में भी पूर्ण अधिकार है, जो इसको पहले अधिकार था वह अब भी है। कुछ बातों में ऐसा है कि जब उसमें मतभेद हो जाय या वह एक राय पर नहीं आते तो चान्सलर के पास समस्या जा सकती है। जैसा सेलेक्शन कमेटी में है कि अगर सेलेक्शन कमेटी की रिपोर्ट से एक्जिक्यूटिव कौंसिल सहमत नहीं है तो वह मामला चान्सलर को भेजा जाय। इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करूंगा कि जो एक बात रखी गयी है कि सेलेक्शन कमेटी के अन्दर २ एक्सपर्ट हों, एक बाहर का आदमी और एक हेड आफ डिपार्टमेंट, यह बात ठीक है, लेकिन जिस प्रकार से उनको रखा गया है उसमें एक्सपर्ट की एक प्रकार से विटो हो जाती है। अगर दो एक्सपर्ट्स एक नतीजे पर पहुंचते हैं तो हेड आफ दी डिपार्टमेंट की कोई आवाज नहीं रहती और अगर फिर एक्जीक्यूटिव कौंसिल उसकी राय को स्वीकार नहीं करती तो यह मामला चांसलर के पास जायगा। मेरी अपनी राय यह है कि अगर सेलेक्ट कमेटी ने बहुमत से किसी नाम को अगर उसको स्वीकार किया है और अगर उसकी राय से एक्जीक्यूटिव कौंसिल सहमत नहीं है तभी उसको चांसलर के पास भेजा जाना चाहिये। जहां तक डिसिप्लिन के मामले का सम्बन्ध है उसमें यह दिया हुआ है कि यदि वाइस चांसलर

[श्री शिवनाथ काटजू]

ऐसा कोई निर्णय लेता है जिसमें किसी अध्यापक या टीचर को अपने पद से अलग करना हो या उसकी तनख्वाह काटनी हो तो इस बिल के अन्दर उसको यह अधिकार दिया गया है कि वह इसके लिये दो आदमियों की राय ले ले, जिसमें से एक आदमी जज के रैंक का हो। अगर एक्जीक्यूटिव कमेटी इसको स्वीकार नहीं करती तो मामला चांसलर के पास जायगा। मेरे ख़याल से इसमें हाई कोर्ट के जज को लाना मुनासिब नहीं है। कांस्टीटचूशन में बहुत से ऐसे मामलात हैं जिनको हाई कोर्ट में भेजा जा सकता है। ऐसी हालत में हाई कोर्ट के जज को अथवा हाई कोर्ट से जो व्यक्ति संबंध रखते हों उसको ऐसे कामों में रखना मुनासिब न होगा। दूसरी बात यह भी हो सकती है कि यही काम एक्जीक्यूटिव की एक सब-कमेटी भी कर सकती है तो फिर बाहर का आदमी उसके लिये क्यों रक्खा जाय।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, आज इस सदन में तीन दिन से बहस हो रही है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी विधेयक प्रवर समिति के सिपुर्द फिर से कर दिया जाय, मैं उसका विरोध करता हूं। श्रीमन्, जो बहस तीन दिन से हो रही है वह मुख्यतः दो आस्पेक्ट्स पर केन्द्रित है एक तो यह कि यूनिवर्सिटी का स्टेट्स यूनिटरी हो अथवा नहीं तथा दूसरा यह कि वह आटोनोमस बाडी हो। इसके सिलसिले में कई माननीय सदस्यों ने यह कहा कि इस संशोधन विधेयक से यूनिवर्सिटी की आटोनोमी का अपहरण किया जा रहा है और कुछ माननीय सदस्यों ने यहां तक कहा कि यह विधेयक बिल्कुल रिएक्शनरी है लेकिन मैं इन दोनों बातों को नहीं मानता।

हमारे मंत्री जी ने कभी भी यह दावा नहीं किया कि यह संशोधन विधेयक एक पूर्ण विधेयक है, जो कुछ हम इसके द्वारा करना चाहते हैं वह पूर्ण है लेकिन उन्होंने केवल यह कहा कि इसके द्वारा जो बुराइयां, खराबियां और धांधलियां इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हो रही हैं वे दूर कर दी जायं। श्रीमन्, जहां तक आटोनोमी का प्रश्न है उसके सम्बन्ध में मूथम कमेटी ने जो कुछ कहा है वह इस प्रकार है कि कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी स्टेट यह बरदाश्त नहीं कर सकती कि कोई भी विश्वविद्यालय यह निर्णय कर दे कि जो विद्यार्थी फेल हुए हैं उनका सिर काट दिया जाय, कोई भी सरकार आज यह बरदाश्त नहीं कर सकती कि जैसे १८ शताब्दी में इंगलैण्ड की भांति कोई प्रोफेसर ३०—३० साल तक गैर हाजिर रहे। उन्होंने आगे कहा है कि इंगलैण्ड के विश्वविद्यालयों में अगर सुधार हुआ है तो वह पार्लियामेंट के लेजिस्लेशन के द्वारा ही हुआ है। लेकिन आगे उसमें लिखा है कि स्टेट अगर हस्तक्षेप करे तो केवल उस समय करे जब कि ऐसी खराबियां आ गयी हों जिनको दूर करना नितान्त आवश्यक हो गया हो। माननीय काटजू साहब ने अभी-अभी बताया कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में वह धांधली चल रही थी, पालिटिक्स चल रही थी। स्वयं एक्जीक्यूटिव की धांधली हालत पर माननीय मंत्री जी ने स्वयं ही प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि टीचर्स के सेलेक्शन करने में अच्छे टीचर्स को स्थान न देकर ऐसे लोगों को रख लिया जाता था जो डिजर्व नहीं करते थे। यही नहीं बल्कि टीचर्स इस हद तक जाते हैं कि हमको एक्जामिनर बना दिया जाय तो हम तुमको बदले में एक्जामिनर बनवा देंगे। हजारों रुपये की आय करने के लिये ऐसा सौदा करते हैं। यूनिवर्सिटीज इसलिये कायम की गई हैं कि वे अच्छे लीडर्स और अच्छे ऐडमिनिस्ट्रेटर्स पैदा करें लेकिन आज हालत यह है कि पार्टी पालिटिक्स वहां इतनी बढ़ी हुई है कि सब यही चाहते हैं कि हम किसी तरह से यूनिवर्सिटी के मुख्य पद पर कब्जा कर लें। माननीय नारायणदत्त जी ने कल माथुर साहब का एक उदाहरण दिया था कि जिस वक्त आदरणीय मालवीय जी जेल में थे उस वक्त सरकार ने उनसे यह कहा कि अगर आप मालवीय जी के बदले में अपना दूसरा वाइस चांसलर नियुक्त कर लें तो हम आपकी ग्रांट खोल सकते हैं। इस पर माथुर साहब ने जवाब दिया था कि हम तनख्वाह न लेना कबूल करेंगे, भूखों मर जाना

कुबूल करेंगे लेकिन मालवीय जी के स्थान पर कोई दूसरा वाइस चांसलर नहीं चुन सकते ग्रांट मिले न मिले। तो यह कुरबानी थी। ये वही माथुर साहब थे सदैव ही टाप करते थे आई० सी० एस० में बैठ कर अच्छी से अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकते थे लेकिन सरकारी नौकरी करने के बदले उन्होंने यूनिवर्सिटी की नौकरी करना उचित समझा और इसलिये उचित समझा कि वे जानते थे कि हमारा सब से बड़ा और पहला काम यह है कि हम देश के लिये अच्छे नागरिक पैदा करें, देश के लिये अच्छे शासक पैदा करें। लेकिन आज यूनिवर्सिटियों की हालत यह है कि विद्वान यूनिवर्सिटीज में आना कम पसन्द करते हैं, गवर्नमेंट सर्विस में जाना अधिक पसन्द करते हैं। श्रीमन्, तीस साल के अन्दर हमारी किसी भी यूनिवर्सिटी ने कोई बड़ा आदमी पैदा किया है। अच्छा पोलिटिशियन, कोई अच्छा पोएट या कोई अच्छा लोडर पैदा किया है मेरी समझ में एक भी नहीं किया है और इसलिये नहीं किया है कि यूनिवर्सिटीज आज पार्टी पोलिटिक्स के अड्डे बनी हुई हैं। माननीय मालवीय जी का ही उदाहरण ले लीजियेगा आरम्भ में गरीबी की हालत होते हुए भी सौ रुपये से अधिक की नौकरी मिल सकती थी लेकिन ५० रु० तनख्वाह लेकर उन्होंने एक पत्र में काम करना शुरू किया। कहां तो उनकी वह कुर्बानी की भावना और कहां आज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों और टीचरों की यह हालत है कि वे चाहते हैं कि किस तरह से हमारी ज्यादा से ज्यादा आमदनी हो और तनख्वाह कमायें। जब ऐसी हालत बढ़ती जा रही है तो उसको रोकने के लिये आवश्यक है कि सरकार बीच में आवे। मैं तो यह कहूंगा कि यूनिवर्सिटी आटोनामी क्या है वह बिल्कुल स्पष्ट हो जाना चाहिये। जिस तरह से रूस ने और जर्मनी ने अपने देश में अपने नौजवानों को शिक्षित बनाने के लिये कदम उठाया था शिक्षा के सम्बन्ध में वही मार्ग हमको भी अपनाना चाहिये। मैं तो शिक्षा मंत्री जी से कहूंगा कि एक बात निश्चित रूप से तय कर लेनी होगी कि देश को कैसे युवकों की आवश्यकता है। उसी प्रकार के युवकों की प्राप्ति के लिए ऐसी शिक्षा दिलवाने के लिये सरकार को जरूर इंटरफियर करना चाहिये। हमको कितने केमिस्ट्री के एक्सपर्ट चाहिये, कितने साइंटिस्ट चाहिये, कितने टेकनिशियंस चाहिये ये सब सरकार को ही तय कर लेना चाहिये ताकि देश की आवश्यकतानुसार यूनिवर्सिटीज ऐसे युवकों को अपने यहां तैयार करें। शिक्षा के सम्बन्ध में सरकार को जरूर इंटरफियर करना चाहिये। मैं इसको मानता हूं कि शिक्षा का संगठन करना है, देश का मंगल करना है आज करोड़ों रुपये का खर्च हो रहा है, जो पंचवर्षीय योजना बन रही है वह किसके लिए? आज देश का निर्माण हो रहा है उसी व्यक्ति के लिए, लेकिन यदि व्यक्तियों को देश की आवश्यकतानुसार न ढाला गया तो ये सारी आर्थिक योजनाएं बेकार हैं जो भोग करेगा वह ठीक तरह से तैयार न हुआ तो निर्माण व्यर्थ है। आज कल यूनिवर्सिटीज की जैसी हालत है उसमें तो स्टेट को अवश्य हस्तक्षेप करना चाहिये और हस्तक्षेप करके वहां की गन्दगी को दूर करना चाहिये मैं तो इसी का हामी हूं। अध्यक्ष महोदय, सर राधाकृष्णन् ने इस बात की सिफारिश की है कि यूनिवर्सिटी में जब ऐडमिशन हो तो उस वक्त ऐचिवमेंट और इंटेलिजेंस का टेस्ट होना चाहिये। दाखिला हो जाने के पश्चात् जैसा कि कल अग्रवाल साहब ने कहा कि फ्रीशिप और हाफ फ्रीशिप से काम नहीं चलेगा बल्कि स्टेट को इसकी सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी पड़ेगी कि उनका फुल फ्रीशिप हो, उनके स्कालरशिप का प्रबन्ध हो, उनके रहने का प्रबन्ध हो, उनकी दवा का प्रबन्ध हो। आज टीचरों की हालत यह है कि उनके रहने के लिये मकान नहीं मिलते। टीचर्स को मकान नहीं मिलते हैं और उनके लिये किसी प्रकार के फ्री ट्रीटमेंट की व्यवस्था नहीं है। अगर आपको भी अपने यहां विश्वविद्यालयों का उत्थान करना है तो जिस तरह से और देशों में फ्रान्स आदि में होता है। मेरे एक मित्र जहां गये हुये हैं उनकी चिट्ठी मेरे पास आती है, उन्होंने मुझे लिखा है कि यहां पर जो चार रुपये में खाना दूसरे लोगों को मिलता है वहां ऐसी व्यवस्था है। यह तभी हो सकता है जब हम इस प्रश्न पर गौर से विचार करें और विद्यार्थियों की समस्या पर ध्यान दें। मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि जो

[श्री नेकराम शर्मा]

संशोधन इस विधेयक द्वारा किये जा रहे हैं उनसे यह कठिनाइयां दूर नहीं हो सकती हैं। मैं समझता हूं कि आज की हालत में यह बहुत जरूरी है कि ऐसी व्यवस्था की जाय और ऐसा विद्यार्थियों का कार्यक्रम बनाया जाय जिससे वह ज्यादा से ज्यादा समय में व्यस्त रहें, उनके खाने आदि का उचित प्रबन्ध रहे, लड़कों के पढ़ने के लिये और बैठने की उचित व्यवस्था हो, जो बाहर बैठे रहते हैं और समय पर उनके खाने आदि का प्रबन्ध नहीं होता है इससे उनकी उन्नति में काफी बाधा पड़ती है। इस तरह के संशोधन से वहां के फंकशनिंग में सुधार नहीं हो सकता।

जहां तक ऐडमिनिस्ट्रेटिव प्वाइंट आफ व्यू का सवाल है इस विधेयक में काफी धांधली और दूसरी चीजों को दूर करने का प्रयत्न है। यानी एडमिनिस्ट्रेटिव पाइंट आफ व्यू से विधेयक का संशोधन हुआ है लेकिन शिक्षा नीति को कतई टच नहीं किया गया है लेकिन जहां तक शिक्षा का सवाल है उसमें कोई भी महत्वपूर्ण चेंज नहीं की गई है। जो संशोधन विधेयक ३२ साल बाद लाया जा रहा है उसमें हम आशा करते थे कि क्रान्तिकारी भावनायें होंगी लेकिन दुःख की बात है कि वैसी बात नहीं है। हमारे यहां के शिक्षा स्तर का यह हालत है कि प्रधान मंत्री नेहरू जी के पास जो पत्र आया है और उसमें लिखा गया है कि भारत के जो विद्यार्थी विदेश आते हैं उनका स्टैन्डर्ड बहुत नीचा होता है विदेशों के स्तर से। मैं समझता हूं यह हमारे लिये और हमारे देश के लिये शर्म की बात है। अगर कोई विद्यार्थी बाहर जाता है तो उसके बारे में यह रिपोर्ट आती है कि वह अयोग्य है उसे वापस कर लिया जाय। इसकी जिम्मेदारी हम यूनिवर्सिटीज पर दे सकते हैं लेकिन यह जिम्मेदारी सरकार पर भी आती है क्योंकि यह सरकार की जिम्मेदारी है कि उसकी यूनिवर्सिटीज ठीक तौर से फंक्शन करें और वह ग़लत रास्ते पर न जाकर शिक्षा का स्तर ऊंचा हो। जहां तक सेलेक्शन कमेटी का सवाल है उसके सम्बन्ध में भी बड़ी बड़ी बातें कही गई। मैं सुझाव देना चाहता हूं कि यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन की स्थापना अलग से होनी चाहिये ताकि हम भविष्य में अच्छे अध्यापक पा सकें और वहां नेपोटिज्म और फेवरटिज्म न चल सके और योग्य विद्वान व्यक्ति ही विश्वविद्यालय के लिये मिल सकें। जो लोग सेलेक्शन और इन्टरव्यू वगैरा के लिये कई बार आयेंगे उन पर लाखों रुपया खर्च होगा और हजारों रुपये खर्च टी० ए०, डी० ए० के रूप में देना पड़ेगा लेकिन मैं समझता हूं कि इस सब का एक ही हल है और जरूरी है कि सेलेक्शन कमेटी को खत्म करके एक यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन की स्थापना की जाय। इससे बहुत से फैले दोष यूनिवर्सिटी पालिटिक्स तथा दलबन्दी वगैरह समाप्त हो जायगी। आज यूनिवर्सिटीज में हालत यह है कि टीचर्स में वह मोहब्बत, वह प्रेम विद्यार्थियों के प्रति नहीं रहा और एक ट्रेड यूनियन की सी मेन्टेलिटी उन दोनों के बीच कायम हो गई है कि जिसके फलस्वरूप टीचर्स एक तरफ जाते हैं और स्टूडेंट्स एक तरफ। सम्पर्क बढ़ाने के लिये डीन आफ स्टूडेंट्स की व्यवस्था इस विधेयक में की गई है उसके बारे में श्री नारायण दत्त जी तिवारी ने ठीक कहा है कि उसको वाइस चांसलर नामिनेट करेगा और उसके बाद कौंसिल का एक सदस्य भी रहेगा। जिस उद्देश्य से उसकी व्यवस्था की गई है वह कार्य पूरा इस डीन से हो सकेगा मुझे शक है। मूथम इन्क्वायरी कमेटी में भी सिफारिश की गई है कि डीन आफ स्टूडेंट्स का होना नितान्त आवश्यक है और उसके सेलेक्शन का तरीका ठीक नहीं है जैसा कि विधेयक में रखा गया है। जिन देशों में इसकी व्यवस्था है उसको बहुत से अधिकार हैं हर प्रकार का प्रबन्ध और छात्रों की समस्याओं को सुलझाने में सहायक होता है यहां तक कि साक्षी तक का प्रबन्ध डीन आफ स्टूडेंट्स करता है और वह विद्यार्थियों की हर एक प्राबलम का अध्ययन करता है इस बिल में उसकी व्यवस्था की तो गई है लेकिन वह फंक्शन कर पायेगा या नहीं, यह शक है।

विधेयक में दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है वह यूनिटरी करेक्टर के बारे में है, प्रश्न यह है कि विश्वविद्यालय का यूनिटरी करेक्टर रक्खा जावे या नहीं। मैं तो बेशक इस पक्ष का हामी हूं। प्रिएम्बिल में यूनिटरी करेक्टर शब्द जरूर रखे गये हैं, लेकिन जैसा कि श्री तेज प्रताप सिंह जी ने कहा था कि शुद्ध घी का तो साइनबोर्ड लगा हुआ है और भीतर डालडा भरा हुआ है उससे पूर्णरूप से सहमत नहीं। प्रिएम्बिल में कुछ और ह और उसके अन्दर कुछ और है। जैसा तिवारी जी ने कहा कि बिल कंट्रेडिक्शन है। कुछ हद तक यूनीटरी कैरेक्टर रक्खा गया है। लेकिन जहां तक यूनिटरी कैरेक्टर का सवाल है उसके विषय में मथम कमेटी रिपोर्ट खुद किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। इंटरनल और एक्सटर्नल की बात कह कर रिपोर्ट समाप्त कर दी गई है। यूनिवर्सिटी ग्रांन्ट्स कमेटी ने अपनी कानपुर की मीटिंग में कहा था, जिसके सदस्य प्रदेश के माने हुए विद्वान् हैं आचार्य नरेन्द्र देव, डा० आर० यू० सिंह, डा० कुंजरू आदि थे उन्होंने भी जो ऐफीलियेशन के प्रश्न पर विचार किया था कि आगरा यूनिवर्सिटी पर तो अधिक भार नहीं डाला जा सकता और बढ़ते हुए छात्रों की संख्या का अहम प्रश्न है। तो यूनीवर्सिटियों का यूनिटरी कैरेक्टर वैसा ही रहे अथवा उन्हें एफीलियेटिव बना दिया जावे या दूसरी यूनिवर्सिटियां खोली जायं कानपुर या गोरखपुर या मेरठ हैं। लेकिन जब तक नये विश्वविद्यालय खोले नहीं जाते तब तक के लिये क्या हो सकता है। उसका एक तरीका तो यह हो सकता है कि मौजूदा विश्वविद्यालय को ऐफीलियेट कर दे। देहली यूनिवर्सिटी में डबल ज्यूरिसडिक्शन है। कैम्प कालेज है और देहली यूनिवर्सिटी कैम्प कालेज में लड़कों की संख्या बढ़ती जाती है वहां के लड़कों को डिग्री ज्यादा मिलती है। कैम्प कालेज के लड़कों को चीप डिग्री बड़ी आसानी के साथ मिल जाती है बनिस्बत यूनिवर्सिटी के तो उसका फल यह होता है कि लड़के यूनिवर्सिटी की अपेक्षा कैम्प कालेज में अधिक दाखिल होते हैं, क्योंकि वहां आसानी से फर्स्ट क्लास भी मिल जाता है जबकि यूनिवर्सिटी के लड़कों को सेकेंड और थर्ड क्लास भी प्राप्त करने के लिये काफी प्रयत्न करना पड़ता है। एफीलियेशन से मिसयूज होने की भी काफी सम्भावना है। जैसे लखनऊ के विद्यान्त कालेज में स्टाफ नहीं है, उसमें बिल्डिग नहीं है उसमें इक्विपमेंट नहीं है, लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, उसको रिकगनीशन मिल गया है। तो जब विद्यान्त कालेज जैसे को ऐफीलियेशन मिलने लगे तो शिक्षा का स्तर ऊंचा होगा या नहीं यह तो भविष्य ही बतलायेगा। खैर यह तो बिल उसके सम्बन्ध में अभी पैंडिग है लेकिन मैंने माननीय मंत्री का ध्यान उस तरफ दिला दिया है कि एफीलियेशन रखना है तो दुरुपयोग न होने दें ग्रान्ट्स कमेटी की रिपोर्ट की निश्चित राय थी कि ऐफीलियेशन न किया जाय और किया जाय तो इंटरमीडियेट क्लासेज को छोड़ दिया जाय और वहां के टीचर्स का जो एप्वाइंटमेंट हो वह सेलेक्शन कमेटी करे। लेकिन इस बिल में सेलेक्शन कमेटी का जो प्राविजन है उसमें मैनेजमेंट के भी दो प्रतिनिधि होंगे---एक प्रिंसिपल तथा एक मैनेजमेंट का प्रतिनिधि जो उचित नहीं। मेरी राय में जो यूनीवर्सिटी की चुनाव कमेटी है वही उसका भी चुनाव करे। यदि कमीशन की स्थापना नहीं होती। एक ही दवा हो सकती है और इस बात के लिये माननीय मंत्री जी से मैं बहुत जोर के साथ कहूंगा कि चाहे कितना ही खर्चा बढ़ जाय यूनीवर्सिटी सर्विस कमीशन की स्थापना करके इसका उद्धार किया जा सकता है और इसके नेपोटिज्म और फेवरिटिज्म को खत्म किया जा सकता है।

जहां तक कमेटी आफ रिफेरेंस का सवाल है उसमें माननीय नारायण दत्त तिवारी जी ने कहा कि उसमें स्टेट के दो रिप्रेजेन्टेटिव्ज जायेंगे---जिनका अक्श अर्थ कमेटी पर रहेगा और उसे टाई डाउन कर दिया जायगा कि जो बजट पास कर दिया जाय उसके बाहर नहीं जाया जा सकता, नए खर्चे का क्या प्रबन्ध होगा? तो उसका एक ही जवाब हो सकता है कि बजट में एक प्राविजन कर सकते हैं कि ४० हजार रुपये, ५० हजार रुपये या ६० हजार रुपये इमरजेंसी के लिये रख लें जिसको ऐसे समय के लिये खर्च कर सकते हैं जब आवश्यकता हो। लेकिन मैं इस बात में उनसे सहमत हूं कि जो

[श्री नेकराम शर्मा]

यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमेटी है उसमें दो रिप्रेजेन्टेटिव्ज उसके सरकार के बजाय अर्थ कमेटी में ही और सरकार ब्लाक ग्रांट के रूप में धन दें। इससे लाभ यह होगा कि यूनिवर्सिटी को पता होगा कि इतना रुपया ब्लाक को ग्रांट मिलना है उसी के हिसाब से जि तने साल के लिये ब्लाक ग्रान्ट मिली है चाहे वह एक समय में समस्त खर्चा कर ले या निश्चित समय की अवधि में, और ऐसा करने से विश्वविद्यालय को स्वतंत्रता भी रहेगी। ब्लाक ग्रांट की योजना पर माननीय मंत्री जी विचार करेंगे ऐसी मेरी आशा है। माननीय अग्रवाल तथा माननीय तिवारी के इस ब्लाक ग्रांट की नीति का मैं भी हामी हूं, आशा है मंत्री जी इस पर विचार करेंगे। कुछ सदस्यों ने यह कहा कि विधेयक में चुनाव कम किये गये हैं वह यह कि फिर भी जो तरीका रखा है यह ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि यह पार्टीबन्दी क्रियेट करेगा, लेकिन यह कहने के साथ ही उन्होंने यह नहीं बताया था, सुझाव नहीं दिया आखिर एलेक्शन का तरीका क्या हो? वह कौन तरीका है जो कतई चुनाव न होने दे और विश्वविद्यालय ठीक ढंग से कार्य कर सके। उन्होंने आगे कहा कि चांसलर के हाथ में बहुत पावर्स दे दी गई है। ठीक है, लेकिन वह उसी हालत में होगा कि जब किसी एक यूनानिमस डिसीज़न पर कौंसिल न पहुंच सकेगी। कौंसिल एक मत हो तो चांसलर को हस्तक्षेप का अवसर ही नहीं मिलेगा। यह बिल आया हुआ है और उससे हमारा मक़सद हल न हो तो फिर हम उनका सुधार कर सकते हैं, दूसरा बिल आ सकता है लेकिन इसके पहले अगर हम इसी को एक बार आज़माइश करके देख लें तो सम्भव है कि इस विधेयक के द्वारा सफलता प्राप्त हो सके।

चांसलर के पास जो भी सिफारिशें कौंसिल से जायंगी जैसे कि फाइनेंशियल मैटर्स के बारे में या अन्य मामले में उसमें निस्सन्देह वह अर्थ व्यय के बारे में सरकार से सलाह लेगा, उस समय चाहे कांग्रेस सरकार हो, या सोशलिस्ट सरकार हो, क्योंकि फाइनेंस का मामला ऐसा होता है जो सरकार ही बता सकती है कि कितना बजट है लेकिन यह नहीं कह सकते कि जैसा कि माननीय तिवारी जी ने कहा कि हर बात में चांसलर हस्तक्षेप करेगा उन्होंने एक नियुक्ति के विषय में प्रश्न उठाया और कहा कि चांसलर ने उनकी सारी एप्लीकेशन्स मगवायीं, मेरा यह ख्याल है कि उन्होंने सब कागजात मंगवाये होंगे तो इस लिये कि वे सच्चाई जान सकें, जस्टिस कर सकें, वह ठीक न्याय दे सकें। अगर कोई कहीं गलती है तो वह चांसलर हैं उनको पूर्ण ज्ञान हो जाय, मेरा ख्याल है कि इसी बात के लिये उन्होंने वह सब पेपर्स मंगवाये होंगे। जहां तक चांसलर की और पावर्स का प्रश्न है वह जब पिक्चर में आता है जब हमारी एक्जीक्यूटिव कौंसिल में बात एकमत से तय न हो तभी वह पिक्चर में आता है। तो इन शब्दों के साथ मैं आपके द्वारा माननीय तिवारी जी से फिर निवेदन करूंगा कि जहां तक चांसलर की पावर्स का सवाल है वह शंका उनकी निर्मूल है।

अन्त में यही निवेदन करूंगा कि यूनीवर्सिटी की स्वतन्त्रता का अपहरण नहीं किया गया है उतना ही हस्तक्षेप किया गया है जिसकी सरकार को आवश्यकता थी। जहां तक यूनीटरी कैरेक्टर का प्रश्न है एफीलियेशन से अवश्य शिक्षा का स्तर गिरेगा मैं पूर्ण यूनीटरी करेक्टर का हामी हूं। अपना स्टैंडर्ड ऊंचा करके अच्छे स्टूडेंट्स पैदा करने हैं, विदेशों में अपने स्टूडेंट्स को भेज कर हम गर्व कर सकें कि हमारे छात्र किसी से कम नहीं हैं और अगर आप यह चाहते हैं कि वह आपका नाम वहां ऊंचा रखें तो आपको यह करना पड़ेगा। इन शब्दों के साथ माननीय मंत्री को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस अधिनियम को लाकर उपकार किया है।

*श्री राधा मोहन सिंह (जिला बलिया)--उपाध्यक्ष महोदय, जो बिल शिक्षा मंत्री ने पेश किया है उसका मैं स्वागत करता हूं और मैं इस प्रस्ताव का कि इस बिल को

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दुबारा प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय, विरोध करता हूं। मैं, जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है मैं तो विश्वविद्यालय का शिक्षक भी नहीं हूं और न शिक्षा शास्त्री हूं। मुझे कोई बहुत ज्ञान नहीं है। लेकिन मैं एक ले मैन पौइंट आफ ब्यू, जैसा कहा जाता है, वही रखना चाहता हूं। मुझे इस बात का सन्तोष है कि जो आज शिक्षा मंत्री के पद पर हैं वह कोई शिक्षा शास्त्री नहीं बल्कि एक ले मैन ही वहां बैठे हुए हैं और मैं आशा करता हूं कि मैं जो व्यू पाइंट रखना चाहता हूं वह हमारे माननीय सदस्यगण भी समझेंगे और इस बिल में नहीं लेकिन जब कभी होगा उसमें इनका समावेश करने का प्रयत्न करेंगे। मैं तो इस बात का स्वागत करता हूं कि इस विधेयक के अन्दर बहुत सी नई बातों का समावेश किया गया है और जो विश्वविद्यालय के प्रबन्ध में बहुत सी त्रुटियां आ गई थीं उनको दूर करने के लिये एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। लेकिन मैं इस बात को महसूस करता हूं कि जो मैं आशा किये हुए था कि क्रान्तिकारी कदम उठाने का अवसर आ गया है, वह नहीं उठाया गया है। मुझे इस बात का दुःख है कि आज हम अंग्रेजी पद्धति को ही अपनाते जा रहे हैं। आज के इस युग में जिन बातों का कोई स्थान नहीं है, जिन बातों का सम्बन्ध केवल अंग्रेजी इतिहास से है उनका हम यहां समावेश देखते हैं। मैं आशा करता था कि आज वह अवसर आ गया है कि हम एक ही अधिनियम ऐसा बनावें जो कि सब यूनीवर्सिटीज को लागू हो। यह नहीं कि लखनऊ के लिये अलग हो, काशी के लिये अलग, इलाहाबाद के लिये अलग, अलीगढ़ के लिये अलग हो, ऐसा मेरी समझ में नहीं आता। एक ऐसा विधेयक प्रस्तुत होना चाहिये जो तमाम यूनिवर्सिटीज को एक्सां लागू हो। इसलिये मैं आशा किये हुए था कि वह अवसर आया है जब हम ऐसा विधान बनायेंगे जो सब को लागू हो।

दूसरी बात जिसको देख कर मुझे बहुत दुःख हुआ वह यह है कि हम देखते हैं कि यूनीवर्सिटीज के अन्दर कई प्रकार की अथोरिटीज दिखाई पड़ती हैं। कहीं सीनेट है, कहीं ऐक्वीजीक्यूटिव कौंसिल है, कहीं ऐकेडेमिक कौंसिल है। विधानों के सम्बन्ध में रूल्स, स्टेट्यूट्स, आर्डिनेंस हैं, यह विभिन्न नाम देखने में आते हैं। मैं यह कहता हूं कि क्या यह सम्भव नहीं था कि हम इनको सिमप्लीफाई करते और ऐसा बनाते जिससे काम सुगमता से हो।

ऑक्सफ़ोर्ड, कैमब्रिज की यूनीवर्सिटीज का कई सौ सदियों से उत्थान हुआ है, वहां का इतिहास अलग है। लेकिन हमारे इस नये राष्ट्र में जहां हम नई बातें करने जा रहे हैं, वहां बराबरी करना ठीक नहीं है। अभी हमने लैंड रिफार्म बिल में देखा कि जो बीसियों किस्म के काश्तकार थे उनको सबको हमने एक में सिमप्लीफाई कर दिया। तो क्या यह सम्भव नहीं है कि यूनीवर्सिटियों को भी हम ऐसा ही कर दें। इसलिये मैं तो आशा करता हूं कि अगर कभी सम्भव हुआ हमारे शिक्षा मंत्री महोदय आगे इस बात का प्रयत्न करेंगे कि एक ऐसा विधेयक, अधिनियम बनावें जिसमें सबका समावेश हो।

तीसरी बात यह कहना चाहता हूं इस विधेयक के अन्दर अपने राष्ट्र के हितों का ख्याल नहीं रखा गया है। हम तो शिक्षा शास्त्रियों से ऐसे दबे हुए हैं, हम शिक्षा मंत्री को समझते हैं कि वह भी दब गये हैं, उनके अन्दर जो क्रान्तिकारी भावनायें थीं वह दब गई हैं। हमारे यहां का पहले का इतिहास देखा जाय तो पता चलता है कि बड़े बड़े विश्वविद्यालय थे वहां पर हजारों की तादाद में लड़के पढ़ते थे, लेकिन आज हमारा दृष्टिकोण संकुचित हो गया है। हमको चाहिये कि ऐसी व्यवस्था की जाय कि देहातों में जो हजारों की तादाद में लड़के पढ़ते हैं उनको उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये अधिक परेशान न होना पड़े। मेरा मतलब है कि आसपास के जो कालेजेज हैं वह पास की यूनीवर्सिटीज से सम्बन्धित हो सकें, टीचिंग यूनीवर्सिटीज हों। इसलिये मैं चाहता हूं कि विधेयक के अन्दर इस बात का समावेश होना चाहिये कि जो मनुष्य के अन्दर ऐसी आकांक्षायें हैं कि हम नई-नई खोज करें, अपने ज्ञान को आगे बढ़ावें और उन चीजों को

[श्री राधा मोहन सिंह]

प्राप्त करें जो आज उपलब्ध न हों, वह कर सकें और दूसरे यह कि अपने देश के निवासियों को हर चोज की शिक्षा दें। आगे ऊंची से ऊंची शिक्षा जो दुनिया में कहीं मिल सकती है, वह भी हम दे सकें, ऐसा हम प्रबन्ध करें। तो इन दो उद्देश्यों की पूर्ति के लिये ही विश्वविद्यालय के अन्दर हम जाते हैं। लेकिन आज तो हम देखते हैं कि हम गुटबन्दी के फेर में पड़े हुए हैं, उसके चक्कर में पड़े हुए हैं। मैं आशा करता हू कि आगे अगर कोई विधेयक शिक्षा मंत्री जी लायंगे तो इसको ध्यान में रखेंगे। हमको बजाय प्योर एकेडेमिक एजुकेशन देने के टेक्निकल शिक्षा देने की ज्यादा जरूरत है और हमको चाहिये कि हम आज टेक्निकल युनिवर्सिटीज बनायें। कहीं पर कृषि विज्ञान का विषय हो और कहीं और किसी तरह के विषय हों और उनका हम विकास करें। इस प्रकार हम उन्हें रखें कि अगर लखनऊ में एक विषय को विशेषता है तो इलाहाबाद में दूसरे विषय को हो और दूसरी जगह तीसरे विषय को। ऐसी हमको व्यवस्था करनी चाहिये और हम इस तरह से योजना बनावें कि हमारे राज्य के अन्दर में हर चोज की यूनिवर्सिटीज हों और कोई भी हमारा विद्यार्थी यह न सोचे कि हम बाहर जाकर शिक्षा प्राप्त करेंगे। मैं तो सोच रहा था कि बहुत कुछ बातें हम इसमें कर सकते थे।

इस विधेयक के अन्दर में फाइनेन्शियल कंट्रोल के जो प्राविजंस रखे गये हैं उनका मैं स्वागत करता हूं। मैं ऐसा समझता हूं कि किसी भी संस्था को जो जनहित में कार्य करती हो, उसको यह अधिकार नहीं होना चाहिए कि वह कर्जे पर अपना काम चलाये मगर उसमें उस कर्ज को अदा करने की क्षमता न हो। हम लेते जायं और दूसरा हमारे कर्ज को अदा कर देगा, अगर इस तरह की भावनायें हमारे सूबे के अन्दर में हैं तो जितनी जल्दी वह खत्म हो जायं उतना ही अच्छा है। मैं समझता हूं कि जो अदा कर सके उसी को कर्ज लेने का अधिकार है। तो अगर कर्जे को अदा करने का भार सरकार के ऊपर है तो उसका फाइनेंशल कंट्रोल होना ही चाहिए। इसलिए जो व्यवस्था फाइनेंशल कंट्रोल की विधेयक में की गई है मैं उसका स्वागत करता हूं। जहां तक आटोनामी की बात कही जाती है मैं यह कहना चाहता हूं कि आटोनामी के माने यह नहीं हैं कि हम बिल्कुल किसी तरह का दखल न दें और जो कुछ हो रहा है उसे होने दें। आटोनमी के माने तो यह है कि जो शिक्षा देने का काम हमने उनके सुपुर्द किया है, वह शिक्षा वह अच्छी तरह से दें और उसमें कोई दखल न हो। लेकिन बजाय इसके अगर वह दलबन्दी में फंस जाते हैं और गुटबन्दी के शिकार होते हैं तो वह आटोनामी झूठी है। मैं आपसे उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि हम टीचर को पसन्द करते हैं, शिक्षक और अध्यापक होना बड़ी अच्छी चीज है, पालीटिशयन होना भी एक अच्छी चोज है, मगर जहां पर टीचर पालिटिशियन आता है वहां वह बड़ी खतरनाक चोज हो जाती है। मैं इस विधेयक का इसलिए भी स्वागत करता हूं कि इस विधेयक में, बहुत सी एलेक्टेड बाडीज जो थीं उनको खत्म किया गया है। यह कहना कि यूनिवर्सिटी को आटोनामी के मतलब यही है कि वह अपना स्वतन्त्र रूप से चुनाव करा लें, यह बिल्कुल गलत बात है। जब एक ऐसी सरकार यहां कायम है जो जनता की सरकार कही जा सकती है और जनता के धन से हम किसी को मदद कर रहे हैं तो यह भी देखना उस सरकार का फर्ज है कि जनता के धन का दुरुपयोग न होने पाये। इसलिये मैं इसका स्वागत करता हूं। दूसरी बात वाइस चांसलर की नियुक्ति के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि वाइस-चांसलर की नियुक्ति का जो प्राविजन किया गया है मैं उसे सही समझता हूं। मैं ऐसा नहीं समझता कि वाइस-चांसलर की नियुक्ति के लिए जो वहां पर फैसला हो वही मान लिया जाय। बल्कि मैं तो यह समझता हूं कि जो फैसला उनका किसी एक के लिए सर्वसम्मति से आया हो वह भी गलत हो सकता है और मैं

तो शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे भी पालिटिशियन्स देखने में आते हैं और ऐसा भी समय आ सकता है कि कोई अपने लिए सर्वसम्मति से भी फैसला करा ले। कभी-कभी गुटबन्दी करके कोई आदमी ऐसा भी करा सकता है। तो मैं तो यह समझता हूं कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि वह तीन नाम अवश्य सबमिट करे और चांसलर को यह अधिकार होना चाहिए कि उनमें से किसी एक को एप्वाइंट कर दे। इसमें कोई डरने की बात नहीं है। एक बात मैं विशेष तौर से और निवेदन करना चाहता हू कि टीचिंग यूनिवर्सिटीज तो हमारे यहां हैं लेकिन उनसे एफिलिएटेड कालेजेज भी होने चाहिए जो उनके मातहत रह कर उसी ढंग की शिक्षा दे सकें। ऐसी आशा हमें करनी पड़ेगी कि जब तक हमारे मुल्क में और यनिवर्सिटीज कायम न हो जायं तब तक हमको ऐसी यूनिवर्सिटीज रखनी पड़ेगी कि जो टीचिंग यूनीवर्सिटीज हों और जो उसके आस-पास कालेजेज हैं वह उससे सम्बन्धित हो सकें। इससे बड़ा भारी लाभ यह होगा कि उन कालेजों के ऊपर यूनीवर्सिटीज का कंट्रोल रहेगा और वहां जो अध्यापक होंगे वह भी वहां की यूनीवर्सिटी की व्यवस्था के अनुसार होंगे। इससे किसी प्रकार की कोई दिक्कत या अड़चन नहीं हो सकती। बल्कि लाभ ही होगा कि जो लड़के दूर रहते हैं वह अपने पास के शहर के कालेज में ही शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं उन्हें बड़े बड़े शहरों में नहीं जाना पड़ेगा। अब हमें देखना यह है कि हमारी शिक्षा का स्तर ऊंचा हो और अगर इस प्रकार की व्यवस्था हो सकेगी तो हमारी शिक्षा के स्तर में किसी भी तरह से कमी नहीं आयगी और हम अपना ध्येय भी प्राप्त कर सकेंगे।

दूसरी बात यह है कि हमारे जो छात्र हैं उनके लिये यही नहीं होना चाहिये कि हम उनको शिक्षा ही खाली दे दें बल्कि आज कल जो उनके अन्दर एक डिसिप्लिन नहीं रह गया है और इंडिसिप्लिन पैदा हो गया है उसके सम्बन्ध में हम जानना चाहते हैं कि इसको दूर करने के लिये क्या किया गया है जिससे हम अपने छात्रों की इन भावनाओं को दूर कर सकें। आज हमारे शिक्षा मंत्री जी को बड़ी चिन्ता थी कि अध्यापकों के अन्दर और विद्यार्थियों के अन्दर जो गुटबन्दी का वातावरण है उसका कोई प्रबन्ध यूनिवर्सिटीज में नहीं है। कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये जिससे हम यह भावना दूर कर सकें। आज हमारे लिये यह एक बड़ा भारी हैंडेक हो गया है कि कैसे हम अपने छात्रों के अन्दर अनुशासन पैदा करें और ऐसी प्रेरणा उनको दें जिससे वह ऐसे कार्यों से अलग होकर अपने दिमाग को अपनी शिक्षा की तरफ ले जायं और वह एक अच्छे नागरिक बन सकें।

मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आज रूस और चीन में शिक्षा की तरफ एक बड़ा भारी कदम उठाया जा रहा है। वहां विश्वविद्यालयों की बहुत कमी है। वहां शिक्षा की व्यवस्था कम है और पढ़ने वाले बहुत हैं। वहां पर २-३ तरह की पढ़ाई होती है। मैं यह कहना चाहता हूं कि मुझे कुछ ज्यादा ज्ञान नहीं है लेकिन जो लेख निकलते हैं या वहां से लोग आये उनसे मालूम हुआ है कि वहां पर बहुत सी ऐसी संस्थाएं खुल गई हैं जिनमें यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी और अध्यापकगण पार्ट टाइम करते हैं और उनका विज्ञापन छप जाता है कि फलां समय फलां डाक्टर उस स्थान पर आयगा और उस जगह पर बहुत से विद्यार्थी जानकारी हासिल करने के लिये एकत्रित होते हैं ऐसे लोगों को लाभ होता है जो और कहीं नहीं पढ़ सकते हैं फिर भी उनको ऊंचे से ऊंचा ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ऐसी बहुत सी जगहें हैं और पार्क हैं जहां पर घंटे नियत हैं और वहां पर शिक्षा देने वाले के लिये बड़े बड़े लोग बुलाये जाते हैं और वह लोग वहां आते हैं और उन छात्रों को जो अधिकतर मजदूर होते हैं उनको आज कल के युग का आधुनिक ज्ञान से जानकारी हासिल कराते हैं। यह मालूम होता है कि वहां पर जो लोग विश्वविद्यालय में नहीं जा पाते हैं वह भी आज की ऊँची से ऊंची शिक्षा से वंचित नहीं रह सकते हैं।

[श्री राधामोहन सिंह]

मैं आशा करूंगा कि जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने कहा था कि हम मजदूरों के लिये ऐसे कालेज खोलेंगे जहां रात में पढ़ाई हो। हम इस पर विचार कर रहे ह । मैं उनको बतलाऊंगा कि इस तरह की संस्थायें जिनसे हमें सहायता मिल सकती है और ऐसे लोगों को शिक्षा प्राप्त करने में प्रोत्साहन मिले जो विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ सकते हैं। आज हमारे विश्वविद्यालयों में ऐसे लड़के होते हैं जिनकी पढ़ाई केवल एक या दो घंटे होती है जैसे ला के स्टूडेंट्स हैं वह केवल दो घंटे काम करते हैं और बाकी समय उनका बेकार जाता है। हमें कोई ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहिये जिससे हम लाभ उठा सकें। मैं शिक्षा मंत्री जी से कहूंगा और शिक्षा शास्त्रियों से कि वह इस बात की खोज करें कि क्या हम इनको उपयोग नहीं कर सकते हैं। इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि अगर इस विधेयक में नहीं तो कम से कम दूसरे विधेयक में इस बात को कर दिया जाय कि ला को सिम्पलीफाई किया जाय ताकि जो तरह-तरह के डीन्स, लेक्चरार्स और प्रोफेसर्स वगैर हैं उनके बजाय दो केटेगरी हो जायं।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)—उपाध्यक्ष महोदय, जो बिल हमारे सामने प्रस्तुत है उसमें लिखा भी हुआ है और माननीय मंत्री जी ने भी यह कहा है कि इस बिल में जो संशोधन हैं वे राधाकृष्णन् कमीशन, मूथम कमेटी और जो हायर एजूकेशन पुन-स्संगठन कमेटी बनी थी उसकी सिफारिशों पर आधारित है। लेकिन अगर उसको आदि से अन्त तक पढ़ा जाय तो यह मालूम होगा कि इन कमेटियों का नाम लेना, मैं समझता हूं, इनका अपमान करना है। इन कमेटियों में जो सिफारिशें की गयी हैं उनको ठुकरा कर जिस कदर मनमानी इस बिल में की गयी है, संभवतः संसार में आज तक ऐसे कमीशनों और कमेटियों की इतनी बेइज्जती कभी नहीं हुई होगी। मैं आगे उदाहरण देकर बताऊंगा कि इन कमेटियों और कमीशनों ने क्या रिकमेंडेशन की हैं और हमारी सरकार और माननीय मंत्री जी ने उनको किस तरह से इस बिल में रखा है। पहली बात तो मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस ढंग से इसमें संशोधन पेश किये गये हैं वे स्टूडेंट्स के द्वारा ही लागू हो सकते थे। इस संशोधन विधेयक को लाकर इस विश्वविद्यालय का तथा इस सूबे का ही नहीं बल्कि हमारे भारतवर्ष का जो मस्तक ऊंचा था उसको डिग्रेड (अपमानित) करने के लिये हमारी सरकार तुली हुई है। मुझे इसका बड़ा रंज है। उपाध्यक्ष महोदय, जिस इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों द्वारा, अगर यह कहा जाय कि इस प्रान्त की सरकार संचालित है, तो अनुपयुक्त न होगा, जिस इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने ऐसे ऐसे विद्यार्थियों को शिक्षा दी जिनके ऊपर आज हमारा प्रान्त गर्व कर सकता है। लेकिन पता नहीं क्यों, जहां तक मेरी समझ में आता है, लखनऊ यूनिवर्सिटी के नजदीक घसीट कर लाने की अनुचित कोशिश की गई है। जैसे कहा गया है कि सब धान बाइस पसेरी, वही बात है। एक ही तौल सब चीजों की हो। क्वालिटी और क्वांटिटी का कोई विश्लेषण न हो। मंत्री जी सभी यूनिवर्सिटियों को एक-सा कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, इस प्रान्त में पांच यूनिवर्सिटीज हैं, जिनमें दो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रबन्ध में हैं। इस प्रकार तीन यूनिवर्सिटीज रह जाती हैं। आगरा यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और लखनऊ यूनिवर्सिटी। आगरा यूनिवर्सिटी तो पहले से अफीलिएटिंग यूनिवर्सिटी है। सिर्फ इलाहाबाद और लखनऊ ये दो ही ऐसी यूनि-वर्सिटीज थीं जो कि रेजिडेंशल और यूनिटरी केरेक्टर की थीं। लेकिन जबसे यह सरकार आयी या जब से हमारे माननीय मंत्री जी ने शिक्षा का भार वहन किया है तब से वे इस बात पर तुले हुए हैं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की जो विशेषता है उसको हम जरूर किसी न किसी तरह से निकाल देंगे। अगर मूथम कमेटी की रिपोर्ट को पढ़ा जाय

और सन् ५२ से ५४ तक की परिस्थिति को देखा जाय तो मालूम होगा कि वहां की एक्जिक्यूटिव कौंसिल और दूसरी समितियों पर किस प्रकार से दबाव डाल कर बारम्बार पास कराने की कोशिश की गयी कि वह इस बात को स्वीकार कर लें कि जो वहां दूसरे कालेजेज हैं उनको मान्यता दे दे। इस मूथम कमेटी ने यद्यपि कई जगह अपना मत प्रकट किया है कि इस प्रकार के जो अफीलिएंश की स्वीकृति दी गयी है वह बिल्कुल अनकांस्टीटचूशनल (अवैधानिक) और इल्लीगल (अवैध) है। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी को चाहिये तो यह था कि जब तक हमारी सेकेंडरी एजुकेशन ठीक नहीं होती है तब तक यूनिवर्सिटी एजूकेशन पर गौर करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि सेकेंडरी एजूकेशन ही शिक्षा की रीढ़ है, उसी से प्राइमरी एजूकेशन को अध्यापक मिलते हैं और वहीं से विद्यार्थी यूनिवर्सिटीज को विशेष ज्ञान के लिए जाते हैं। लेकिन उसके ऊपर जो हमारे माननीय सम्पूर्णानन्द जी ने अपना सुझाव पेश किया था उसकी सिफारिशों पर कोई कार्य नहीं किया गया है और इसी प्रकार केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्मित मुदालियर कमेटी की सिफारिशों पर भी कोई गौर नहीं किया गया। मैं समझता हूं कि यह इस प्रकार से कदम उठाया गया है जैसे कोई जड़ को न सींच कर पत्तों पर या डालों पर पानी छिड़के। अध्यक्ष महोदय, जहां तक यूनिवर्सिटी के यूनिटरी और रेजिडेंशल केरेक्टर का सवाल है उसके लिए यह कहा गया है कि इस प्रकार से जो स्थिति इस बिल में है कि वह कुछ कालेजों को रेकगनाइज करे और उसका यूनिटरी और रेजिडेंशल केरेक्टर भी बना रहे। मैं इस सम्बन्ध में माननीय तेजप्रताप सिंह जी की बात को दोहराना नहीं चाहता हूं कि "साइन बोर्ड तो शुद्ध देशी घी का लगा हुआ है और बिक रहा है डालडा"! या बारह बजे दिन को कोई कहे कि इस समय रात के बारह बजे हैं। ऐसी ही बात एफिलिएटिंग कालेजेज और रेजिडेंशल और यूनिटरी केरेक्टर की बात है। अगर माननीय मंत्री जी को शिक्षा में कोई ऐसी प्रगतिशील कदम उठाना है तो कोई भी कांस्ट्रक्टिव कदम ऐसा उठाएं जिससे इस समस्या का कुछ हल निकल सके। और वह यह कि अगर उनको विद्यार्थियों को विश्वविद्यालयों में आकोमोडेट करना है तो कानपुर में एक यूनिवर्सिटी खोली जा सकती है जो कि दूसरे कालेजों को अफीलिएशन दे सकती है और जो आज आगरा यूनिवर्सिटीज के ऊपर भार है वह भी हल्का हो जाता है। इसके लिए डाक्टर हृदयनाथ कुंजरू ने राधाकृष्णन् कमीशन के सामने गवाही देते हुए कानपुर एक नई यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए अपनी राय प्रकट की थी। उपाध्यक्ष महोदय, मूथम कमेटी में इस बात पर जोर दिया गया है कि यूनिटरी कैरेक्टर को ही रिटेन करने में यूनीवर्सिटी का भला है। जिस अध्याय में यूनिटरी और रेजीडेंशियल कैरेक्टर को डील किया है उसके लास्ट में दिया हुआ है:

"Finally it is right that we should make it clear that we have examined this matter from the point of view of the University alone. From that point of view we are of opinion that the unitary system should be retained but we recognise that the question is of wide educational importance."

यह फाइनल जो रिपोर्ट है उसमें दो बातें दी गई हैं। उसमें जो यह सेकेंडरी (दूसरी) लिखा है यह हो सकता है उसे तो एक्सेप्ट कर लिया है लेकिन आखिर में जो यह अन्तिम निर्णय लिखा है कि यूनीटरी करेक्टर रिटेन करना चाहिये उस पर गौर नहीं किया।

उपाध्यक्ष महोदय, किसी स्वतन्त्र देश की शिक्षा में जिन आधारभूत सिद्धान्तों का समावेश होना चाहिये उन पर राधाकृष्णन् कमीशन ने काफी गौर किया है, उन पर माननीय मंत्री जी ने कोई ध्यान ही नहीं दिया। उस कमीशन के पेज ४८–४९ में जो लिखा है उसको मैं आपकी आज्ञा से पढ़ देना चाहता हूं:—

"Freedom of individual development is the basis of democracy exclusive control of education by the State has been an important factor in facilitating

[श्री जोरावर वर्मा]

the maintenance of totalitarian tyrannies. In such States institutions of higher learning controlled and managed by the governmental agencies act like mercenaries, promote the political purposes of the State, make them acceptable to an increasing number of their populations and supply them with the weapon they need. We must resist in the interest of our own democracy, the trend towards the Governmental domination of the educational process.

Higher education is undoubtedly, an obligation of the State but State aid is not to confuse with state control over academic policies and practices. Intellectual progress demands the maintenance of the spirit of free enquiry. The pursuit and practice of truth regardless of consequences has been the ambition of University. Their prayer is that of the dying Goethe : "More light" or that of Ajax in the mist Light though I perish in the light."

Professional intergrity requires that teachers should be as free to speak on controversial issues as any other citizens of a free country. An atmosphere of freedom is essential for developing this morality of the mind."

The respect in which the Universities of Great Britain are held is due to the freedom from Governmental interference which they enjoy constitutionally and actually. Our Universities would be released from the control of politics."

श्री सुरेशप्रकाश सिंह (जिला सीतापुर)--इसका तर्जुमा करा दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--इसका तर्जुमा कर दीजिये ।

श्री जोरावर वर्मा--बहुत अच्छा "व्यक्ति के विकास की स्वतंत्रता जनतंत्र का आधार है तानाशाही और निरंकुश शासनों को कायम रखने में शिक्षा के क्षेत्र पर पूर्ण सरकारी नियंत्रण ने बहुत मदद की है । ऐसे देशों में जहां शिक्षा पर सरकारी नियंत्रण होता है, उच्च शिक्षा संस्थायें सरकारी प्रबन्ध व नियंत्रण में राज्य के राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के भाड़े के साधन बन जाती हैं, ज्यादा से ज्यादा बड़ी जनसंख्या के लिये स्वीकार्य बनती है और राज्य को जिन अस्त्रों की आवश्यकता होती है, उन्हें वे सप्लाई करने लगती हैं । अपने जनतंत्र की रक्षा करने के लिये हमें इस बात का प्रयत्न करना चाहिये कि शिक्षा व्यवस्था पर सरकारी प्रभुत्व बढ़ाने की नीति न चलें ।

उच्च शिक्षा, निस्संशय ही, सरकार की जिम्मेदारी है, पर सरकारी सहायता और शिक्षा नीति व व्यवहार पर सरकारी नियंत्रण का भेद बहुत बड़ा है । बौद्धिक प्रगति के लिये आवश्यक है कि जानने समझने की भावना की स्वतंत्रता कायम रहे। विश्वविद्यालयों की यह आकांक्षा रही है कि वे सत्य की खोज कर उसके अनुरूप आचरण कर सकें, उसका फल चाहे जो कुछ भी न हो ।

पेशे की ईमानदारी की यह मांग है कि विवादास्पद विषयों पर अध्यापक भी इतनी स्वतंत्रता से बोल सकें जितनी कि स्वतंत्र देश के किसी अन्य नागरिक को प्राप्त है । मानसिक नैतकिता के विकास के लिये स्वतंत्रता का वातावरण अनिवार्य है ।

ब्रिटेन के विश्वविद्यालय जिस सम्मान की दृष्टि से देखे जाते हैं उसका कारण उनकी सरकारी हस्तक्षेप से वैधानिक और यथार्थ स्वतंत्रता है । हमारे विश्व-विद्यालयों को राजनीतिक नियंत्रण से छुटकारा मिलना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक यूनिवर्सिटी आटोनामी की बात है वहां तक मैं यह कहूंगा कि यूनिवर्सिटी में नाममात्र के लिये भी आटोनामी इस बिल में नहीं है । यद्यपि

माननीय मंत्री जी अपने जनरल भाषण में यह कहा था कि एकेडेमिक आटोनामी जो है उनके लिये कोई ऐसी धारा इसमें नहीं रखी गयी है जिससे किसी प्रकार की उसमें बाधा पड़ती हो। माननीय मंत्री जी ने एकेडेमिक अटानामी और मैनेजेरियल आटोनामी में भेद किया है लेकिन मूथम कमेटी रिपोर्ट में इसको साफ बताया गया है कि यह दोनों एक हैं और इनको अलग नहीं किया जा सकता है। उसमें यह लिखा है कि: "We doubt whether any useful purpose is served by seeking to draw a distinction between Academic and Administrative or Financial autonomy. The University is a single entity and the issues of its academic freedom can not be considered in isolation."

अध्यक्ष महोदय, इसमें साफ कहा गया है कि एकेडेमिक आटोनामी और मैनेजेरियल आटोनामी में कोई फर्क नहीं है और उनको अलग-अलग नहीं किया जा सकता है। जहां तक यूनिवर्सिटी के ऐडमिनिस्ट्रेशन का सवाल है माननीय मंत्री जी और सरकारी हस्तक्षेप उसके ऊपर इस प्रकार से छाये हुए हैं जिस प्रकार से हमारे ऊपर यह छत छाई हुई है। यहां तो हमको सांस लेने की स्वतंत्रता और साधन है परन्तु और किसी को वहां पर सांस लेने की स्वतंत्रता नहीं है। ब्रिटेन के अंदर यूनिवर्सिटी को बहुत स्वतंत्रता दी गई है। रायल चार्टर के अनुसार उनको स्थापित किया गया है और आज तक उनके लिये कोई बिल पार्लियामेंट में पेश नहीं हुआ है जिससे कि कैम्ब्रिज या आक्सफोर्ड विश्वविद्यालयों के बारे में संशोधन आया हो। मूथम कमेटी रिपोर्ट में इसके लिये साफ कह दिया गया है कि इस प्रकार से उनकी स्वतंत्रता छीनना किसी प्रकार से उचित नहीं है। इससे उनके कार्य में बाधा पड़ती है। उसमें यह कहा गया है कि: "We have no doubt at all that a high degree of autonomy is a fundamental need of a University, to perform its task properly. The claim to academic freedom rests, we think, on the three grounds on the necessity of freedom from any form of regimentation in the highest task of the University."

अध्यक्ष महोदय अगर आप देखेंगे तो मालूम होगा कि इसमें सर्वत्र नामिनेशन का बोलबाला मिलेगा। कोई स्थान ऐसा नहीं है जहां पर नामिनेशन का जिक्र न हो। इस नामिनेशन का क्या असर होगा इसके बारे में श्री एफ० जी० पर्दे साहब जो राधाकृष्णन कमीशन के सामने अपनी गवाही देने के लिये आये थे उन्होंने अपने बयान में बताया है। उन्होंने कहा था कि:—

"The problem of the Autonomy of Indian Universities is considered solely in relation to the extent to which the State can interfere in University affairs. While this factor is serious and fundamental of up less importance is the fact that undesirable interference is not confined to the State, but extends to individual politicians and to other classes of non-academic persons, who under our existing Constitution, so easily secure places on the Senate syndicate and other governing bodies of the University. This kind of intrusion into the Statutory authority of the University may often prove more detorimental to the University than open State influence."

अध्यक्ष महोदय, कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी स्टेट के लिये किसी यूनिवर्सिटी के काम में हस्तक्षेप करना उतना खतरनाक नहीं होता है जितना कि नामिनेशन खतरनाक होगा। क्योंकि जो व्यक्ति उसके लिये नामिनेट किये जायेंगे उनका अलग-अलग इन्टरेस्ट होगा और वह अपने इन्टरेस्ट के अनुसार यूनिवर्सिटी के काम में दखल देंगे और उसका नतीजा यह होगा कि हमारी यूनिवर्सिटी जो ज्ञान का मंदिर है वहां पर ज्ञान की खोज की जाती है वह अपना यह काम नहीं कर सकेगी। बल्कि माननीय मंत्री जी ने कल यह कहा था कि हम संशोधन इसलिये इसमें लाये कि वहां पर जो गुटबन्दी है वह दूर हो जाये। लेकिन माननीय मंत्री जी ने इसमें एक भी धारा ऐसी नहीं रक्खी है जिससे यह गुटबन्दी बन्द होती हो। बन्द होना तो दूर रहा लेकिन इससे तो और भी गुटबन्दी बढ़ने की आशा है। इससे केवल यह होगा कि नया रास्ता दूसरा हो जायगा और वह गुटबन्दी बाई नामिनेशन या किसी और दूसरे तरीके से हो जायगी। अध्यक्ष महोदय, यह

[श्री जोरावर वर्मा]

भी कहा गया कि अध्यापक लोग इलेक्शन्स में भाग लेते हैं, इससे बड़ी खराबी पैदा होती है, लेकिन मैं कहता हूं कि इस तरह की बात करना डेमोक्रेसी के प्रिन्सिपल के ही खिलाफ जाती है। अगर मैं यह कहूं कि हमारी सरकार जो इस समय है वह इलेक्टेड है और इसलिये वह नाजायज काम करती है, गलत काम करती है तो वह ठीक नहीं होगा। इसी प्रकार से यह टीचर्स के बारे में भी लागू नहीं हो सकता यह कहना कि उप-कुलपति जिन लोगों द्वारा वह चुने जायेंगे उन्हीं के ऊपर वे भली प्रकार से शासन नहीं कर सकते यह बात भी सरकार के ऊपर लागू हो जाती है क्योंकि जनता की चुनी हुई सरकार जनता के ऊपर ही शासन करती है इसलिये इस प्रकार की दलील देना डैमोक्रेसी के प्रिंसिपल के बिलकुल खिलाफ है।

उपाध्यक्ष महोदय और अधिक न कह कर मैं केवल यही कहूंगा कि जहां तक चांसलर की बात है राधाकृष्णन कमीशन ने साफ कह दिया था कि जिस सूबे के एक से अधिक यूनिवर्सिटीज हों वहां गवर्नर को चांसलर नहीं होना चाहिये। क्योंकि गवर्नर स्टेट का हेड होता है उसे राज काज से ही फुर्सत नहीं मिलती। इसलिये प्रत्येक स्टेट को यह तय कर लेना चाहिये कि यूनिवरसिटियों के अलग अलग चांसलर बनायें। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी आंध्र यूनिवर्सिटी की भांति ही कुछ तय कर लेंगे जहां कि चीफ जस्टिस को ही यूनिवर्सिटी का चांसलर बनाया गया है। काटजू साहब ने कहा कि यह एक चीफ जस्टिस के लिये परेशानी की चीज हो जायगी क्योंकि अगर कोर्ट में कोई मामला गया तो वे निर्णय भी देंगे लेकिन जैसे ढंग से यह सब हो रहा है, चांसलर को जो यह अधिकार दिये जा रहे हैं उनमें मैं समझता हूं कि उनको अपने काम काज से ही फुरसत न मिलेगी कि वे पूर्णरूप से भाग ले सकें। दूसरी तरफ अगर हम मंत्री जी की बात मान लें तो इसमें संदेह है कि गवर्नर उसमें भाग लेकर अपने सजेशंस दे सकें। कमीशन के सिलसिले में डा० अमरनाथ झा ने जो गवाही दी है उसमें बताया है कि आजकल गवर्नर की कोई सत्ता नहीं है, उसको मजबूरन गवर्नमेंट की राय से काम करना पड़ता है फिर इस प्रकार की बात कहना कि चांसलर पूर्ण टाइम भी दे सकेगा और निष्पक्ष सजेशंस भी दे सकेगा, मेरी समझ में यह उचित बात नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी चीज यह है कि जहां तक वाइस चांसलर के अधिकारों की बात है पुराने ऐक्ट में और इस बिल में उनकी कोई तुलना नहीं है। तारीफ की बात तो यह है जिसके अधिकार इतने बढ़े हुये हैं उसके लिये कोई क्वालीफिकेशन इस बिल में नहीं रक्खी गयी। इसमें कुछ भी नहीं बताया गया कि वह एम० ए० होगा, जनसेवक होगा या और कोई योग्यता उसमें होगी तब ही वह वाइस चांसलर हो सकेगा। मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से इसमें वाइस चांसलर के अधिकार बढ़ाये गये हैं उसी प्रकार से उसमें उसकी योग्यता का भी कोई कलाज जरूर होना चाहिये कि फलां फलां आदमी वाइस चांसलर हो सकेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक ट्रेजरर की बात है वह अब तक आनरेरी ही रहा है। इसमें एक धारा १३(२) जोड़ दी गयी है उसके द्वारा एक प्राविजन इस टाइप का लाया गया है कि उसको कुछ ऐमोल्यूमेंट्स दिये जा सकते हैं जिनको एक्जीक्यूटिव तय करे लेकिन अब माननीय मंत्री जी ने शायद एक्जीक्यूटिव कौंसिल को डाज करने के लिये ऐसा कर दिया है "एज मे बी प्रैस्क्राइब्ड इन दी स्टेट्यूट्स" यानी माननीय मंत्री जी यह चाहते हैं कि हम तो उनको रुपया दे दें और एक्जीक्यूटिव कौंसिल को या किसी को यह पता भी न लगे कि वास्तव में माननीय मंत्री जी उनको क्या देना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, राधाकृष्णन कमीशन ने बिलकुल साफ कह दिया है कि विजिटर जो हो वह राष्ट्रपति या प्रेसीडेंट होना चाहिये। उसका कारण भी बतलाया गया है। उसका कारण यह है कि ताकि यूनिवर्सिटी में जो कुछ शिक्षा दी जाय वह जहां तक हो सके जिससे पूरे देश का भला हो सके क्योंकि शिक्षा जो है वह हमारे प्रदेश का भी विषय है और हमारी

केन्द्रीय सरकार का भी विषय है। लेकिन माननीय मंत्री जी ने उस कमीशन की इस विषय में बिलकुल ही अवहेलना कर दी है।

जहां तक सेलेक्शन की बात कही गयी है, उसमें यह कहा गया है कि तीन एक्सपर्ट्स जो हैं उनको चांसलर महोदय इनवाइट करेंगे दूसरे विश्वविद्यालय से जो कि सेलेक्शन कमेटी में काम करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि एकेडेमिक कौंसिल का जो अधिकार है उसके अधिकार पर इस तरह से कुठाराघात किया गया है। यह कार्य उसे सौंपा जा सकता था। इतना नहीं बल्कि एक बात और की गयी है और वह यह कि एक नानएकेडेमिक व्यक्ति उसमें रहेगा पता नहीं कि एक ऐसा सदस्य जिसका शिक्षा से कोई संबंध नहीं है वह उसमें क्यों रखा गया है ? शायद वह इसलिये रखा गया है कि वह देखता रहे कि कहां पर क्या होता है, क्या नहीं होता और इस तरह से वह सांठ गांठ और तिकड़म भिड़ाता रहे ताकि किसी तरह से गवर्नमेंट का अधिकार यूनिवर्सिटी में दिन दूना रात चौगुना बढ़ता रहे और वास्तव में यूनिवर्सिटी सरकार के इशारे पर नाचती रहे।

उपाध्यक्ष महोदय, एक और बड़े दुख की बात है कि अध्यापकों के अनुशासन के विषय में एक कमेटी वाइसचांसलर बनायेंगे। मैं समझता हूं कि यह चीज अनावश्यक और अपमानजनक है क्योंकि एक्जीक्यूटिव कौंसिल को इस विषय में इस बात का अधिकार है और मैं समझता हूं कि हर एक यूनिवर्सिटी में कैरेक्टर रौल होते हैं और उसमें हर एक को इंट्रीज होती है। यह काम उन्हीं को सौंपा जाना चाहिये था लेकिन मैं समझता हूं कि इसका यह उद्देश्य हो सकता है कि वहां जो टीचर्स हैं उनके विक्टिमाइजेशन के लिये एक नया तरीका निकालागया है ताकि कोई अध्यापक इस बात का साहस न करे कि जो हमारी सरकार है या जिसके हाथ में शक्ति है, जो सत्ताधारी है उसके खिलाफ कोई आवाज न उठा सके और किसी प्रकार की कोई बात न हो सके। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की जो कमेटी है वह हमारे डेमोक्रेटिक प्रिंसिपुल के बिलकुल प्रतिकूल है।

अध्यक्ष महोदय, एक बात और ऐसी है जिसकी तरफ बहुत कम माननीय सदस्यों का ध्यान गया होगा। वह यह है कि जो पिछला ऐक्ट था उसमें एक धारा ऐसी है जिसमें माइनारिटीज के लिये रिप्रेजेंटेशन की व्यवस्था थी और मैं समझता हूं कि संभवतः वह धारा १० (२) है। माननीय मंत्री जी ने उसको हटा दिया है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह मानता हूं कि माइनारिटीज को अब कंस्टीट्यूशन में कोई स्थान नहीं दिया गया है लेकिन कंस्टीट्यूशन में इस बात को तो माना ही गया है कि देश में अभी कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिये विशेष रूप से संरक्षण की आवश्यकता है और वे हैं शेड्यूल्ड कास्ट। तो मैं माननीय मंत्री जी से यह आशा तो जरूर करता था कि जब उन्होंने माइनारिटीज वाले क्लाज को हटा दिया है तो कम से कम शेड्यूल्ड कास्ट के संरक्षण की विशेष रूप से व्यवस्था वे कर सकते थे।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके पहले कि मैं अपना भाषण समाप्त करूं एक विचित्र बात जो इस ऐक्ट में की गयी है वह यह कि एफिलियेशन के संबंध में एसोशिएटेड कालेजेज के लिये इसमें कुछ नहीं किया गया है। जिस तरह से आगरा युनिवर्सिटी का अमेंडिंग बिल है उसकी धारा २४(१) (२) में यह है कि जो आगरा युनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कालेज हैं यदि पहले से वहां इंटरमिडियेट शिक्षा देते हैं तो ५६, ५७ तक वहां इंटरमिडियेट की पढ़ाई खत्म कर दें और सन् ५३ से जिनके यहां इन्टर की शिक्षा नहीं है उनको कोई अधिकार नहीं है कि वे इस प्रकार से इंटरमीडिएट की शिक्षा दें तो माननीय मंत्री जी ने इस तरह का कोई संकेत नहीं दिया है कि जिन कालेजों का एफिलिएशन है वे एसोसिएटेड कालेज अपने यहां इन्टर की शिक्षा भी चलाते रहें और चलावें तो बी० ए० को भी साथ चलावें और क्या पोस्ट ग्रेजुएट की जो डिग्री है वह भी चलती रहेगी। इस तरह की बातों में यह ऐक्ट बजाय इसके कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के साथ कुछ जस्टिस करता है मैं समझता हूं कि उसके साथ यह घोर अन्याय करता है।

[श्री जोरावर वर्मा]

मैं समझता हूं कि उनके साथ घोर अन्याय है और इस प्रदेश के शिक्षित समाज और देश के जो शिक्षित विद्वान हैं उनके लिये यह बिल एक अपमान की चीज है। जो संशोधन माननीय तेज प्रताप सिंह जी ने रखा है कि इस पर फिर प्रवर समिति में विचार हो वह ठीक है। इस तरह से जो उसकी खामियां हैं वह दूर हो जायंगी और उसके बाद फिर इसको सदन के सामने लाया जाय।

महाराजकुमार बालेन्दु शाह--उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत बिल के संबंध में मैं अपने को एक अजीब परिस्थिति में पाता हूं। एक तरफ तो मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मामले बहुत ज्यादा बिगड़ गये थे कि उनका सुधार करना अत्यावश्यक हो गया था और साथ ही साथ दूसरी तरफ मैं मंत्री जी की उस घोषणा को असत्य पाता हूं कि उन्होंने इस बिल के द्वारा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बुराइयों का सामना किया है और उन्होंने अपने विचारों के अनुसार उनको दूर कर दिया है। जब कि मैं बुराइयों को स्वीकार करता हूं चाहे वह कितनी बड़ी और घोर हों जिनका दूर होना आवश्यक हो गया है किन्तु मंत्री महोदय के उस विचार से इस बिल के द्वारा उन्होंने यह काम सफलतापूर्वक किया है या कुछ हदतक अपने कर्तव्य का पालन किया है जो शिक्षा मंत्री का पद ग्रहण करने के बाद उन पर पड़ता है, मैं इस विचार से सहमत नहीं हूं। सब से पहले मैं आपकी आज्ञा से कहना चाहता हूं कि जब हम इस बिल पर विचार करते हैं तो हमारा कर्तव्य हो जाता है कि हम कुछ हदतक उन बुराइयों की ओर ध्यान दें जिन की यहां चर्चा हुई और जिनके कारण मंत्री महोदय को यहां इस बिल के लाने की आवश्यकता पड़ी। बुराइयों के विषय में सब तरफ से केवल एक शब्द ही कहा गया है कि वहां बुराइयां है या पाई जाती हैं मैंने ध्यान से सुना और जानने की कोशिश की कि वास्तव में क्रमशः वहां क्या क्या बुराइयां आ गई है लेकिन दुर्भाग्यवश इन्डायरेक्ट रेफरेंस के अलावा मैं नहीं जान पाया कि वह बुराइयां हैं क्या? इस का मतलब यह नहीं है कि मैं यह कहता हूं कि वहां बुराइयां नहीं हैं लेकिन मैं स्पष्ट रूप से यह कहने को तैयार नहीं हूं कि बिल में १-२-३ कर के कहीं बुराइयां बताई गई हैं कि इनका सामना हम कर रहे हैं। मुझे तो ऐसा प्रतीत हुआ कि यहां की बहस हवा में बहस का रूप धारण कर रही है। अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय बहुत जोर से मूथम कमेटी की रिपोर्ट को पेश करते हैं। मेरा सौभाग्य है कि उन्होंने उस को मेरी ओर नहीं फेंका लेकिन यह जानते हुये कि उस रिपोर्ट में इस की काफी चर्चा हुई है लेकिन यदि उनका लक्ष्य यह था कि जिन बुराइयों का जिक्र मूथम कमेटी ने किया है उनको इस बिल द्वारा उन्होंने दूर किया है तब भी मैं इस से सहमत नहीं हूं।

श्री हरगोविन्द सिंह--आप ने मूथम इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट पढ़ी भी है?

महाराजकुमार बालेन्दुशाह--मंत्री महोदय ने कहा कि मैंने उस रिपोर्ट को नहीं पढा है, तो मैंने उस को चाहे न पढ़ा हो लेकिन दुर्भाग्य से मंत्री महोदय ने भी उस को पढ़ने का कष्ट नहीं उठाया है यह तो स्पष्ट हो गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि इलाहाबाद युनिवर्सिटी को जो सरकार से ग्रांट मिलती है उसका कुछ दुरुपयोग हो गया और युनिवर्सिटी का कर्जा बढ़ता रहा। मुझे दुख इस बात का है कि इस बात के होते हुये भी मंत्री महोदय ने केवल इस की आड़ ली और इसे कारण बनाकर कि उन्होंने अपने हाथ को इलाहाबाद युनिवर्सिटी के चारों ओर फैला दिया। मैं केवल इतना ही पूछना चाहता हूं कि जो वास्तविक बुराइयां थीं मंत्री महोदय उन वास्तविक बुराइयों को दूर करने में संतुष्ट क्यों नहीं रहे। मैं नहीं समझ पाता कि जो बुराइयां रहीं प्रशासकीय बुराइयां हों या युनिवर्सिटी की आर्थिक दुर्दशा या शिक्षा के स्तर का गिरना जो और बुराइयों के परिणामस्वरूप पैदा हुई इनको दूर करने की क्या चेष्टा की गई है। सरकार को एक ऐसा अवसर प्राप्त हो गया है और उसको अपनाने के बाद सरकार ने जिस दिशा में चाहा अपना पंजा युनिवर्सिटी के ऊपर जमाया।

उपाध्यक्ष महोदय, अटानामी की चर्चा अधिक हो चुकी है। मैंने अपना विचार पिछली बार आगरा युनिवर्सिटी बिल के संबंध में यहां प्रकट कर दिया था और यह जानते हुये भी कि मंत्री महोदय को वह विचार स्वीकार नहीं हैं जिन विचारों को काफी हद तक आज भी और सदस्यों ने भी प्रकट किया है, मैं आवश्यक नहीं समझता कि अटानामी के संबंध में अधिक कहूं। केवल इतना कहना चाहूंगा कि मंत्री महोदय जितना भी कहें यह मेरा व्यक्तिगत विचार है और गलत हो सकता है मगर मैं यह मानने को कदापि तैयार नहीं हूं कि वर्तमान सरकार ने युनिवर्सिटी का अटानामी उल्लंघन नहीं किया। उल्लंघन हुआ है और उनकी स्वतंत्रता का हरण हुआ है और इसके लिये माननीय मंत्री महोदय और उनकी वर्तमान सरकार अपराधी है। उपाध्यक्ष महोदय मैं इस बात को स्वीकार करते हुये कि किन्हीं कारणों से वर्तमान सरकार की यह नीति है कि विश्वविद्यालयों की स्वतंत्रता को किसी न किसी रूप से कम किया जाय और मैं इस बात को मानते हुये आगे बढ़ना चाहता हूं और इससे जो मेरा विषय उत्पन्न होता है वह यह है कि यदि मंत्री महोदय इस प्रकार शंका और शुबहा से भरा हुआ शिक्षा के संबंध में विश्वविद्यालय के सुधार के लिये एक विधेयक प्रस्तुत करते हैं और बहुमत के द्वारा उसको पारित भी करा ले जाते हैं तो मैं नहीं समझता कि इससे मंत्री महोदय के मुख्य कर्तव्य का पालन कैसे होगा। यह मैं मानता हूं कि कुछ हद तक उनका कर्तव्य विश्वविद्यालय के प्रशासन को सुचारु रूप से चलाना भी है। उनका यह भी कर्तव्य कुछ हद तक हो जाता है कि वाइस चांसलर किस प्रकार नियुक्त किया जाय, चांसलर कौन हो मगर उपाध्यक्ष महोदय उनका मुख्य कर्तव्य यह है कि यह सब शिक्षा की दृष्टि में रखकर किया जाय यह सब सोचकर कि इन सबका शिक्षा पर क्या परिणाम और दुष्परिणाम होगा। म उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से केवल यही पूछता हूं कि क्या उनका यह विचार है कि यदि विधेयक पारित हो जाय तो इलाहाबाद युनिवर्सिटी की शिक्षा में कुछ परिवर्तन होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, यह विधेयक केवल एक प्रबन्ध के विषय से संबंध रखता है। मंत्री महोदय ने अपने विचारों के अनुसार यह सुझाव रखा है कि वाइस चांसलर इस प्रकार नियुक्त हों, यहां के और माननीय सदस्यों ने भी अपने-अपने विचार प्रकट किये हैं, अब कौन सही है और कौन गलत है इस पर भी जब तक अनुभव न हो कोई भी एक सही उत्तर नहीं दे पायेगा मगर मैं इतना पूछूंगा कि चाहे जैसे भी वाइस चांसलर नियुक्त किया जाय, चाहे वह मंत्री की इच्छा के अनुसार नियुक्त हो या किसी और प्रकार से प्रश्न यह है वह इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की शिक्षा में उन्नति कैसे ला सकता है। इसका हमको अध्ययन करना है और इसी के संबंध में हमको यहां मंत्री महोदय के सम्मुख अपने विचार प्रकट करने चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय! मैं माननीय अग्रवाल जी को इस संबंध में धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने सरकारी पक्ष के प्रथम वक्ता के रूप में भाषण में यह स्पष्ट कर दिया कि इस विधेयक का शिक्षा से कोई संबंध नहीं है आश्चर्य किन्तु सत्य। इसलिये जो गलतफहमी हम में से बहुतों को थी कि इस विधेयक द्वारा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के उच्च शिक्षा के स्तर को फिर प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है, उस गलतफहमी को उन्होंने दूर कर दिया और उसके लिये उनको धन्यवाद, किन्तु अध्यक्ष महोदय मैं इतना अवश्य कहना चाहूंगा कि जो विधि मंत्री महोदय ने इस विधेयक द्वारा अपनायी है, यह मानते हुये और इसको मैं हमेशा मानूंगा कि सरकार ने एटोनामी पर आक्षेप किया है, उस पर बहस नहीं करता हूं, मगर इस बात को ध्यान में रखते हुये कि विशेषकर यूनिवर्सिटीज में ४ व्यक्तियों का ही प्रमुख स्थान होता है यह मेरा विचार है, मैं कोई बड़ा भारी एजूकेशनिस्ट नहीं हूं, केवल मात्र चन्द एक यूनिवरसिटीज में विद्या प्राप्त करने का मुझे अवसर मिला है तो मैं कह रहा था कि यूनिवर्सिटीज में ४ व्यक्तियों के ही स्थान हैं। एक तो सबसे प्रथम स्थान है वाइस चांसलर का, उसके बाद अध्यापक आते हैं, उसके पश्चात् विद्यार्थियों का स्थान आता है और फिर इन तीनों का पारस्परिक संबंध कायम रखने के लिये सरस्वती देवी का स्थान आता है याने शिक्षा का स्थान। मैं यह नहीं समझ पाया कि पैसे के जोर से या ग्रांट देने के आधार पर सरकार कैसे यूनिवर्सिटीज के अन्दर या उनके प्रशासन में सीधे-सीधे अपना हाथ डाल सकती है? जहां तक ग्रान्ट्स के सदुपयोग का प्रश्न है, मैं यह मानने

[महाराजकुमार बालेन्दुशाह]

को तैयार हूं और मैं यह ठीक समझता हूं कि सरकार अपने दिये हुये ग्रांट के संबंध में उसके सदुपयोग के संबंध में देखरेख के लिये जो कदम उठाना चाहती है उठाये, किन्तु यह प्रश्न कि सरकार की दी हुई ग्रांट के लिए देखरेख करने से एकेडेमिक मामलों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, मास्टरोंकी नियुक्ति पर नहीं पड़ेगा मैं नहीं जान सकता। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह यह न कहें कि नहीं पड़ेगा, अवश्य पड़ेगा और अध्यक्ष महोदय अवश्य पड़ेगा जब कि सरकार को चाहे छोटी ऊंगली ही यूनिवर्सिटीज के कैम्प्स के अन्दर घुसे। यह मैं अपने अनुभव द्वारा कहता हूं और अध्यक्ष महोदय पिछले दिनों का वातावरण देख कर सरकार का इस प्रकार अग्रसर होना यूनिवर्सिटीज की स्वतंत्रता का पूर्णरूपेण हरण करना होगा। तो अध्यक्ष महोदय! मैं यह विचार प्रकट करना चाहता हूं कि सरकार को किसी ग्रांट देने के कारण या किसी भी रीति से अपने आप को एक टेक्निकल एक्सपर्ट या ऐकेडेमिकल एक्सपर्ट नहीं समझ लेना चाहिये। मैं जानता हूं कि माननीय मंत्री महोदय को चारों ओर इसके लिये सेक्रेटेरियट के बड़े बड़े एजूकेशनिस्ट घिरे रहते हैं, मैं यह भी मानता हूं कि उसमें से कई एक योग्य और चतुर व्यक्ति हैं किन्तु अध्यक्ष महोदय यह मानी हुई बात है कि एक बार जो व्यक्ति सेक्रेटेरियट के अन्दर पांव डाल देता है वह सेक्रेटेरियट की कार्यवाही को ही जानता है, उसको प्रेक्टिकल एक्सपीरियन्स चाहे शिक्षा का हो, प्लैनिंग का हो, जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन का हो, जुडीशल का हो, नहीं रहता। इससे यह कहना कि मंत्री महोदय ने जो उनके चारों ओर बैठे हुये एकेडेमिकल एक्सपर्ट्स की राय के अनुसार इस विधेयक को यहां रखा है, ठीक है लेकिन यह राय वास्तव में एकेडेमिकल एक्सपर्ट्स की राय है, कहना गलत होगा। मैं झूठ शब्द का प्रयोग कहीं कर रहा हूं। मैं इसको केवल मात्र गलत कहता हूं। इसलिये अध्यक्ष महोदय आपके द्वारा मैं मंत्री महोदय से यह कहना चाहता हूं कि जितने भी कमीशन्स या कमेटियां उन्होंने या सरकार ने बैठाई, उस संबंध में तो मैं अधिक कहना नहीं चाहूंगा क्योंकि यह विषय मंत्री महोदय के लिये एक सेंसटिव सा मामला दिखता है मैं केवल इतना ही कहूंगा कि यह स्पष्ट है कि, चाहे कोई रिपोर्ट पढ़े या न पढ़े चर्चा सुन कर ही यह स्पष्ट हो जाता है कि उन रिपोर्ट्स को केवल उन्हीं स्थानों को फालो किया गया है जो मंत्री महोदय को इच्छा के साथ गये। वह उन रिपोर्टों के उन्हीं स्थानों को इस्तेमाल में लाये और बाकी को उन्होंने छोड़ दिया। मसलन जोरावर वर्मा जी ने कहा, नारायण दत्त तिवारी जी ने कहा मंत्री महोदय से और मुझे भी याद है पृष्ठ ५३ में उन्होंने स्पष्ट कहा है कि यूनिटरी सिस्टम के संबंध में मूथम कमेटी रिपोर्ट पक्ष में है।

श्री हरगोविंद सिंह—उन्होंने भी गलत बताया है और आप भी गलत कह रहे हैं।

महाराजकुमार बालेन्दु शाह—उपाध्यक्ष महोदय, माननीयमंत्री महोदय शिक्षा मंत्री हैं, यह हमारा सौभाग्य है कि बारम्बार हमको उनसे शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलता है उनका कर्तव्य है कि वह सही शिक्षा प्रदान करें। अध्यक्ष महोदय अब मैं उस एक विषय के संबंध में कुछ कहना चाहूंगा जो कि मुझे सबसे अधिक खटका और वह है एसोशियेटेड कालेजेज के संबंध में। यह कहना कि एसोसियेटेड कालेज का कोई भी स्थान शिक्षा में नहीं है गलत होगा। एसोशियेटेड कालेजेज को स्वीकृति देकर या उनको मानकर एफिलिएटेड युनिवर्सिटी की प्रथा चलाना एक प्रकारका सल्यूशन है, जिससे कि बहुत से ऐसे कालेजेज जो कि किसी एक युनिवर्सिटी की बाउन्ड्री के अन्दर नहीं आते उनको भी एक युनिवर्सिटी का अंग बनाने का अवसर मिल जाता है। प्रश्न यह नहीं है कि आया एफिलियेटेड कालेजेज अच्छे हैं या उनसे उत्तम यूनिटरी सिस्टम है। प्रश्न केवल इतना है अध्यक्ष महोदय कि क्या इलाहाबाद युनिवर्सिटी जैसा कि हमारे तिवारी जी ने बताया शुरू में एफिलिएटेड थी, बीच में फिर यूनिटरी बनी और अब दुबारा फिर उसको एफिलिएटेड युनिवर्सिटी बनाने की चेष्टा की जा रही है, क्या इलाहाबाद युनिवर्सिटी की विशेष परिस्थितियों को देख कर और क्या उस विशेष कारण को देखकर जिस कारण यह विधेयक हमारे सामने लाया गयाहै, क्या यह उचित और आवश्यक है कि उसका यह रूप अब बदलकर उसको अब एक एफिलिएटेड युनिवर्सिटी का रूप दे दिया जाय जहां तक इलाहाबाद युनिवर्सिटी

का संबंध है, मैं समझता हूं कि यूनिटरी रूप जो इसका था वही कायम रहना चाहिये और उसके लिये मैं केवल एकही कारण दूंगा और वह यहजो कि अनुभव भी बताता है कि एफिलिएटेड युनिवर्सिटीज के अध्यापक तथा विद्यार्थी का पारस्परिक सम्पर्क कुछ नहीं रहता । अध्यक्ष महोदय, यह मानी हुई बात है कि जितने लड़के पढ़ने के लिये पाठशालाओं में तथा विश्व-विद्यालयों में जाते हैं । उसका केवल एक ही कारण है, बाप अपने लड़के को वहां केवल एक ही कारण से भेजता है, जहां तक डिग्री प्राप्त करने का सवाल है, यह तो सभी जानते हैं कि घर में पढ़ाकर और तिकड़मबाजी लगाकर अगर दो साल का बी० ए० का कोर्स हो तो एक साल में ही वह डिग्री प्राप्त करा सकते हैं, किन्तु युनिवर्सिटी इसलिये भेजते हैं कि युनिवर्सिटी में जाकर लड़का एक बराबरी की हैसियत से और उस कम्पीटीशन के वातावरण में एक इंसान बने जो कि भविष्य में अपने २ पांवों पर खड़े होकर अपने जीवन का सदुपयोग करे और इस देश के लिये ही केवल मात्र नहीं बल्कि उस महत्व की भी पूर्ति के लिये जिसके लिये कि उसको मनुष्य का जीवन दिया गया है, उसके लिये भी योग्य बने । अध्यक्ष महोदय, यह मानी हुई बात है कि योग्य बनने के कार्य में अध्यापक का एक बहुत ही मुख्य स्थान है और जिस स्थान में अध्यापक और विद्यार्थी का पारस्परिक संबंध नहीं रहता, मैं समझता हूं वहां वास्तविक शिक्षा अनुपस्थित है, वह केवल मात्र एक इम्तहानों को पास कराने का और डिग्रियां बंटवाने का इंस्टीट्यूशन कहलाया जा सकता है । जो इंस्टीट्यूशन लड़के पर एक छाप नहीं देता, उस छाप से उस रेजिमेंटेशन से मेरा मतलब नहीं है जिसकी यहां चर्चा हुई रेजिमेंटेशन के खिलाफ होते हुये भी मैं यह कहूंगा कि हर एक युनिवर्सिटी की अपनी-अपनी एक छाप होती है । हर एक युनिवर्सिटी का विद्यार्थी युनिवरसिटी से बाहर जाने के बाद यह बात गर्व से कहता है कि मैं फलां युनिवर्सिटी का विद्यार्थी रहा हूं । मैं यह समझ नहीं पाया कि माननीय मंत्री महोदय हर युनिवर्सिटी को क्यों एक रूप देना चाहते हैं, उसकी एक ही छाप बनाना चाहते हैं, इसके महत्व को मैं बिलकुल नहीं समझ पाया ।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि मंत्री महोदय मुझ से कुछ नाराजसे हो गये हैं इसलिये मैं शीघ्र ही उनको बधाई और धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस विधेयकके द्वारा जो उचित कदम उठाया है और वह कदम है कि डीन आफ स्टूडेंटस के पद का स्थापित किया जाना । मेरे मित्र श्री नेकराम शर्मा जी ने इस पर कुछ कहा था । इसलिये मैं उन बातों को न दुहराकर केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि विद्यार्थियों के लिये एक बहुत बड़ी कमी थी जिसको पूरा करने की कोशिश माननीय शिक्षा मंत्री जी ने की है ।

(इस समय ४ बजकर २२ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये ।)

और मैं समझता हूं कि यदि इस व्यक्ति की नियुक्ति सही रूप में हो, यदि इस व्यक्ति की नियुक्तिमें पक्षपात न किया जाय, यदि इस व्यक्ति की नियुक्ति इस दृष्टिकोणसे हो कि इसका सम्पर्क अधिकतर विद्यार्थियों से ही रहेगा और काम वर्तमान सरकार या विश्वविद्यालय के अधिकारियों से होगा तब मैं समझता हूं कि यह व्यक्ति अपने काम को पूर्ण रूप से कर पायेगा । साथ ही साथ यह भी हो कि ऐसे व्यक्ति का स्थान एक महत्वपूर्ण स्थान समझा जाय और उसको यहां पर जैसे हर तरीके से पूर्ण रूप से डीन माना गया है वास्तव में भी उसको उतना ही समझना चाहिये जैसे कि और डीन्स को समझा जाता है ।

अध्यक्ष महोदय, मैं अधिक न कह कर केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि माननीय मंत्री महोदय को श्री चिन्तामणि के शब्द याद रखना चाहिये । मंत्री महोदय बहुत ही विद्वान शिक्षा मंत्री हैं किन्तु मैं समझता हूं कि मंत्री जी चिन्तामणि जी के शब्दोंको ध्यान पूर्वक सुनने का कष्ट करेंगे । केवल इतना ही मुझे कहना है और मैं आपकी आज्ञा से उसको अंग्रेजी में पढ़ना चाहूंगा । जब १९२१ में इलाहाबाद युनीवर्सिटी बिल आया था उस अवसर पर चिन्तामणि जी ने, जिसे इन्होंने पाइलट किया था, उन्होंने यह विचार प्रगट किये थे कि :—

"I have never made a secret of my view that it is very unsound either for a legislature or for an executive Government rather of which is an expert

[महाराजकुमार बालेन्दुशाह]

educational body, to lay down laws or rules binding upon educational nature as distinct from financial and administrative matters."

चिन्तामणि ने यह कहा कि एक्जीक्यूटिव गवर्नमेंट का एजूकेशन एक्सपोरियंस न होने के कारण शिक्षा के संबंध में कानून बनाना अनुचित है । केवल मात्र यह प्रतिबंध दिया है कि ऐसे अवसर पर भले ही कानून बना ले जिनका संबंध या तो प्रशासकीय मामलों से हो या आर्थिक मामलों से हो । इसको मैं मंत्री महोदय के सम्मुख प्रस्तुत करके उनसे प्रार्थना करूंगा कि मैं समझता हूं कि इस बिल द्वारा विश्व विद्यालयों का महत्व घटाया जा रहा है । इस बिल द्वारा यह स्पष्ट हो जाता है कि मेरे विचार में कम से कम अब विश्वविद्यालयों का वह महत्वपूर्ण स्थान नहीं रहेगा । अब विश्वविद्यालय केवल मात्र ऊपर से संकेत पाने पर और चाहे आज मंत्री महोदय इस पद पर हैं, चाहे कल कोई और हो किन्तु एक्जीक्यूटिव गवर्नमेंट के संकेत के ऊपर विश्व-विद्यालय हमेशा निर्भर रहेंगे ।

अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं और कहना चाहता था जो मैं भूल गया था । वह मैंने आगरा युनीवर्सिटी के संबंध में भी कही थी और उसको इस बार दोहराना उचित समझता हूं और यह कि इस बिल में वाइस चांसलर के पद के लिये एक व्यक्ति को दोबारा नहीं चुना जा सकता है । यह प्रतिबन्ध लगाया गया है । इसका मैं भरसक कोशिश करने पर भी कारण न समझ पाया। यदि इस प्रथा को इसके लाजिकल कनक्ल्युजन पर लाया जाय तो एक समय ऐसा आयेगा कि एक मंत्री को उस पद के लिए दोबारा न होने के लिये भी प्रतिबन्ध किया जायगा । यह तो सब मानेंगे कि यदि एक व्यक्ति एक युनिवर्सिटी में बना रहे, यदि हमारे आदरणीय डा० राधाकृष्णन् के समान व्यक्ति किसी युनिवर्सिटी को अपना ले तो मैं समझता हूं कि यह उस युनिवर्सिटी का गौरव होगा, यह उस युनिवर्सिटी और उस सरकार के हित में होगा जिस सरकार की सीमा में वह युनिवर्सिटी है । इस प्रकार का प्रतिबन्ध जब कि वाइस चांसलर के चुनाव में होना अनुचित होगा और इसका नतीजा यह होगा कि तीन या पाँच साल में वाइस चांसलर बदल जायगा और कोई भी वाइसचांसलर दिल लगाकर उस युनिवर्सिटी का सुधार नहीं करेगा न उसको करने का अवसर ही मिलेगा और इस का दुष्परिणाम होगा, बजाय इसके कि अच्छा परिणाम हो ।

*श्री सुरेशप्रकाश सिंह---अध्यक्ष महोदय, यदि इस विधेयक को जो कि भवन के सामने उपस्थित है, बिस्तार से और इसकी धाराओं में न जा कर देखा जाय तो एक बात स्पष्ट है कि जहां तक सिद्धांत का प्रश्न है इसमें दो महत्वपूर्ण बातें हैं जिस पर भवन को विचार करना है। पहला तो महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है इस विधेयक में शैक्षिक स्वाधीनता कहां तक सुरक्षित रखी जाय। प्रश्न यह है कि क्या शैक्षिक स्वाधीनता किसी भी विश्वविद्यालय को इतनी ऐब्सोल्यूट चीज है या इतनी सैक्रेड चीज है कि उसको छुआ भी नहीं जा सकता है या ऐसी परिस्थिति आ सकती है कि सरकार मजबूर हो जाय कि कुछ न कुछ हद तक उसकी शैक्षिक स्वाधीनता में हस्तक्षेप करे । यदि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है तो किस हद तक सरकार जा सकती है कि उसकी शैक्षिक स्वाधीनता पर कुछ हस्तक्षेप हो । जहां तक शैक्षिक स्वाधीनता के सिद्धांत का प्रश्न है केन्द्रीय, आक्सफोर्ड युनिवर्सिटी कमीशन से लेकर मूथम इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट तक का जिक्र किया गया और उससे कोटेशंस दिये गये । जहांतक मेरा सवाल है मैं मानता हूं कि यूनिवर्सिटी की शैक्षिक स्वाधीनता अवश्य कायम रखनी चाहिए । परन्तु मैं विश्वविद्यालय की शैक्षिक स्वाधीनता को किसी और स्वाधीनता से परे नहीं रख सकता । जिस तरह से किसी और प्रकार की स्वाधीनता ऐब्सोल्यूट नहीं होती ।

श्रीमन्, मैं पहले ही एक बात कह दूं उदाहरणार्थ, कल मेरे कमरे में एक सज्जन आये जो कि यूनिवर्सिटी के एक छात्र थे और ज्ञान वर्द्धनी सभा, संस्कृत डिपार्टमेंट के अन्दर जो है

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उसका उद्घाटन आज माननीय सम्पूर्णानन्द जी द्वारा हो रहा है, उसके लिये निमंत्रण पत्र ले कर आये थे । वह निमंत्रण पत्र अंग्रेजी में था । मैंने उन महाशय से पूछा कि यह चीज मेरी समझ में नहीं आयी कि संस्कृत की किसी सभा के उद्घाटन का निमन्त्रण पत्र अंग्रेजी में देते हैं । तो उन्होंने कहा कि मेरे प्रोफेसर साहब का यह दृढ़ मत है कि देश की राज भाषा संस्कृत होनी चाहिए । और यदि संस्कृत न हो तो हिन्दी तो कोई भाषा होती नहीं । इसलिये या तो संस्कृत में निमंत्रण पत्र जाय या अंग्रेजी में । मैं उन माननीय सदस्यों से पूछना चाहता हूं जो शैक्षिक स्वाधीनता के नाम पर बहुत कुछ कहते हैं.....

श्री अध्यक्ष--यह शब्द शैक्षिक स्वाधीनता आपने कई बार इस्तेमाल किया, वह मुंह से स्पष्ट नहीं निकलता। और दूसरा शब्द इस्तेमाल करें तो अच्छा है ।

श्री सुरेशप्रकाश सिंह--अंग्रेजी में "आटोनामी" का इस्तेमाल कर सकता हूं ।

श्री अध्यक्ष--नहीं हिन्दी में ही स्पष्ट करिये ।

श्री सुरेशप्रकाश सिंह--अगर शैक्षिक स्वाधीनता में किसी प्रकार का सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती तो उदाहरण के लिये मैं यह पूछता हूं कि यूनिवर्सिटी का हर एक प्रोफेसर यह समझने लग जाय कि राज भाषा तो संस्कृत ही होनी चाहिये लेकिन सरकार ने तै किया है कि राजभाषा होगी हिन्दी लेकिन प्रोफेसर पढ़ायेंगे संस्कृत या अंग्रेजी ही, जिस प्रकार कि यह निमंत्रण पत्र आया तो उस समय राज्य सरकार को कोई अधिकार न होगा कि वह उसमें हस्तक्षेप करे। आपके कहने के मुताबिक तो कोई हस्तक्षेप करना तो नितान्त अनुचित होगा। श्रीमन्, इधर और उधर के कुछ लोगों ने बतलाया कि किन कारण वश यह आवश्यक हो गया कि इस संशोधन विधेयक द्वारा हस्तक्षेप किया जाय। मैं तो उसे हस्तक्षेप नहीं कहूंगा। मैं श्रीमन्, इस मामले पर अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। माननीय नारायण दत्त तिवारी ने गीता को कोट करते हुये कहा :--

वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरोपराणि ।

जिसके मानी यह होते हैं कि जब आदमी मरता है तो दूसरी आत्मा चोला बदलती है। उन्होंने कहा है कि इसी तरह युनिवर्सिटी आवश्यकतानुसार अपना चोला बदलती है । ठीक है, युनिवर्सिटी आवश्यकतानुसार अपना चोला बदलती है तो बदले, लेकिन मैं यह समझता हूं कि इस विधेयक को ला कर यूनिवरसिटी को मरने से बचाया जा रहा है । मरने के बाद ही चोला बदले ऐसा न हो ।

एक सदस्य--सरकार भी चोला बदल सकती है ।

श्री सुरेशप्रकाश सिंह--एक आवाज आई कि सरकार भी चोला बदल सकती है। पूरी सरकार बदली जा सकती है। लेकिन यूनिवर्सिटी तो चलती रहेगी यह एक बात है लेकिन सरकारें बदलती रहें यह अलग बात है। माननीय नारायण दत्त तिवारी ने कहा कि ग्रान्ट्स के नाम पर यूनिवर्सिटी की शैक्षिक स्वाधीनता को छीनना ठीक नहीं है। उनको ऐसा मालूम हुआ कि विश्वविद्यालय की शैक्षिक स्वाधीनता पर बड़ा भारी कुठाराघात हो रहा है। उन्होंने एक बड़ा मार्मिक भाषण दिया और उसमें उन्होंने बतलाया कि वे ५ साल तक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र रह चुके हैं और उन्हें उससे ममता है। उनका पूरा भाषण सुनने के पश्चात् मुझे ऐसा लगा कि उन्हें शायद भ्रम हुआ है कि सरकार कोई अत्याचार कर रही है और उससे उन्हें उसी तरह से दुख हुआ जिस तरह से एक मां को अपने बच्चे के थोड़ी सी भी चोट लगने पर बड़ा क्लेश होता है। कुछ भ्रम तो अवश्य है कि कुठाराघात हो रहा है, और कुछ सचाई भी है कि हस्तक्षेप होरहा है । परन्तु मेरा निवेदन यह है कि कोई हस्तक्षेप यह ऐसा नहीं है कि जिससे युनिवरसिटी की अटानामी को सरकार अपने हाथ में लेती

[श्री सुरेशप्रकाश सिंह]

हो या लेना चाहती हो। इसमें श्री नारायण दत्त तिवारी ने यह बताया कि ४६-४७ से ५४-५५ के बजट में खर्च दुगुना ज्यादा है। तो उसी अनुपात से एजुकेशन का बजट भी तिगुना खर्चे का है परन्तु उस अनुपात से युनिवर्सिटी ग्रान्ट को नहीं बढ़ाया गया है। श्रीमन् मैं आपके द्वारा उनसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब वह सरकार के एजुकेशन के प्रश्न पर विचार करें तो केवल युनिवर्सिटी के ऊपर ही उनको अपने विचार को सीमित नहीं रखना चाहिये। सरकार को प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंड्री एजुकेशन को भी देखना पड़ता है और अगर जितना रुपया सरकार के पास है उसका बहुत बड़ा हिस्सा युनिवर्सिटी को देती चली जाय तो मुझे आशंका है कि ऐसा अवसर उारे चाममह आ सकता है कि जिसमें यह बड़ी बड़ी युनिवर्सिटीज, जिनमें आज बड़े अच्छे प्रोफेसर और सटीने काम कर रहे हैं, वह बिना छात्रों के ही रह जायं। छात्र वहां तक पहुंच ही न पायें। इसलिए मैं समझता हूं कि यह कहना कि सरकार अपने बजट में रुपया बढ़ा रही है और एजुकेशन डिपार्टमेंट पर भी बढ़ा रही है लेकिन यूनिवर्सिटी एजुकेशन पर नहीं बढ़ा रही है, यह उचित नहीं है।

इस विधेयक का दूसरा उद्देश्य वह एफिलियेटेड कालेज से संबंध रखता है। यह यूनिटरी और रेसिडुअरी होने चाहिये। माननीय नारायण दत्त तिवारी ने यह कहा और मैं उससे पूर्ण सहमत हूं। मैं तो एक कदम उनसे और आगे जाना चाहता हूं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को ऐसा करना चाहिये कि कोई भी यूनिवर्सिटी भारतवर्ष की ऐसी न हो जो रेजिडेन्शियल न हो। मैं तो उस दिन का स्वप्न देख रहा हूं कि जब कोई भी कालेज ऐसा न रह जाय। मुझे आक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज युनिवर्सिटी को देखने का अवसर प्राप्त हुआ है। मुझे ऐसा सौभाग्य तो प्राप्त नहीं हुआ कि वहां पर पढ़ने का अवसर मिला हो लेकिन मैं वहां काफी दिन तक रहा और उन छात्रों के साथ रहा जो वहां पर पढ़ते थे। जो अनुभव मुझको वहां पर हुआ उससे मैं यह निःसंकोच कह सकता हूं कि हमारे देश के लिये विशेषकर जब मैं यहां पर पढ़ने का स्टैंडर्ड देखता हूं तो यह समझता हूं कि यहां पर यह बहुत आवश्यक है कि जल्द से जल्द मेरा यह स्वप्न पूरा हो। मैं तो कालेज, हाई स्कूल और प्राइमरी स्कूल के लिये भी कहूंगा कि वह सब रेजिडेन्शियल हों। जो छात्र वहां पर रहें उनको अधिक शिक्षा मिल सकती है। इसके बारे में अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है जबकि छात्र वहां पर शिक्षक के साथ में रहेंगे तो उससे स्टैण्डर्ड बढ़ेगा। इससे एजुकेशन का ही नहीं बल्कि नैतिक स्तर भी बढ़ेगा।

श्रीमन्, श्री नारायणदत्त तिवारी जी ने और अन्य माननीय सदस्यों ने भी चान्सलर के बारे में बहुत कुछ कहा। माननीय तिवारी जी ने ज्यादा जोर दिया चांसलर गवर्नर और चांसलर चीफ जस्टिस के बारे में उन्होंने यह कहा और उनके नोट आफ डिसेंट में भी यह लिखा है कि कोई गवर्नर यदि कमजोर हुआ तो सरकार उसको मुट्ठी में लेकर यूनिवर्सिटी का काम चला सकती है और वहां पर हस्तक्षेप कर सकती है तो मैं समझता हूं कि केवल यह यूनिवर्सिटी के लिये या केवल एजुकेशन के लिये ही नहीं बल्कि हमारे भारतवर्ष के लिये बहुत बुरा दिन होगा, जिस समय ऐसे गवर्नर आ लग जायेंगे जोकि शक्ति न रहते हुये भी कैबिनेट से मतभेद रखते हुये भी यूनिवर्सिटी का दखल सहन करेंगे और उस हालत में हमारे हाउस की और हमारे संविधान की रक्षा भी हो सकेगी। इसलिये ऐसी शंका करना गलत है क्योंकि कहीं भी किसी संविधान में यूनिवर्सिटी के यह नहीं लिखा हुआ है कि गवर्नर जो चांसलर होगा वह एक ही होगा और गवर्नर की जो ड्यूटी होगी वह गवर्नर की हैसियत से या चान्सलर की हैसियत से होगी, उसको कोई आवश्यक नहीं कि वह परामर्श लें परन्तु उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जो कैबिनेट कहे वही उसकी नीति हो जहां तक उसका संबंध वाइस चांसलर की ड्यूटीज से है। यह भी कहा गया कि किसी स्टेट में अगर दो या तीन यूनिवर्सिटीज हों तो यह जरूरी नहीं है कि वहां का चांसलर गवर्नर ही हो। श्रीमन्, इसके दो पहलू हैं। एक तो यह कहा गया कि उनके पास समय नहीं है. लेकिन यह कहना ठीक नहीं है क्योंकि संविधान के अन्दर हमारा गवर्नर केवल एक कांस्टीट्यूशनल हेड है और उसके पास

काफी समय है । अगर उसके पास काफी समय नहीं भी हो तो माननीय तिवारी जी ने कहा कि फिर भी गवर्नर रह सकता है क्योंकि अगर उसके पास ज्यादा समय होगा तो वह युनिवर्सिटीज के मामलात में ज्यादा हस्तक्षेप करेगा उनमें ज्यादा भाग लेगा, लोगों की ज्यादा सिफारिशें कर सकेगा । इसलिये यदि गवर्नर के पास समय न भी हो तो वह ठीक ही होगा क्योंकि उससे वह युनिवर्सिटी के मामलात में तभी इंटरफीयर करेगा जब कि ऐसा करना अत्यन्त आवश्यक होगा ।

श्रीमन्, जहां तक एक्जीक्यूटिव कमेटी का सवाल है उसमें भी एक बड़े सिद्धांत की बात है और वह यह है, जैसा कि माननीय तिवारी जी ने कहा राधाकृष्णन कमीशन की रिपोर्ट में यह दिया हुआ है कि टीक कांस्टीट्यूशन तो तब होगा जब कि एक्सटर्नल और इंटर्नल में बैलेंस रहे लेकिन वह बैलेंस इंटरनल की ओर झुका होना चाहिये । तिवारी जी ने कल बताया कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एक्सटर्नल ११ और इंटरनल ९ हैं वह भी तब जब कि एक पोस्ट डीन आफ स्टुडेंट्स की क्रियेट की गयी है । डीन आफ स्टुडेंट्स के लिये लिखा गया है कि वाइसचांसलर उसकी नियुक्ति करें । मेरे ख्याल में इस प्रश्न पर यह अच्छा होगा कि सरकार माननीय तिवारी जी के सजेशन को मान ले, वह यह है कि कोर्ट से जो मेंबर्स आयेंगे उनमें एक मेम्बर की कमी कर दी जाय और टीचर्स में जो २ रखे गये हैं उनको तीन कर दिया जाय। अब अगर डीन आफ स्टूडेंट्स की नियुक्ति होती है तो बैलेंस एक के द्वारा इंटरनल की ओर रहता है । जहां तक डीन आफ स्टूडेंट्स का संबंध है मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा और मैं समझता हूं कि इस आदरणीय भवन का कोई भी माननीय सदस्य ऐसा न होगा जिन्होंने इसके बारे में सोचा हो, लेकिन उसकी नियुक्ति के बारे में "शैल" शब्द नहीं है बल्कि 'में' शब्द रक्खा गया है । यानी उसका मतलब होगा कि वाइस चांसलर उसको करे या न करे । लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि डीन आफ स्टुडेंट्स की नियुक्ति अनिवार्य कर दी जाय । दूसरी बात यह है कि यह और भी अच्छा होगा कि डीन आफ स्टूडेंट्स की नियुक्ति वाइस चांसलर द्वारा न होकर एक्जीक्यूटिव कौंसिल के द्वारा हो । यह मैं इसलिये कह रहा हूं कि इंटरनल और एक्सटर्नल का बैलेंस बिल्कुल नैरो होगा । ऐसे समय में यदि वाइस-चांसलर के हाथ में डीन आफ स्टुडेंट्स की नियुक्ति का अधिकार होगा तो उसके द्वारा हम उसको एक ऐसा अधिकार दे देंगे कि वह बैकडोर द्वारा अपने ही किसी आदमी को ले आये और हो सकता है कभी कोई ऐसा मामला आ जाय जब कि एक्जीक्यूटिव कौंसिल और वाइस-चांसलर में कुछ मतभेद पैदा हो जाय उस समय वह डीन आफ स्टुडेंट्स एक बैलेंस का काम कर सकता है । अगर उसकी तकर्रुरी वाइस चांसलर द्वारा की गयी है तो वह इधर-उधर डिसीजन को कर सकता है । मैं समझता हूं कि यह अनुचित होगा और मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इस पर ध्यान देंगे और कम से कम इसका प्रयास और प्रयत्न करेंगे कि यह डीन आफ स्टुडेंट्स की नियुक्ति वाइस चांसलर के द्वारा न होकर एक्जीक्यूटिव कौंसिल के द्वारा हो तो बहुत ही अच्छा है । श्रीमन्, माननीय तिवारी जी ने माननीय मंत्री जी के भाषण की एक बात को लेकर यहां पर एक प्रश्न उठाया पोलिटिशियन टीचर्स का । अभाग्यवश मैं माननीय मंत्री जी के भाषण के वक्त यहां मौजूद नहीं था लेकिन मैं समझता हूं कि उन्होंने पोलिटिशियन टीचर्स नहीं कहा होगा । अगर उन्होंने कुछ कहा भी होगा तो एक दूसरे ही आइडिया से कहा होगा । उनका यह मतलब नहीं हो सकता कि टीचर्स पालिटिक्स में भाग नहीं ले सकते, नहीं लेना चाहिये या पोलिटिशियन नहीं हो सकते । माननीय तिवारी जी ने पोलिटिकल साइंस के बड़े-बड़े प्रोफेसरों का नाम लेते हुए प्रोफेसर लास्की का भी नाम लिया कि बड़े-बड़े प्रोफेसर हैं क्या वे पालिटिक्स में भाग नहीं लेते ? मैं कहता हूं कि पोलिटिकल साइंस के ही क्यों, किसी साइंस के भी प्रोफेसर हों वे पालिटिक्स में भाग ले सकते हैं और पोलिटिशियन हो सकते हैं । जिस तरह का मेरा विचार है पोलिटिशियन टीचर्स कहते हुए उनके मस्तिष्क में भी वही विचार रहा होगा ।

श्री हरगोविन्द सिंह--- मैंने टीचर पोलिटिशियन कहा था ।

श्री सुरेशप्रकाश सिंह---टीचर्स पोलिटिशियन के सम्बन्ध में उनका वही विचार रहा होगा जो मेरे दिमाग में है। श्रीमन्, मैं समझता हूं आज कल यूनिवर्सिटीज में गुटबन्दी या पोलिटिक्स कहिये इतनी चल पड़ी है कि टीचर्स पोलिटिशियन जैसा कि उन्होंने कहा, उनका आक्षेप था उन टीचर्स के ऊपर जो कि पढ़ाई वगैरह तो दूर रही हर वक्त, हर समय अपनी युनिवर्सिटी के इटर्नल पोलिटिक्स में पड़े रहें और जहां छात्रों का पढ़ाई व अन्य प्रकार की देखभाल का प्रश्न है उसको बिल्कुल न देखें। श्रीमन्, मैं समझता हूं कि ऐसा कोई भी माननीय सदस्य न होगा जिसको मालूम न हो कि आजकल इलाहाबाद और लखनऊ युनिवर्सिटीज में टीचर्स पोलिटिशियन की क्या हालत है और उसके द्वारा छात्रों को कितना नुकसान पहुंच रहा है। हम लोग श्रीमन्, अखबारों में इस भवन में और इस भवन के बाहर भी सभी कहीं यह रोना रोया करते हैं कि आज कल शिक्षा का स्टैन्डर्ड बहुत गिरता चला जा रहा है। श्रीमन्, यदि यह कहा जाय कि शिक्षा का स्टैण्डर्ड गिरने में छात्रों की कोई गलती है तो मैं उससे सहमत हूं लेकिन मैं क्षमा किया जाऊं श्रीमन् यदि मैं यह कहूं कि उसके साथ ही साथ टीचर्स पोलिटिशियन की भी गलती है।

जहां तक विश्वविद्यालयों में प्रोफेसरों द्वारा पढ़ाई का प्रश्न है, पढ़ाने का स्टैंडर्ड तो वही कायम है वे उसी दिलचस्पी और उसी मेहनत से पढ़ाते हैं लेकिन अब छात्र इतने निकम्मे हो गये हैं कि कुछ पढ़ना लिखना व सीखना नहीं चाहते जिससे बिलकुल स्टैण्डर्ड गिरता जा रहा है। जहां तक स्टैन्डर्ड का सवाल है इस सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा गया है कि दो तीन साल में किसी का स्टैन्डर्ड ऊंचा नहीं किया जा सकता है। धीरे-धीरे ही स्टैन्डर्ड नीचे से ऊपर बढ़ता जायगा। लेकिन फिर भी श्रीमन्, किसी प्रोफेसर को या किसी टीचर को जितना समय अपने काम के लिये देना चाहिये, जितना समय अपने छात्रों के ऊपर देना चाहिये अगर उतना समय वे नहीं दे सकते तो स्पष्ट है कि इसका नतीजा क्या होगा। और वे समय क्यों न दें? जबकि युनिवर्सिटी के फुल टाइम के सर्वेण्ट हैं तो श्रीमन् फिर क्या कारण हो सकता है कि वे अपना समय नहीं दे पाते। इसका केवल यही कारण हो सकता है कि वहां गुटबन्दी बहुत ज्यादा है, टीचर्स पोलिटिशियन रोज-रोज नये होते चले जा रहे हैं। श्रीमन्, अन्त में मैं आपके द्वारा माननीय तिवारी जी को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उन्हें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से जो ममता है उसको देखते हुए जो उचित हस्तक्षेप सरकार की ओर से करने की बात इस विधेयक में है उसको देख कर वे बड़े मर्माहत हुए हैं। उसको देख कर वह शायद दुखित हुए हों और उनको कुछ चोट भी लगी हो परन्तु उनको ही नहीं बल्कि जो दूसरे माननीय सदस्य यह समझते हों कि सरकार इस बिल के द्वारा युनिवर्सिटी एटानामी को खत्म कर रही है उनकी ऐसी शंका निराधार है क्योंकि वह स्वयं देखेंगे कि कहीं पर थोड़े बहुत कंट्रोल के अलावा चन्द फाइनेंशियल कंट्रोल्स के अलावा जैसा कि किसी सदस्य ने कहा था केवल एक विजिनेस मात्र है और किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है कि जिससे आशंका हो कि सरकार अब युनिवर्सिटी को भी अपने कब्जे में करना चाहती है।

*श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा भी सौभाग्य यह रहा है कि मैंने भी इलाहाबाद युनिवर्सिटी में अपने जीवन के ५ वर्ष बिताये हैं और ५ वर्ष जहां तक मुझे याद पड़ता है वह भी वैसे ही तूफानी ५ वर्ष थे जैसे माननीय नारायण दत्त जी के जीवन के वे ५ वर्ष थे। (एक आवाज---क्या एक साल फेल हो गये थे।) पांच वर्ष इसलिए रहा कि चूंकि मैं वहां का एम० ए०, एल-एल० बी० हूं। मैं वहां का पुराना छात्र रह चुका हूं और इसी वजह से उस समय के बाद भी मेरी दिलचस्पी उस विश्वविद्यालय में कायम रही लेकिन इन ५ वर्षों में हमने किस तकलीफ से इलाहाबाद विश्वविद्यालय की हालतों को देखा उसका वर्णन करना यहां कठिन हो जाता है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यह बात न तो मुझसे, न नारायण दत्त जी से, न उससे जो इलाहाबाद युनिवर्सिटी में रहा हो या जो उससे सम्बन्ध रखता रहा हो छिपी नहीं है कि वहां के टीचर्स वहां की पालिटिक्स के ही कारण वहां से एक के बाद दूसरे, अच्छे प्रोफेसर्स और डाक्टर्स दूसरी जगह चले गये। क्या यह छिपी हुई बात है कि डाक्टर मेघनाथ साहा वहां से बाहर चले गये और क्या इस बात को छिपाने की जरूरत है कि डाक्टर साहा इलाहाबाद किस वजह से उस विश्वविद्यालय को छोड़ कर चले गये ? कौन नहीं जानता कि बहुत दिन तक युनिवर्सिटी में काम करने के बाद और वहां के मामलों में काफी दिलचस्पी लेने के बाद भी डाक्टर त्रिपाठी, जिनका कोटेशन श्री नारायणदत्त जी ने कल सदन में रखा था, उन्हें भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बिदा होना पड़ा और सागर युनिवर्सिटी जिसका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मुकाबले में कोई स्थान नहीं है, जाना पड़ा। इनके अतिरिक्त ऐसे और भी नाम हैं जिनके गिनाने में एक लम्बी सूची हो सकती है। पांचों वर्षों में और उसके बाद भी मैंने वहां की पार्टी पालिटिक्स देखी और केवल पार्टी पालिटिक्स ही नहीं बल्कि जिन्होंने अखबारों को देखा होगा कि वहां की किस प्रकार गतिविधि चली, वहां पर जातिपांति के नाम पर और ऐसे आधार पर पार्टियां बनीं कि जिसके फलस्वरूप अच्छे-अच्छे टीचर्स वहां से रवाना हो गये। क्या यह बात छिपी हुई है कि ज्यादातर वहां नियुक्तियां इसी आधार पर हुईं ? क्या उनमें इस बात का शुभा नहीं किया जा सकता है कि उनमें क्वालिफिकेशन या मेरिट का अभाव रहा ? यह परिस्थिति इलाहाबाद युनिवर्सिटी की रही है। इसके अलावा मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि उस समय भी और उसके बाद भी जिस समय यूनिवर्सिटी में चुनाव होते थे तो काफी तादाद में विद्यार्थी भी उसमें भाग लेते थे। परोक्ष रूप से सही दौड़कर बैलट इकट्ठा करने में, सही जाकर कनवेसिंग करने में, और इस प्रकार यह सारा वातावरण दूषित हो जाया करता था। इतनी ही बात नहीं थी, अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय नारायणदत्त जी से यह बात छिपी हुई है और मैं चाहता हूं कि वह सोचें, विचार करें और जवाब दें कि क्या होस्टलों के अन्दर इस आधार पर ऐडमिशन्स नहीं हुआ करते थे, क्या इस बात का हिसाब नहीं लगाया जाता था कि किस विद्यार्थी के द्वारा कितने वोट मिल जायंगे और उसको होस्टल में जगह उसी हिसाब से दी जाती थी। जब यह बात होती है तो क्या यह बात सही है या नहीं कि वहां पर फ्रीशिप के मामलों में भी इस बात पर विचार किया जाता था। तो एक तरफ तो यह हालत इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के वातावरण की है और पार्टी पालिटिक्स इस हद तक पहुंच चुकी थी कि सारा जीवन उनका जो श्लोक उन्होंने कोट किया कि अंधकार से प्रकाश की तरफ और जितनी डालियां उतने पेड़ क्या उन सिद्धान्तों के ऊपर ऐसे वातावरण में हमले नहीं हो रहे थे ? क्या जितनी डालियां उतने पेड़ बन रहे थे उनकी जड़ों पर कुठाराघात नहीं हो रहा था तो क्या ऐसी परिस्थिति में ऐसे वातावरण के अन्दर मैं माननीय नारायणदत्त जी से पूछता हूं कि जिस कोटेशन को उन्होंने उसने उस लक्ष्य को जो इलाहाबाद युनिवर्सिटी का था पूर्ति होती है ? क्या उस लक्ष्य के आधार के ऊपर युनिवर्सिटी को पनपना और बढ़ना था ? उनकी जड़ों के ऊपर कुठाराघात नहीं हो रहा था और जिन परिस्थितियों में विद्यार्थी जीवन वहां चल रहा था उसके सम्बन्ध में कुछ अधिक कहना उपयुक्त नहीं होगा। जहां पर इस प्रकार की परिस्थिति हो और जहां के टीचर्स इस रास्ते पर चलते हों वहां पर विद्यार्थी निकल करके क्या करेंगे और पांच वर्ष की इस प्रकार की ट्रेनिंग लेकर निकले हुये विद्यार्थी अपने जीवन में भविष्य में क्या कर सकते हैं उसके लिये भी हमें चिन्तित होना पड़ता था। इसके द्वारा माननीय अध्यक्ष महोदय यह सदन को बताना चाहता हूं कि इन परिस्थितियों में जो भी व्यक्ति उस स्थिति को जानता था चिन्तित था और वह इस आशा में उम्मीद लगाये बैठे थे कि वह समय अभी आयेगा जब यह दूषित वातावरण शुद्ध वातावरण में परिणत हो सके और वह त्रिवेणी और गंगा यमुना के नगर में महर्षि भारद्वाज ने जहां शिक्षा आश्रम स्थापित किया था वहीं उस आश्रम के निकट बनी हुई यह युनिवर्सिटी उन्हीं आदर्शों को प्रचारित करेगी जिसके लिये हमारा भारतवर्ष लालायित है। मुझे उम्मीद थी कि वह समय आयेगा .....

श्री अध्यक्ष---अब माननीय सदस्य कल अपना भाषण जारी रखेंगे। अब मैं एक सूचना देना चाहता हूं।

कार्यक्रम परामर्शदात्री समिति का नाम-निर्देशन

श्री अध्यक्ष---जो बिजीनेस ऐडवाइजरी कमेटी है उसके सम्बन्ध में मुझे सदन द्वारा यह अधिकार दिया गया था कि मैं उसके नामों का निर्वाचन करूं। मैं यह सूचना देता हूं कि निम्न सदस्य इस कमेटी के सदस्य रहेंगे :---

(१) श्री मंगला प्रसाद,
(२) श्री रामनरेश शुक्ल,
(३) श्री कालीचरण टंडन,
(४) श्री जगन्नाथ मल्ल,
(५) श्री नारायण दत्त तिवारी,
(६) राजा वीरेन्द्र शाह,
(७) श्री शिव प्रसाद (देवरिया),
(८) श्रीमती सज्जन देवी महनोत,
(९) श्री बाबूलाल मीतल,
(१०) श्री अब्दुर्रऊफ जाफरी।

और इस कमेटी के एक्स आफिशियो-चेयरमैन अध्यक्ष (स्पीकर) रहेंगे। इसका मतलब यह है कि यदि अध्यक्ष उपस्थित न हों तो उपाध्यक्ष उनकी जगह काम करेंगे लेकिन अगर दोनों उपस्थित न हों तो और अगर इसकी मीटिंग बुलायी गई हो तो मीटिंग में जो सदस्य उपस्थित होंगे वे अपना उस दिन के लिये चेयरमैन चुन लेंगे। इसकी पहली मीटिंग कल ९ बजे सबेरे मैं अपने कमरे में रख रहा हूं। तो उसमें दो बातें होंगी। एक तो जो कार्यक्रम सामने मौजूद है उसके सम्बन्ध में जितना कार्य हो सके, विचार हो सके, वह किया जायगा और दूसरे इस कमेटी के सम्बन्ध में कुछ और नियम बनाने हैं। उनके बारे में सुझाव लूंगा। मैं यहां पर बात साफ कर दूं कि जो अंतिम रूप से नियम मुझे मान्य होंगे उनका निर्णय करके मैं सदन को सूचना दूंगा। तो ९ बजे पहले मीटिंग मेरे कमरे में होगी।

नारंगीबाह घाट (जिला आगरा) पर घटित नाव दुर्घटना से सम्बद्ध १ सितम्बर, १९५४ के तारांकित प्रश्न १ के विषय पर विवाद

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी (जिला आगरा)---अध्यक्ष महोदय, ३-९-५३ को बटेश्वर नाव दुर्घटना के सम्बन्ध में जो उत्तर सरकार ने दिया था उस विषय में मुझे यह निवेदन करना है कि ३ मार्च, सन् १९५४ को शिवरात्रि के दिन बटेश्वर के पास नारंगीबाह घाट पर एक नाव दुर्घटना हुयी जिसमें अनेक व्यक्तियों की जानें गयीं। इस सम्बन्ध में दो इन्क्वायरी हुयीं। एक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने की और दूसरे मैजिस्ट्रेट द्वारा हुई। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की जो इन्क्वायरी हुयी उसके अनुसार करीब ६० आदमी डूब कर मरे। जो इन्क्वायरी तात्कालिक तहसीलदार ने की थी उसमें केवल ७ आदमियों के मरने की सूचना दी गयी और जो मैजिस्टीरियल इन्क्वायरी हुयी उसमें मैजिस्ट्रेट साहब ने ३५ आदमियों के मरने के बारे में लिखा था। लेकिन जो कुछ भी कहा गया है और जो यह मृतकों की संख्या दी गयी है। वह अधिकतर कयास के ऊपर निर्भर है, क्योंकि गांवों में इस बात की कोई जांच नहीं की गयी जिन गांवों से कि लोग आये थे और शिवरात्रि के मेले के दिन उस नाव में बैठे थे, उन गांवों में जा कर इस बात की जांच नहीं की गई कि कितने गये थे और कितने वापस आये और कितनों का पता नहीं चला। शिवरात्रि के दिन साधारणतः जमुना पर पुल बना रहता है। लेकिन इस बार जमुना में पानी ज्यादा

आने के कारण पुल टूट गया था और नावें चल रही थीं। दूसरे उस दिन एक विशेष बात थी कि डाकुओं या और किसी कत्ल की इन्क्वायरी के सम्बन्ध में कुछ जांच के लिये और सब घाट बंद कर दिये गये थे इसलिये सब यात्री इसी घाट से पार हो रहे थे। शिकायत यह हुयी कि ठेकेदार यात्रियों से ज्यादा पैसे वसूल कर रहा है और इस वजह से वहां पर काफी भीड़ हो गयी है। जाने-आने में कुछ रुकावट पैदा हुयी जिसकी वजह से कुछ झगड़ा भी हुआ और उसकी रिपोर्ट एक सब-इंस्पेक्टर पुलिस को, जो बटेश्वर में आया हुआ था, की गयी। वह वहां डेढ़ बजे पहुंच गया और यह नाव दुर्घटना साढ़े पांच बजे हुई शाम को उस नाव में जिस वक्त वह वहां से चली करीब सौ या सवा सौ आदमी बैठे हुए थे। बीस पच्चीस गज जाने के बाद जो मल्लाह नाव में बैठे हुए थे वे कूद पड़े और नाव मंझधार में पड़ गयी। और पलट गयी और उसमें बैठे हुये आदमी डूब गये। मछुवाहों ने अपनी एक छोटी सी नाव के सहारे १८ या २० आदमियों को बचाया। एक दूसरी नाव से तीन आदमी बचाये गये। अगर इस हिसाब से हम देखें तो करीब २० या २५ आदमी कुल बचाये जा सके और इस प्रकार से ८० या १०० आदमियों का मरना प्रतीत होता है। मैजिस्ट्रेट ने जो इन्क्वायरी की है उससे यह मालूम होता है कि शहादत निष्पक्ष नहीं थी। बात यह थी कि चाहे कंट्रेक्टर हो, चाहे पुलिसवाले हों, सबको यह फिक्र थी कि किसी तरह इस दुर्घटना को मिनिमाइज किया जाय क्योंकि इसमें दोनों का ही कल्याण था। लेकिन पब्लिक की तरफ से कोई कहने वाला वहां नहीं था या जो लोग मरे थे उनकी तरफ से भी कोई नहीं था क्योंकि उनकी हिम्मत भी शायद नहीं पड़ी कि वहां फिर वह आवें और अपनी दास्तान कहें, जिन गांवों के लोग उसमें गये थे उन गांवों में भी जाकर कोई इन्क्वायरी नहीं हुयी, लेखपालों और चौकीदारों को भी कोई इस तरह का आदेश नहीं दिया गया कि जहां-जहां के लोग गायब हुए हों या घर पर नहीं लौटे हों उनकी रिपोर्ट करें। तो इतनी बड़ी दुर्घटना का हो जाना और हमको आज तक यह भी पता सही-सही न चलना कि कितनी जानें गयीं, यह एक बड़े आश्चर्य की बात है। मैं समझता हूं कि उस छोटे से क्षेत्र के लिये यह एक बड़ी दुर्घटना थी लेकिन वह वहीं समाप्त हो गयी और उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हुयी। जो कुछ थोड़ी बहुत कार्यवाही हुयी उसको मैं आगे निवेदन करता हूं। कंट्रेक्टर के खिलाफ शिकायत यह थी कि जो नियत उतराई थी उससे ज्यादा रुपया उसने मांगा। एक आने शायद उतराई है, मगर लोग कांवर वगैरह अपने साथ ले जाते हैं इसलिये दो या ढाई आने तक उतराई होती है मगर एक-एक रुपया और पांच-पांच रुपए तक उतराई ली गयी। इसके अलावा जो मल्लाह थे उस नाव में उनके बारे में यह कहा गया है कि वह नौसिखिये थे और उनको कोई अनुभव नहीं था। इसीलिये जैसे ही वह नाव छूटी और डांवाडोल दिखायी दी वैसे ही उससे कूद पड़े और उन्होंने नाव को छोड़ दिया। कंट्रेक्टर ने जो ज्यादा चार्ज किया और उसके लिये रसीद भी नहीं दी, उसके लिये उसका प्राजीक्यूशन होवेगा। दूसरे एक घाट सुपरवाइजर वहां डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का रहता हैउसके सम्बन्ध में कहा जाता है.....

श्री अध्यक्ष--आप जरा मुख्तसर हो जायं क्योंकि समय आधे ही घंटे का है।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी--मैं अभी खत्म करता हूं।

घाट सुपरवाइजर के खिलाफ भी, मुझे प्रश्न के उत्तर में बताया गया कि कार्यवाही की जायगी। लेकिन पुलिस वाले जो वहां पर चार घंटे या पांच घंटे बराबर मौजूद रहे उनके सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करने की बात नहीं उठायी गयी। मैं यह नहीं चाहता कि मैं विशेष रूप से यही कहूं कि हर एक के खिलाफ कार्यवाही होनी ही चाहिये लेकिन मैं यह जरूर जानना चाहूंगा कि वहां पर एक दो हजार आदमियों की भीड़ को एक सब-इंस्पेक्टर, एक हेड कांस्टेबिल और तीन चार सिपाही क्यों नहीं रेगुलेट कर सके? अगर वह भीड़ को रेगुलेट करते और जितने नाव ले जा सकती थी उतने ही आदमियों को उसे ले जाने देते तो शायद यह दुर्घटना न होती? मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि वह इस बात की जांच

[श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी]

कराये कि जबकि सब-इंस्पेक्टर वहां पर ठेकेदार की ही इस रिपोर्ट पर आये कि वह प्रबन्ध ठीक तरह से नहीं कर पाये और चार-पांच घंटे वहां मौजूद रहे तो फिर उनकी जिम्मेदारी क्यों इसमें कुछ नहीं समझी गयी ? चाहे वह सब-इंस्पेक्टर और किसी काम से ही गये होते, चाहे थाने में पहले उसकी रिपोर्ट हुयी या नहीं, यह बहुत रेलीवेंट बात नहीं है लेकिन सब-इंस्पेक्टर जब वहां पहुंचे और चार-पांच घंटे रहे तो वहां कोई प्रबन्ध भीड़ को रोकने का क्यों नहीं किया गया ? दूसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि इस घाट के दोनों तरफ जो सड़कें हैं वह पी०डब्लू०डी० ने ले ली हैं और इस घाट पर होकर करीब-करीब पांच या छः दफे रोज लारी निकलती है और पुलिस के ठेले भी अक्सर वहां से निकला करते हैं, क्योंकि वह एरिया यह मानसिंह का आप्रेशन एरिया है। इसके अतिरिक्त बटेश्वर में राज्य का सबसे बड़ा मवेशियों का मेला लगता है और बटेश्वर शैवों और जैनियों का तीर्थस्थान भी है तथा सावन के हर सोमवार को वहां नहान का मेला लगता है, और काफी भीड़ रहती है, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी दुर्घटना के बाद भी इस घाट के प्रबन्ध के बारे में कुछ नहीं सोचा गया। अगर मौजूदा नाव का ही पुल वहां रहता है तो यह सम्भावना है कि ऐसी दुर्घटनायें और हों छोटी-मोटी दुर्घटनाओं का तो कुछ पता ही नहीं लगता। इस घटना के कुछ दिन बाद ही ५ नावें डूब गयीं, एक बैलगाड़ी पहिले डूब गयी थी। पुल टूट भी जाता है तो लोगों को वापस लौटना पड़ता है। ऐसा हुआ है कि बरातों को वापस लौटना पड़ा है। जिस पुल पर इतना ट्रैफिक रहता हो और जो तहसील वाहक समीपस्थ स्टेशन शिकोहाबाद के लिये आउटलेट है तो भी वहां घाट का उचित प्रबन्ध न हो तो जो लोग आने जाने वाले हैं उनके लिये हमेशा एक खतरे की चीज बनी रहेगी।

एक बात मैं और निवेदन कर दूं कि यह जगह ऐसी है कि जमुना के ऊपर इससे अधिक सुविधा पूर्वक और कम खर्चे में दूसरी जगह पुल नहीं बन सकता। मैंने सरकार को लिखा था कि वहां पर नाव की बजाय पैन्टून ब्रिज डाल दिया जाय, लेकिन वह भी नहीं हुआ। अन्त में मैं मंत्री महोदय का दो तीन बातों की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। पहली तो यह कि वहां पर जो पुलिस वाले मौजूद थे उनकी जिम्मेदारी के विषय में विचार किया जाय और दूसरा भविष्य में घाट की व्यवस्था के प्रबन्ध में। क्या यह पुल इसी अवस्था में रहेगा और लोग इसी तरह जान माल का खतरा उठाते रहेंगे। बटेश्वर एक बड़ा तीर्थ स्थान है। वहां जब मेला लगता है तो लाखों आदमी और लाखों मवेशी आते हैं। अगर कुछ प्रबन्ध न हुआ तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इसलिये मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इन बातों पर विचार करें और कृपा कर उत्तर दें।

(श्री अध्यक्ष ने माननीय स्वशासन मंत्री का नाम पुकारा।)

श्री वीरेन्द्रपति यादव (जिला मैनपुरी)--अध्यक्ष महोदय .....

श्री अध्यक्ष--आप बीच में न बोले जब माननीय स्वशासन मंत्री जी कह लें तब आप कहें।

स्वशासन मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)--माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न चतुर्वेदी जी ने उठाया है वह महत्व का है। इस माने में कि एक ही समय में एक दुर्घटना के कारण इतनी जानें गयीं। कम से कम मैजिस्ट्रेरियल इन्क्वायरी से पता लगता है कि ३५ जानें गयीं, लेकिन चतुर्वेदी जी का खयाल यह है कि अगर ज्यादा गांव-गांव में जाकर इन्क्वायरी की जाय तो संख्या बढ़ जाय और उनका अनुमान ८० व १०० का है। गांव गांव जाकर इंक्वायरी करना शायद मुश्किल हो, क्योंकि मेले में ४-५ या १०-२० आस-पास के गांव के ही लोग आते हों ऐसा नहीं है। कई बार तो ऐसा होता है कि बहुत दूर के लोग आते हैं और यह कहना मुश्किल है कि कितनी दूर के गांव के लोग वहां थे, जो डूब गये। बहरहाल

उनका अनुमान ८०-१०० का है और उसकी ताईद मैजिस्ट्रेरियल इंक्वायरी से नहीं हुयी। लेकिन फिर भी ३५ आदमियों का मर जाना कोई छोटी बात नहीं है। इसका अफसोस है और सही है कि जिनका कसूर है उनको सजा मिलनी चाहिये।

जो कुछ इस वक्त तक हुआ है वह यह है कि एक तो जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का सुपरवाइजर है उसका काम है कि वह देखे कि नाव ठीक है, मल्लाह ठीक हैं या नहीं। वह एक दिन पहले आया और चला गया। एक तो उसका कसूर माना गया है। उसका जवाब भी आ गया है और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने कमेटी बिठा दी है और उस पर कार्यवाही की जा रही है। दूसरे ठेकेदार का भी कसूर मालूम होता है। एक तो बदकिस्मती यह है कि कई बातें हो गयीं। कुछ ऐसी बातें थीं कि जिनका संभालना मुमकिन था और कुछ ऐसी बातें हो गयीं जो पहले से नहीं जानी जा सकतीं। बाढ़ यकायक आ गयी और पुल टूट गया। अगर पुल बना रहता तो लोग पुल से होकर आते-जाते और नावों का उपयोग बहुत ही कम होता। इसलिये शायद यह दुर्घटना नहीं होती दूसरे यह था कि आसपास के जो घाट थे उनको किसी कत्ल के मुकदमें में तहकीकात की वजह से रोक दिया गया और उसका बोझ भी उस पर आ गया और यह ठीक है कि ठेकेदार ने जितनी उसको उतराई लेनी चाहिये थी उससे ज्यादा ली। उचित इंतजाम भी नहीं किया। जो मल्लाह रखे गये वह नौसिखिये थे, और यही कारण है जिनकी वजह से ऐसा हुआ।

जहां तक पुलिस का सम्बन्ध है उसके बारे में चतुर्वेदी जी ने जो सवाल किया वह यह था कि जो पुलिस के सब-इंस्पेक्टर वगैरह गये थे तो वह इस काम के लिये नहीं गये थे दूसरे काम के लिये गये थे और जब वहां देर ज्यादा हो गयी तो वह वहां जाकर उस स्थिति का कंट्रोल नहीं कर पाये। उनको बुलाया गया था, लेकिन वहां पहुंचने पर भी वह लोग वहां पर कंट्रोल नहीं कर पाये। नाव पर इतने ज्यादा आदमी हो गये थे कि अच्छा होता अगर वह नाव आगे बढ़ती ही नहीं। लेकिन जब लोग बैठ जाते हैं तो इतने बेसबर हो जाते हैं कि फिर उनको कोई हटा नहीं सकता और फिर ठेकेदार की भी यह कोशिश होगी कि ज्यादा पैसा मिले। लेकिन अगर नाव न बढ़ती तो यह मुनासिब था। बहरहाल ठेकेदार के खिलाफ भी कार्यवाही हो रही है और जो कुछ भी मुनासिब उसको सजा दी जानी चाहिये वह दी जायगी। आपने दो ही सवाल किये हैं कि पुलिस ने कंट्रोल क्यों नहीं किया। उसका तो उत्तर मैं दे चुका। दूसरा यह कि वह इतना महत्व का स्थान है और वहां काफी आमदरफ्त है इसलिये वहां एक पक्का पुल बने या पांट्रन ब्रिज बने, इस पर मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि इस पर विचार किया जाना चाहिये। और जरूर विचार होगा। लेकिन इस वक्त मेरे लिये मुनासिब न होगा कि मैं कोई कमिटमेंट करूं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का जहां तक सवाल है वह गवर्नमेंट के बाहर की चीज है। डि० बोर्ड कोई पुल बनवा दे तो गवर्नमेंट उसका स्वागत करेगी। लेकिन यह उसके साधन के परे है। पी० डब्लू०डी० के साथ जब यह काम लिया जायगा तभी यह सफल हो सकता है तो मैं इतना ही निवेदन कर सकता हूं कि यह जो दुर्घटना हुयी इसका मुझे अफसोस है और जिन जिन का कसूर पाया जायगा उनको सजा दी जायगी। आगे कोई दुर्घटना न हो इसकी भी कोशिश की जायगी और कोई खास सुधार हो सकेगा वह किया जायगा। जो लोग मरे हैं उनके साथ हमारी सहानुभूति है और इतना ही कहा जा सकता है कि अगर वह नाव वहां से न चलती तो ज्यादा अच्छा था।

*श्री वीरेंद्रपति यादव---अध्यक्ष महोदय, जब यह प्रश्न उपस्थित हुआ था तो उस समय मैंने कहा था कि इस दुर्घटना का सम्बन्ध विशेष तौर से मैनपुरी जिले से है, जैसा कि मंत्री जी को मालूम है वहां पर यमुना नदी बहती है। उसके एक तरफ मैनपुरी की सीमा है और दूसरी तरफ आगरा जिला है। शाम के साढ़े पांच बजे के करीब जब यह दुर्घटना हुयी तो नाव उन यात्रियों को मैनपुरी जिले की सीमाओं की तरफ लिये जा रही थी और अधिकांश में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री वीरेन्द्रपति यादव]

यात्री मैनपुरी के थे। यह समाचारपत्रों में सूचना आयी। लेकिन जहां तक मैनपुरी जिले की बात थी मैं समझता हूं कि वह आंकड़े में रह गयी और जितनी मृत्युएं मैनपुरी जिले की हुयीं उतनी आगरे जिले की नहीं हुयीं, यह बहुत कम लोगों को मालूम है। मैं समझता हूं कि मैनपुरी जिले के लोगों की मृत्यु, जैसा कि मैंने पहले कहा था, साठ-सत्तर से कम नहीं होगी। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि जहां तक यमुना नदी के किनारे की जमीन है वहां मैनपुरी के ग्राम अधिकांश में स्थित हैं। तो मैं समझता हूं कि जांच जो सरकार के द्वारा हुयी वह हमारे दुर्भाग्यवश एकतरफा जांच रही। मैनपुरी जिले की वास्तविक मृत्यु की संख्या सरकार के सामने नहीं पहुंची। लिहाजा मैनपुरी जिले की समस्या उनके सामने नहीं आ पायी। तो जांच के जो आंकड़े और रिपोर्टें हैं वह जनता और सरकार के सामने सुविधा के लिये रखे गये हैं लेकिन वह अधूरे हैं और उसमें बहुत सी त्रुटियां हैं और वह जांच और रिपोर्ट जो जांच द्वारा की गयी है वह ठीक नहीं है। ठीक समय पर पहुंचने के लिये यह आवश्यक मालूम होता है कि जांच सरकार द्वारा दुबारा करायी जाय, ताकि सरकार को अच्छी तरह से मालूम हो सके। हमारे दुर्भाग्य से आगरे जिले के व्यक्तियों की जाने गयीं, उसके लिये हमें खेद है। लेकिन साथ-साथ मैनपुरी जिले की जानें इससे दुगुनी यानी ८० के करीब गयीं। इस सम्बन्ध में अधिक नहीं कहना चाहता। केवल इतना कहना चाहता हूं कि जांच होनी चाहिये। मैं समझता हूं कि जनहित में आवश्यक और उचित होगा कि जांच दोबारा करायी जाय और इस बात की जांच भी होनी चाहिये कि मैनपुरी जिले के लोगों की भी कितनी जानें गयीं।

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)---क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि सुपरवाइजर बर्खास्त हुआ या मुअत्तल हुआ और ठेकेदार का ठेका जारी है या नहीं ?

श्री मोहनलाल गौतम---ठेकेदार का ठेका ३० सितम्बर, १९५४ को खत्म हो रहा है और उसको दोबारा देने का कोई इरादा नहीं है और जो अब तक का कसूर है उस पर विचार हो रहा है। सुपरवाइजर के खिलाफ ऐक्शन लिया गया है जिस पर बोर्ड की कमेटी बैठी हुयी है और सुपरवाइजर के खिलाफ कार्यवाही हो रही है। जहां तक मैनपुरी जिले का सम्बन्ध है मैं निवेदन कर दूं कि जो गवाह आये थे.....

श्री अध्यक्ष---यह तो आप आखिरी उत्तर में कह सकते हैं।

श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद)---मेरे ख्याल में कोरम नहीं है।

श्री अध्यक्ष---कोरम तो है।

श्री व्रजभूषण मिश्र---क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि जो लोग मरे उनकी कोई सूची प्रकाशित की गयी ?

श्री मोहनलाल गौतम---इसके लिये तो मुझे सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)---माननीय मंत्री जी क्या कृपया बतलायेंगे कि वह नाव डिस्ट्रिक्ट बोर्ड आगरा की थी या ठेकेदार की थी ?

श्री मोहनलाल गौतम---वह ठेकेदार की थी।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि कितनी नावें चलायी जाती थीं और उनके मालिक कौन थे ?

श्री मोहनलाल गौतम---ठेकेदार को ठेका दिया हुआ था और तीन नावें वहां चलायी जाती थीं।

श्री वीरेंद्रपति यादव--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इस जांच में मैनपुरी के कितने गवाह आये थे और किस किस ग्राम के थे ?

श्री मोहनलाल गौतम--लिस्ट तो मेरे पास नहीं, लेकिन १०९ गवाह एक्जामिन हुए जिनमें ४० वे थे जो बोट में थे और आई विटनेस थे और ६५ ऐसे थे जो बोट में नहीं थे लेकिन विटनेस थे। और ४ थे जिन्होंने तहकीकात में हिस्सा लिया। किस किस जिले के कितने थे यह नहीं मालूम लेकिन फेहरिस्त में देखने से पता चलता है कि मैनपुरी जिले के भी थे।

श्री रामनरेश शुक्ल--क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि ठेकेदार के बाद डिस्ट्रिक्ट बोर्ड आगरा ने उन गांवों का मुआयना किया था ?

श्री मोहनलाल गौतम--मैं तो निवेदन कर चुका हूं कि फेरी सुपरवाइजर ने उसके उत्तरदायित्व के दो दिन पहले मुआयना किया था।

श्रीमती प्रकाशवती सूद (जिला मेरठ)--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि ठेकेदार को ठेका देने के पहले या बाद में नावों की परीक्षा की जाती है या नहीं ?

श्री मोहनलाल गौतम--पहले भी की जाती है और बाद में भी।

श्री वीरेन्द्रपति यादव--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि मैनपुरी की सीमा में कोई विज्ञप्ति इसकी प्रकाशित की गयी है कि इस दुर्घटना की जांच की जा रही है ?

श्री मोहनलाल गौतम--इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

श्री वीरेंद्रपति यादव--क्या माननीय मंत्री जी को विदित है कि इस अवसर पर मैनपुरी जिले के सभी हिस्से से यात्री आते हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम--जैसे मेम्बर साहब कहते हैं वह सही ही होगा।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी--अध्यक्ष महोदय, मैंने इसमें तीन बातें उठायी थीं। एक तो यह थी कि यह लोग जो मृतक थे उनकी अच्छी तरह से जांच नहीं हुई। जिन आदमियों का बयान लिया गया है वह नाव पर बतलाये जाते हैं और उनकी तादाद ४० बतलायी जाती है। जिन गावों से वह लोग आये थे उन गांवों में जाकर जांच नहीं हुयी है। मेरा ऐसा अनुमान है कि सभी आदमी शिकोहाबाद तहसील के थे। ३, ४ गांवों के नाम दिये हुये हैं जो इस तहसील के थे। वहां पर कोई इन्क्वायरी नहीं हुयी है। इन गांवों के जो और आदमी गये थे, क्योंकि लोग ज्यादातर संग साथ में जाया करते हैं, उनके बारे में नहीं पूछा गया कि तुम्हारे साथ जो आदमी गये थे वह गांव में लौट कर आये हैं या नहीं।

दूसरी बात यह थी कि पुलिस ने अपना कर्त्तव्य पालन नहीं किया। मंत्री जी ने बताया कि सब इन्स्पेक्टर बटेश्वर किसी और काम से आये थे। लेकिन ठेकेदार की सूचना पर कि भीड़ पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है वह घाट पर पहुंचे और ४ घंटे के करीब वहां रहे फिर भी २ हजार आदमियों की भीड़ को कंट्रोल नहीं कर सके। यदि वहां इतनी देर रहे न होते तो भी समझ लिया जाता कि वह कोई अन्य किसी काम के लिये आये थे और उसी में व्यस्त रहे। लेकिन इतनी देर वहां रहने के बाद यह कह कर उनको बचत नहीं होती कि वहां घाट का प्रबन्ध करने नहीं गये थे, नार्दर्न इंडिया फेरीज ऐक्ट के अनुसार पुलिस को भी नाव पर चढ़ने वालों की गिरफ्तारी का अधिकार है।

तीसरी बात पुल के सम्बन्ध में थी जिसके लिये कहा गया कि अभी नया पुल वहां पर नहीं बन सकता है। अगर ऐसे स्थान पर एक पैन्टून ब्रिज भी नहीं बन सकता तो यह बड़े आश्चर्य और दुख की बात है।

श्री मोहनलाल गौतम---मैं पैन्टून ब्रिज के सम्बन्ध में तो निवेदन कर चुका था कि वहां पर पहले था, लेकिन बाढ़ आने की वजह से वह टूट गया था। ३, ४ गांवों के नाम उसमें हैं उन गांवों में जा कर इन्क्वायरी करना आसान है, लेकिन जैसा मैंने निवेदन किया कि ४० आदमी जो नाव पर थे उनकी गवाही ली गयी और ६५ आदमी जो आई विटनेस थी उनकी भी गवाही ली गयी। इतने आदमियों की गवाही काफी मालूम होती है। यह तो बड़ा मुश्किल मालूम होता है कि गांव-गांव में जाकर इन्क्वायरी की जाय।

जहां तक ब्रिज की बात है उसके लिये मैं निवेदन कर चुका और इस समय मैं उसके ऊपर और राय नहीं दे सकता। पुलिस वहां पर भीड़ को कंट्रोल नहीं कर सकी यह तो राय का सवाल हो सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि पुलिस को कंट्रोल करना चाहिये था अगर उसने कंट्रोल करने में कोई कमी रखी, अगर पुलिस उसको कंट्रोल नहीं कर सकी तो इसमें गांव वालों का क्या कसूर है। मेरा ख्याल है कि उसको यह मालूम नहीं था कि ऐसा अवसर है नहीं तो वह इस काम में नहीं गये होते। इसका सब को अफसोस है कि इस प्रकार की घटना हुई।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ३० मिनट पर अगले दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ;
२९ सितम्बर, १९५४।

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न २४ का उत्तर पीछे पृष्ठ १६२ पर।)

गोरखपुर की Building Materials Distribution Advisory Committee के सदस्यों की सूची --

१--जिलाधीश----अतिरिक्त पदेन अध्यक्ष।

२--अध्यक्ष, जिला परिषद्।

३--प्रतिनिधि, नगरपालिका परिषद्--श्री लक्ष्मी शंकर वर्मा।

४--ग्राम सभाओं के अध्यक्ष के प्रतिनिधि--श्री दुर्गालाल मुख्तार।

५--डिस्ट्रिक्ट इन्जीनियर, पी० डब्लू० डी०।

६--विधान सभा का एक सदस्य--श्री इस्तफा हुसैन, एम० एस० सी०, एल०-एल० बी०।

७--जिला नियोजन अधिकारी।

८--जिला-पूर्ति अधिकारी--अतिरिक्त पदेन मंत्री।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न २७ का उत्तर पीछे पृष्ठ १६३ पर।)

CHARGES AGAINST SRI ISHTIAQ ABDI, PRESIDENT, MUNICIPAL BOARD MAU.

1. That he committed the following irregularities in conducting elections of the various sub-committees of the Board and thereby was guilty of gross misconduct in the discharge of his duties:

(*i*) After having deputed the Board's Secretary for a short period of absence from Mau on Municipal business he took the opportunity of the Secretary's temporary absence to appoint the Sanitary Inspector as the Returning Officer, whereas under the Regulations in accordance with which the elections of sub-committees are held, the Secretary himself should have been the Returning Officer.

(*ii*) The Sanitary Inspector did not make a scrutiny of the nomination papers immediately after the time fixed for receiving nominations and did not submit a retrun to the President showing the names of the persons who have been duly nominated, as required by the said Regulations. The President failed in his duty to ensure that the Returning Officer acted in accordance with the Regulations. Further, the President did not take any action against the Sanitary Inspector when he found that the Sanitary Inspector had failed in his duty as a Returning Officer.

(*iii*) The President kept the sealed packet containing nomination papers with him for some time, and when he returned them, the seals were found broken. This shows that he tampered with these valuable papers and his conduct in this respect was most suspicious.

2. That he irregularly and in contravention of the regulations regarding the conduct of proceedings at meetings, withheld three resolutions tabled by other members and did not place them before the Board although requisite prior notice had been given by the members. He thus failed in the performance of his duty and committed gross misconduct. The three withheld resolutions related to the following important matters :

(*a*) Regarding motion of removal against three members of the Octroi Sub-Committee ;

(*b*)Regarding formation of a Sub-Committee having powers to appoint, punish and dismiss the staff ;

(*c*) Regarding sending up of papers to the Chairman of various sub-committees for final orders.

3. That he on his own authority ordered the construction of 29 drains while under section 189 of the Municipalities Act only the Board was the competent authority to order such construction. The expenditure incurred by him over the construction of these drains was thus unauthorised and thereby a serious financial irregularity was committed by him.

4. The Board had sanctioned an additional sum of Rs.5,000 through Resolution No. 5 dated January 16, 1954 for the construction of drains on the specific condition that the expenditure will be incurred through the Public Works Committee. The said conditon was not recorded at first in the proceedings and was only recorded on February 16, 1954 on the objection raised by the members at the time of confirmation of minutes of the meeting held on January 16, 1954. Thus he failed in his duty to see that the proceedings of the meeting w re correctly recorded. Moreover, he continued to incur expenditure on his own, without obtaining the approval of the Public Works Committee or of the Board.

5. That he contravened the provisions of rule 99 (2) of the Municipal Account Code when he signed a cheque for Rs.1,400/15/- in favour of one Rajeshwar Narain Singh instead of Chamru Ram contractor who was the actual payee. The cheque was issued on the basis of alleged agreement betw en Rajeshwar Narain and Chamru Ram which is now denied by the latter. Besides contravention of the financial rule, his action was likely to involve the Board into unnecessary litigation and possible loss.

6. That he usurped the powers of the Board under section 186 of the Act and irregularly ordered the demolition of *chabutra* constructed by Sri Bachcha Ram, resident of mohalla Qasimpura and got the demolition order executed. In so doing, he was guilty of gross misconduct in the discharge of his duties.

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४९ का उत्तर पीछे पृष्ठ १६९ पर ।)

सूची

१—नमक

२—लकड़ी

३—लोहा व इस्पात

४—ईंट

५—सीमेंट

६—कोयला (साफ्ट कोक व डस्ट कोल)

७—कपड़ा तथा सूत क्रय विक्रय तथा संग्रह के लिये लाइसेन्स लेना आवश्यक है ।

८—कुछ विदेशी औषधियों के मूल्य ।

९—जनवरी १, १९५१ के पूर्व बने मकान ।

१०—गेहूं, चना, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल तथा धान . . क्रय विक्रय तथा संग्रह के लिये लाइसेन्स लेना आवश्यक है ।

११—(अ) गेहूं . . राज्य से बाहर ले जाने पर प्रतिबन्ध है ।

(ब) जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का . . बनारस रीजन से बाहर ले जाने पर प्रतिबन्ध है ।

१२—आटा चक्की, दाल तथा चावल की मिलों को भी पिसाई आदि के लिये लाइसेंस लेना पड़ता है । उपर्युक्त के अतिरिक्त और किसी रूप में खाद्यान्नों पर कोई नियंत्रण नहीं है ।

सत्यमेव जयते

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—१७९ एल० ए०—१९५४—८५० ।